खण्ड-308, अंक-4
शुक्रवार, 7 आषाढ़, शक संवत् 1896
(28 जून, 1974 ई0)

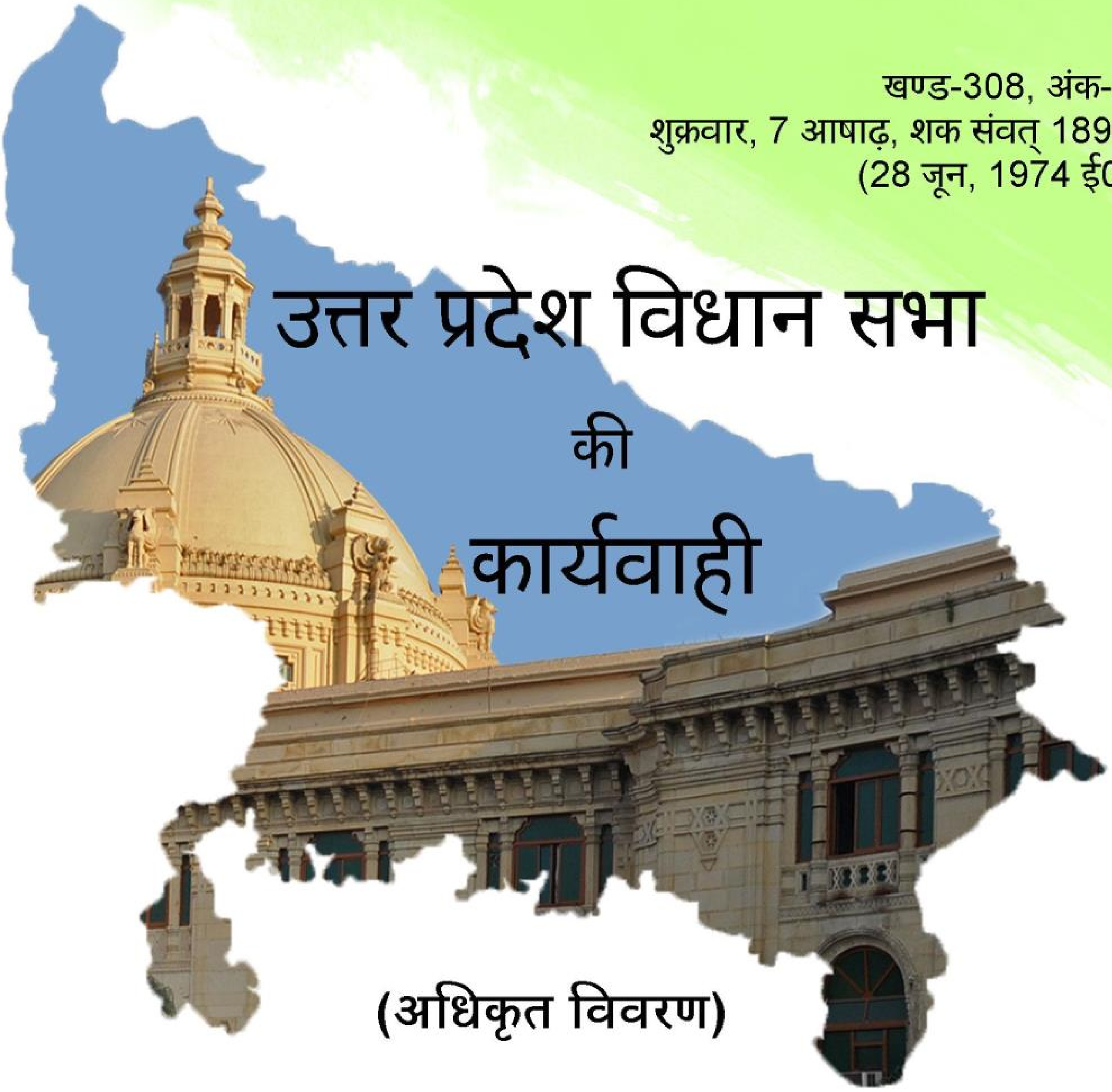

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 308 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 28 जून, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—384

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां)
अनिरुद्ध, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवध नाथ, श्री
आगा जवी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदयनाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एबल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देई, श्रीमती

गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गरोला, श्री
गोविन्द सिंह, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चतराम गंगवार, श्री
छदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जग बहादुर सिंह पटल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ, श्री
दीपनारायन वन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र, श्री
धमपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धमवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म सिंह, श्री
धीरन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापर)

पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुररहमान, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांक लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बनी प्रसाद, श्री
बनी बाई, श्रीमती
बजनाथ यादव, श्री
बजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूप सिंह कन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघ नाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)

रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमन दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूपराम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मर्ण जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुल रहमान बर्क, श्री

शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिवकुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवप्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला इटावा)
सोहन लाल श्री, (जिला रामपुर)
मोहन लाल धुसिया श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरप्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेम राज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 28 जून, 1974

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सर्वश्री श्रीराम, राजकुमार एवं अशोक का गंगाघाट, कानपुर पर मृत अवस्था में पाया जाना

*1—कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत दिनांक 9 जून, 1974 को गंगा घाट से तीन नवयुवकों को अचेत अवस्था में लाकर उर्सला अस्पताल में भर्ती

किया गया ? जहां उनकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो उनकी मृत्यु के कौन-कौन से कारण प्रकाश में आये और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

जिला कानपुर के अन्तर्गत दिनांक 8 जून, (न कि 9 जून), 1974 को गंगा घाट से तीन नवयुवकों को मृत अवस्था में (न कि अचेत अवस्था में) उर्सला अस्पताल में लाया गया। चूंकि तीनों नवयुवक मृत अवस्था में लाये गये थे अतः उनकी मृत्यु उक्त अस्पताल में होने का प्रश्न नहीं उठता। इन मृत नवयुवकों का पोस्टमार्टम करने के उपरान्त मृत्यु का कारण संदेहात्मक विष (Suspacted poisoning) के मामले पाये गये। इन तीनों नवयुवकों का विसरा सुरक्षित रख लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जाब्ते की कार्यवाही की जा रही है।

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा आपके उत्तर में कहा गया है बिसरा को सुरक्षित रखा गया है। इससे पता चलता है कि मौत का कारण अज्ञात है। तो यह बिसरा विशेषज्ञों के पास जानकारी के लिये क्यों नहीं भेजा गया ? सुरक्षित रखने का क्या तात्पर्य है ?

श्री बलदेव सिंह आचार्य---

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार बिसरा केमिकल एक्सपर्ट के पास जांच के लिये भेजा जा रहा है।

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा---

आपके यहां क्यों सुरक्षित रखा गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

उस समय तो सुरक्षित ही रख दिया गया। उसके बाद केमिकल एक्सपर्ट के पास भेजा जाता।

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा---

मान्यवर, उनकी मौत का कारण अभी तक अज्ञात है। यह तभी पता चलता जब केमिकल एक्सपर्ट उसकी जांच कर लेते और वह उनके पास भेज दिया जाता। मैं यह जानना चाहता हूं कि बिसरा उनके पास क्यों नहीं भेजा गया, सुरक्षित आपके यहां क्यों रखा गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जो सूचना उपलब्ध है उसमें यह है कि मृतकों के बिसरे को जांच हेतु केमिकल एक्सपर्ट के पास भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा---

मान्यवर, ऐसी कौन की कार्यवाही उसमें करनी थी ? क्या इसके लिये कोई रेलवे की बोगी रिजर्व करानी थी ? आज 28 तारीख हो गई है, इतने दिन तक कोई कार्यवाही न होने के कौन से कारण हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, काफी दिन पहले यह प्रश्न हुआ था और मेरा ख्याल है कि जो कार्यवाही इसमें की जा रही थी वह सम्भवतः अब तक पूर्ण हो गई हो।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जो मौतें हुई हैं वह सम्भवतः जहरीली शराब के पीने के कारण हुई हैं जो कि इन भट्टियों में बनती थी जो कि अब सरकार द्वारा पकड़ी गई हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काज आफ डेथ क्या सस्पेक्ट हुआ है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैंने बताया कि प्वाइजनिंग सस्पेक्ट किया गया है।

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा सूचना में कहा गया है वह मृत लाये गये, वह जीवित नहीं थे, तो मृत लाने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अस्पताल में तो उपचार के लिये लाये जाते हैं ? यदि मर जाते तो पुलिस उनको अपने अधिकार में लेती और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिये भेजती, तो ये लोग किन लोगों के द्वारा लाये गये और मृत लोगों के नाम-पते क्या हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, गंगा घाट के 3 निवासी रामकिशोर पुत्र श्याम लाल, बरोली चन्द्र पुत्र श्री डी0 एम0 कान्ती और बृजकिशोर पुत्र श्री हर प्रसाद मिश्र, 8-6-74 को 1 बजकर 35 मिनट पर उन तीन मृत युवकों को उर्सला अस्पताल, कानपुर में लाये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि 8 जून को ये मृत्यु हुई और आज 28 जून है, जबकि प्रायः बिसरा जल्दी से जल्दी एक्जामिनेशन के लिये भेज दिया जाता है, तो किन कारणों से 20 जून के बाद भी उनके पास पूरी सूचना नहीं आई है कि वह भेज दिया गया है या नहीं ? और यदि हां तो कब ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अब मेरे पास सूचना आई है, मैजिस्ट्रेट के पास सूचना रजिस्टर्ड कराने के बाद मैजिस्ट्रेट के आर्डर के बाद बिसरा केमिकल एक्जामिनेशन के लिये भेज दिया गया है।

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

जो मृत व्यक्ति हैं, उनके नाम-पते क्या हैं ? साथ ही जहां वे मरे तो उनके आसपास क्या-क्या चीजें बरामद हुईं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

चीजें क्या बरामद हुईं, इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। उनके नाम श्रीराम पुत्र पारसराम, निवासी शेरअली खेड़ा, थाना कोतवाली उन्नाव, श्री रामकुमार, सिरकीवाले (कंजड़) कानपुर और अशोक उर्फ कल्लू सेनी, गनेशशंकर पार्क, कानपुर हैं।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय में बिसरा के जांच की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी और उसको क्या सदन के सामने रखने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

श्रीमन, जिस द्वारा जांच हो रही है, जब जांच पूरी···

श्री अध्यक्ष--

वह बिसरे के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यदि माननीय सदस्य कोई प्रश्न करेंगे तो रिपोर्ट सदन के सामने आ जायेगी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

बस्ती जिले के चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण को रद्द किया जाना

*1--श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती)--

क्या यह सही है कि सन् 1973-74 में बस्ती जिले के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग के अधिकांश कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य स्थानों पर किया गया और बाद में उनके स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिये गये ? यदि हां, तो किन कारणों से स्थानान्तरण किये गये और किन कारणों से रद्द कर दिये गये थे तथा किसके द्वारा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं ! अधिकांश कर्मचारियों के नहीं, बल्कि 1,385 कर्मचारियों में से केवल 163 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये । स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं । कतिपय कर्मचारी संघों के अनुरोध पर तथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत प्रार्थना पर विचार करने के उपरान्त उनमें से स्थानान्तरण आदेश स्वास्थ्य सेवा निदेशक, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, गोरखपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती, द्वारा रद्द किये गये ।

श्री प्रभुदयाल--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मान्यता प्राप्त कितने संघ हैं, जिनके प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में आये थे और उनकी अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

बेसिक हेल्थ वर्कर संघ और वेक्सीनेटर वर्कर्स संघ के और इसी तरह से कुछ संगठन हैं, जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये कि उनका ट्रांस्फर रोक दिया जाय और कुछ ने व्यक्तिगत कारणों को लेकर प्रार्थना-पत्र दिए ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरीगढ़-वाल)--

आपके मूल उत्तर के अनुसार कुछ स्थानान्तरण रोक दिये गए तो आपका मतलब कितनों से है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

चिकित्सा के 2, स्वास्थ्य के 63 और परिवार नियोजन के 15, कुल 80।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

163 में से 80 को उनकी दरख्वास्त पर रोक दिया गया। राम राम। भगवान बचाए।

श्री प्रभू दयाल—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती ने कितन ट्रांस्फर किये और कितने रद्द किए ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह मैंने उत्तर में बताया कि स्वास्थ्य निदेशक, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, गोरखपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती द्वारा ये ट्रांस्फर किय गय थे उन्हीं के आदेश से कुछ के स्थानान्तरण निरस्त हुए।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं जानना चाहता हूं कि जिनके ट्रांस्फर रद्द कर दिये गए ये कितने दिनों से बस्ती जिले में रह रहे थे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह सूचना इनके पास नहीं है। सूचना उतनी रहती है कि जितने में हम लोगों को काट दिया जाय। जवाब पूरा होना चाहिए जिससे हम लोगों को सैटिस्फेक्शन हो सके। पांच रहते हो गये आपने क्यों नहीं ट्रांस्फर किया।

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जिनके ट्रांस्फर कैंसिल किये गये किन-किन कारणों से ट्रांस्फर कैंसिल किये गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने निवेदन किया कुछ जो उनका संघ है, बेक्सीनेटर एशोसियेशन, बेसिक हेल्थ वर्कर्स संघ, इनके प्रार्थना-पत्र पर और कहीं व्यक्तिगत प्रार्थना-पत्रों पर जो कारण उन्होंने दिये होंगे उन्हीं पर हस्तान्तरण निरस्त हुये हैं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मन्त्री इस पर विचार करने को तैयार हैं कि जिन कर्मचारियों को पांच वर्ष तक हो गए बस्ती जिले में उनका तबादला तुरन्त करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, अब शासन ने आदेश दिया है कि स्थानान्तरण आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य रूप से अधिक न किये जायं, बहुत आवश्यक हो ऐडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर तब हो नहीं तो साधारणतया ट्रांस्फर न किये जायं।

श्री हिम्मत सिंह—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ।

रामगंगा प्रयोजना, कालागढ़ की श्रमिक बस्ती में तथाकथित अग्निकांड

*2—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामगंगा परियोजना, कालागढ़ की श्रमिक बस्ती में गत 6, 7 तथा 8 अप्रैल, 1973 को आग लगने से जन तथा धन की कितनी क्षति हुई तथा सरकार द्वारा क्षति पूर्ति हेतु क्या सहायता दी गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

6, 7 तथा 8 अप्रैल, 1973 को कालागढ़ की श्रमिक बस्ती में कोई अग्नि काण्ड नहीं हुआ। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठा।

आई हास्पिटल, सीतापुर एवं उससे सम्बद्ध शाखाओं को दिया गया अनुदान

*3—श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत) तथा श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सीतापुर आई हास्पिटल के नाम चलने वाले समस्त अस्पतालों को सरकार ने अलग-अलग वित्तीय वर्ष 1973-74 में कितना-कितना अनुदान दिया तथा इस वर्ष उन्हें पुनः अलग-अलग कितना अनुदान देने का प्राविधान है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सीतापुर आई हास्पिटल एवं उससे सम्बद्ध शाखाओं को वर्ष 1973-74 में दिये गए अनुदान का विवरण संलग्न सूची-1 में दिया हुआ है।

1974-75 में इन्हें अनुदान देने के लिए जो प्राविधान है उसका विवरण संलग्न सूची-11 म दिया हुआ है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 449-450 पर)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, यह जो सूची हमको दी गयी है इसको देखने से यह प्रतीत होगा कि रायबरेली को, जहां 15 लाख 20 हजार लोकसंख्या है, अनुदान 64 हजार, 1973-74 में और 1974-75 में 80 हजार है और गोरखपुर जिले को जहां 14 हजार 2 सौ और 7 हजार दो सौ दिया गया वहां 32 लाख की लोक संख्या है और रायबरेली की 15 लाख है। क्या क्राइटेरिया है इन अनुदानों को देने का, इस सम्बन्ध में मन्त्री जी बतायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह किस जिले में कितना काम है, उस हिसाब से यह अनुदान बटता है। अगर कहीं नेत्र रोगियों की संख्या कम है तो वह अधिक देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मधुकर दिघे—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि रायबरेली जिले में सीतापुर आई अस्पताल के कितने अस्पताल हैं और उनमें कितने बेड्स हैं और कितने पेशेंट्स भर्ती हुए तथा गोरखपुर में कितने हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो सूचना मांगी गई है वह अनुदान से सम्बन्धित है। इसमें यह नहीं है कि कितने-कितने मरीज भर्ती हुए कितने नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

ऐसा मालूम होता है कि रायबरेली में अन्धों की तादाद ज्यादा है।

श्री धीरेन्द्र सहाय---

अभी मन्त्री जी ने कहा कि रोगियों की संख्या के आधार पर अनुदान दिया गया है तो वे बतायेंगे कि रायबरेली में कितने रोगी दाखिल हुए और गोरखपुर में कितने ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री शफीकुररहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि रायबरेली प्रधान मन्त्री जी की कांस्टीटुऐंसी है इसलिए वहां ज्यादा अनुदान दिया गया है और गोरखपुर नहीं है तो क्या यह फर्क करते हुए यह अनुदान दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---

यह तो काल्पनिक है, आक्षेप है।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, यह आक्षेप नहीं है, जानकारी है।

श्री अध्यक्ष---

यह जानकारी की क्षमता तो सबको हो सकती है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, नैनीताल में तीन अस्पताल हैं और 68 हजार का अनुदान दिया गया, रायबरेली में तो क्या वहां के मरीजों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो ब्योरे का सवाल है।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि रायबरेली में गोरखपुर से मरीजों की संख्या ज्यादा है इसलिए वहां ज्यादा अनुदान दिया गया है और गोरखपुर में कम दिया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, मैंने इसी सम्भावना से कहा है।

(श्री हिम्मत सिंह के नाम पुकारे जाने पर श्री धीरेन्द्र सहाय के बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपका नाम लिया उस समय आप बैठ गए और आपने बर्क साहब को मौका दिया, यह ठीक नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह---

इन अस्पतालों को अनुदान देने का क्या आधार है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, मैं तो पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि कहां कितना कार्य है तथा कित रोगी हैं उस हिसाब से अनुदान दिया जाता है।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह सवाल काफी अर्सा पहले दिया गया था फिर भी इसके सम्बन्ध में जानकारी अपूर्ण है तो सवाल क्या किये जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जानकारी अपूर्ण नहीं है बल्कि अनुदान देने के उन्होंने दो कारण बताये हैं।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि रायबरेली में रोगियों की संख्या क्या है और पीलीभीत में क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

वह जवाब दे चुके हैं।

श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर तथा देवरिया के माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए वहां ज्यादा मरीज होने के कारण ज्यादा अनुदान बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, अनावर्तक अनुदान जो 1974-75 का है वह और दिया जायगा इसके लिये 2 लाख का प्राविधान है। उस समय माननीय सदस्य की बात का ध्यान रखा जायगा।

ग्राम गढ़वा, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद की हरिजन बस्ती के भूमि का दूसरे के नाम दर्ज होना

*4—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) तथा श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद, तहसील हंडिया के ग्राम गढ़वा की भूमि नं0 196, रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा पर गरीब जनता के मकान पुस्तैनी बने हुए हैं परन्तु उक्त भूमि पर उनका नाम आबादी न दर्ज कर कुछ बड़े लोगों के नाम दर्ज कर दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और सरकार क्या उन पर सही आबादी दर्ज कराने की कृपा करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्नगत भूमि संख्या 196 का क्षेत्रफल 6 बीघा 13 बिस्वा नहीं बल्कि 10 बीघा 3 बिस्वा है। इस कुल रकबे पर भूलेखों के दो व्यक्तियों के नाम 1319 फसली से दर्ज चले आते हैं। इस भूमि के 2 बीघा 5 बिस्वा रकबे पर 22 परिवारों के मकान बने हुए हैं। इस रकबे को अभिलेखों के नियमानुसार आबादी दर्ज कराने की कार्यावही की जा रही है और वर्तमान इन्दराज सही हैं अथवा नहीं इस बात की भी जांच कराई जा रही है।

श्री अठई राम—

मान्यवर, जिनका नाम जिस जमीन पर दर्ज है वह किस गांव और किस तहसील के रहने वाले हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, इनमें दो आदमी हैं—मुस्तरियादीन और अलोपीदीन पुत्र श्री राम औतार सिंह, ये हैं निवासी जमुनीपुर, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन 22 व्यक्तियों का मकान बना हुआ है, य बाइस के बाइसों हरिजन परिवार के हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, इन 22 परिवारों में आठ परिवार तो हरिजन हैं, 2 यादव हैं और 8 गड़रिया जाति के हैं। ये सभी खेतिहर मजदूर होंगे ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के नाम ये जमीनें दर्ज हैं, उनके नाम कब से दर्ज हैं और मकान कब से बने हुए हैं उस पर ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जिनके नाम दर्ज हैं वह 1319 फसली से दर्ज है और जिनके मकान बने हुए हैं उनका क्योंकि किसी कागजात में दर्ज नहीं होता है इसलिए उसकी सूचना नहीं है कि कब से मकान बने हुए हुए हैं ।

श्री राम सेवक यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों लोगों के जो नाम दर्ज हैं किस कारण से दर्ज हैं ? क्या ये लोग भूतपूर्व जमींदार थे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, कारण तो दर्ज नहीं होता है वहां के अभिलेख में कि किस कारण से दर्ज है। 1319 फसली में जिस अधिकारी ने दर्ज कर दिया, वही दर्ज है। यह बात जरूर है कि यह गांव समाज की जमीन है। उस पर जांच की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अठई राम—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनके नाम दर्ज हैं, वे न तो उस तहसील के रहने वाले हैं, न तो उस तहसील के किसी गांव के रहने वाले हैं और उनके नाम गल्ती से दर्ज किया गया है। यह गल्ती जबकि चकबन्दी शुरू है तब मालूम हुई। अब ये लोग जिनके नाम जमीनें दर्ज हैं, फर्जी मुकदमा पुलिस में लिखाकर वहां के असली काबिज लोगों को परेशान कर रहे हैं ताकि असली काबिज लोग निकल जायं। वे लोग 5–6 बीघे में बसे हैं, उस जमीन की सही पैमाइश करा ली जाय। वह जमीन कभी भी बोई-जोती नहीं गई है और नहीं तो उनको परेशान करके निकाल दिया जायगा और उनको रहने नहीं दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कब्जे की जांच कराने के लिए उत्सुक हैं। इसमें जांच कराने की बात है।

स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, इस 10 बीघा 8 बिस्वा में 4 बीघा बंजर है जिसमें से ये काबिज दर्ज हैं, उसी में ये मकान बने हुए हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा है उसकी जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही हो जायगी ।

चुनार तहसील, जिला मिर्जापुर में गंग बरार से प्राप्त भूमि को प्रधान द्वारा पट्टे पर दिया जाना

*5—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले तथा उसके चुनार तहसील में गंग बरार की (गंगा के किनारे नदी द्वारा जमा की हुई भमि) कितने एकड़ जमीन है ? इसके वितरण के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मिर्जापुर जिले की तहसील चुनार के ग्राम रामगढ़ कलां परगना कुयात में 4.75 एकड़ भूमि गंगवार से प्राप्त हुई है, जिसका वितरण ग्राम प्रधान द्वारा आसानी पट्टे पर कर दिया गया है । तहसील मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे स्थित ग्रामों में ऐसी कोई भूमि नदी द्वारा जमा नहीं हुई है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो ग्राम रामगढ़ कलां है उसमें 4.75 बीघा भूमि वितरित की गई है और वह किन व्यक्तियों को वितरित की गई है, वे क्या करते हैं और उनके पास और सम्पत्ति है या नही ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, यह भूमि के पांच पट्टेदार है:—अछैबर, भग्गू निवासी रामगढ़ कलां, फल्ले, मुन्ना लाल, जालेम । इसमें एक को 2.13 एकड़, तीन को 0.62 डेसीमल और एक को 0.76 डेसीमल है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह पट्टा किस प्रकार से किया गया क्या माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन् गांव प्रधान यह पट्टा करते हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कि रामगढ़ कलां में ही अनेक भूमिहीन मजदूर हैं तो अन्य स्थान के व्यक्ति को पट्टा करने का क्या औचित्य है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन् इसका तो गांव समाज पट्टा करता है । इसकी सूचना तो इस वक्त न मांगी गई थी और न बताई जा सकती है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास यह सूचना है कि ऐसा क्यों किया गया, जबकि उसी गांव में भूमिहीन मजदूर हैं, उनको पट्टा न करके दूसरे गांव के व्यक्ति को पट्टा किया जाय ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस भूमि का पट्टा केवल 5 व्यक्तियों को किया गया है जो सभी जाति के हैं । इसमें मल्लाह एवं भूमिहीन कृषक मजदूर हैं । दूसर लोग उसका पट्टा लने के लिय तैयार ही नहीं थे इसलिय दूसरे व्यक्ति को पट्टा नहीं किया गया ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रामगढ़ कलां में जब और भूमिहीन लोग थे तो अन्य लोगों को पट्टा क्यों दिया गया ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य लिखकर भेज दें जांच करा लूंगा ।

तारांकित प्रश्न

*1—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[5 वें गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

तहसील डेरापुर, जिला कानपुर के भूमिहीन हरिजनों को दिये गये भूमि के पट्टों की दाखिल खारिज में विलम्ब और दोषी कर्मचारियों का निलम्बन

*2—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में भूमिहीन हरिजनों के किये गये 4000 पट्टों का वर्षों पड़े रहने के बावजूद भी परगनाधिकारी डेरापुर की ओर से दाखिल खारिज के आदेश नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्या इस लापरवाही एवं अकर्मण्यता के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्षेत्रीय विधायक ने गत वर्ष शासन को प्रतिवेदन दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी और क्या सरकार पूरा ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में भूमिहीन हरिजनों को 2923 पट्टे दिये गये जिनमें से 31-5-74 तक 2600 पट्टों का दाखिल खारिज हो चुका है । क्षेत्रीय विधायक ने शासन को प्रतिवेदन दिया था जिसकी जांच के फलस्वरूप अहलमद माल डेरापुर को दोषी पाये जाने पर निलम्बित करके उनके विरुद्ध वभागीक कार्यवाही अंतिम होने जा रही है । दो परगनाधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही चल रही है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

जिन दो परगनाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है वह परगनाधिकारी कौन-कौन है, वे इस समय कहां है और क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

एक तो रामकृष्ण दुबे और दूसरे नरेन्द्र नाथ पांडेय उस समय परगनाधिकारी थे । इनसे जवाब तलब किया गया है और वह जवाब राजस्व परिषद् को देंगे । राजस्व विभाग अपनी रिपोर्ट नियुक्ति विभाग को भेजेगा तब कार्यवाही फाइनल होगी । और वहां का अहलमद निलम्बित कर दिया गया है, शो काज नोटिस दे दिया गया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

तीन सौ के करीब पट्टे अभी तक नहीं हुये हैं । तो ये कब दिये गये थे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

पट्टों की तारीखों की सूचना तो नहीं है । तीन सौ पट्टे चकबन्दी के रूल्स के हिसाब से चकबन्दी में भेज दिये गये हैं और उसके हिसाब से कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भीखा लाल---

दाखिल खारिज के मुकदमों में अन्तिम आदेश हाकिम परगना करता है । तो हाकिम परगना को निलम्बित न कर के खाली अहलमद को निलम्बित कर के सरकार ने क्यों संतोष कर लिया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जो इस काडर के आफिसर्स होते हैं उसकी कार्यवाही बड़ी लम्बी होती है इसलिये उसमें देर हो रही है (व्यवधान) ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

प्रश्न यह है कि नहीं है । अहलमद को तो आपने निलम्बित कर दिया, हाकिम परगना को क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय भीखा लाल, आप अपना सवाल रिपीट कर दें ।

श्री भीखा लाल---

आदेश देने का अधिकार परगनाधिकारी को है । उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और अहलमद को आपने सस्पेंड कर दिया तो उसकी क्या गलती थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जब से यह मामला उठा आलमारी में दाखिल खारिज की मिसलें बन्द रहीं । यह तो प्राइमा फेसी केस आ गया कि अहलमद ने उन मिसिलों को पेश नहीं किया । जो एस० डी० एम्स हैं उनकी जांच हो रही है ।

श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)---

एस०डी०ओ० और एस०डी० एम्स० ने तीन महीने में कितने मुकदमें किये इसकी रिपोर्ट भेजा करते हैं । अगर यह रिपोर्ट गायब थी तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

माननीय सदस्य अलग कहते हैं मिसिलें गायब नहीं थी । मिसिलें जो वहां से आयी थीं वह आलमारी में बन्द रहीं कई महीने तक ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

इसकी जांच किसने की और वह जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

असिस्टेंट लैंड कमिश्नर ने जांच की है । वह जांच रिपोर्ट इस वक्त उपलब्ध नहीं है । अगर माननीय सदस्य दखना चाहेंगे तो हम दिखा दगे ।

प्रदेश में चेचक से मृत्यु

*3—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में अक्तूबर, 1973 से अप्रैल, 1974 तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु चेचक के कारण हुई तथा सरकार ने इनकी रोक-थाम के लिये कौन-कौन सी व्यवस्था की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 451-452 पर)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

श्रीमन् विषय की महत्ता को देखते हुये इसे पढ़वा दिया जाय । करोड़ों लोग मरे हैं ...(हंसी) और इतने-इतने टीके लगाये गये हैं । एक करोड़ लोगों से ऊपर के टीके लगाये ही गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

चेचक पर यहां बहस हो चुकी है । अब जिलेवार कितने मरे वह संख्या लिखी हुई है । आगरा से लेकर वाराणसी तक टोटल है 2,966। इसमें समय नष्ट होगा ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि चेचक उन्मूलन के लिये सरकार ने एक विशेष योजना प्रत्येक जनपदों में आज से 4-5 साल पहले चला रखी थी, फिर उसको बन्द कर दिया, क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करेगी कि पुरानी योजना को फिर लागू करके इसके विषय में पूरा इन्तजाम करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि रूढ़वादिता के कारण चेचक के केसेज का पता नहीं चलता। सरकार ने अक्तूबर से, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने, संयुक्त रूप से एक इंटेन्सिव कार्यक्रम इस प्रदेश में चलाया है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि चेचक के रोगियों को ढूंढ़-ढूंढ़ करके उनकी चिकित्सा की जाय । इसके लिये एक "खोज सप्ताह" मनाया गया अक्तूबर में, जिसमें रोगियों का पता लगाया गया और उनकी चिकित्सा की गयी । मान्यवर, रूढ़वादिता के कारण लोग इस रोग को बताते नहीं है और टोने-टोटके वालों के पास जाते हैं, और इसलिये उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाता है।

श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)—

मैं जानना चाहूंगा कि क्या चेचक के टीके असफल सिद्ध हुये हैं और बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो चेचक रोग पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ऐसा नहीं है । उदाहरण स्वरूप इस वर्ष जनवरी से अप्रैल 74 तक 13,920 चेचक के रोगी खोज निकाले गये । उनमें से 1837 की मृत्यु हो गयी । इसका कारण हो सकता है कि देर से, जब रोग ज्यादा बढ़ गया हो तो तब पता लगा और इलाज किया गया है और अधिक तीमारदारी न होने के कारण मृत्यु हुई है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

2,966 की जो मृत्यु हुई है, इस जिले की सूची को देखा जाय तो पता चलता है कि पहाड़ी जिले ऐसे हैं जहां पर इस रोग से कुछ मरे नहीं हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि जब गरमी की बीमारी है तो गरमी का मौसम या महीना शुरू होने से पहले इस सम्बन्ध में सभी जिलों के अधिकारियों को इस किस्म की सूचना दे दी गयी थी कि यह रोग आगे तक न फैले और इतने लोगों की मृत्यु न हो ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, इसके लिये स्वास्थ्य विभाग बराबर सतर्क रहता है । हमारे प्रदेश में जहां सबसे घनी आबादी है, जिसमें आजमगढ़, बस्ती, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, गोंडा, देवरिया, इलाहाबाद– कुछ जिले हैं जहां घनी आबादी है, वहां ज्यादा मात्रा में यह रोग पाया जाता है और पहाडी जिलों में चूंकि वहां की आबोहवा ठंडी है और आबादी बिखरी हुई है, इसलिये वहां यह रोग कम पाया जाता है ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, चेचक निकल जाने के बाद अगर उसका इलाज कराया जाये तो लोग मर जायेंगे मेरा प्रश्न दूसरा था । चचक का टीका हर दूसरे साल लगाया जाना चाहिये । इस तरह की योजना सरकार ने चला रखी थी । अब नयी योजना का जिक्र किया गया है तो क्या इस योजना क अन्तगत चेचक का टीका लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, विश्व स्वास्थ्य केन्द्र की 15 टीमें और 10 प्रदेश की टीमें यह काम करती हैं, टीका लगाने का । चेचक का टीका लगाने की योजना इस प्रोग्राम में सम्मिलित है ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर चर्चा भी हो चुकी है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांवों में चेचक फैलने की सूचना किस आधार पर प्राप्त होती है । क्या यह सही है कि जब दो चार मौतें हो जाती हैं तब इनके अधिकारी वहां पंहुचते हैं और रोकथाम की व्यवस्था की कोशिश करते हैं, उसके पहले क्यों नहीं की जाती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, व्यवस्था है । ग्राम सभापति को आदेश है कि जब कभी संक्रामक रोग फैले तो उसकी सूचना जिलाधिकारी और चिकित्साधिकारी को भेजे और साथ ही यह जो बीमारी है चेचक की यह कोई हमारे प्रदेश म ही नही है यह विश्व की प्राब्लम है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया. . . ।

श्री अध्यक्ष—

उसका जवाब दिया है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

यह जो सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी लोग धार्मिक अन्धविश्वासों के कारण चेचक का टीका लगवाने से भागते हैं और सरकार के प्रयासों के बावजूद भी यह बीमारी फैल

रही है । तो क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि या किसी ऐसी प्रभाव कारी योजना के सम्बन्ध में सोच रहे हैं जिसमें सभी दलों के सदस्यों के सहयोग से अन्धविश्वास को दूर करने में सफलता मिले ।

श्री बलदेव सिह आर्य—

मान्यवर, रूढ़वादिता के कारण छिपाने की कोशिश करते हैं। माननीय सदस्य चाहते हैं कि सबका सहयोग लिया जाये । वह तो देंगे ही ताकि रूढ़वाददिता जो लोगों में विद्यमान है वह दूर हो सके ।

*4—5—श्री शिव सम्पत्ति—

[5वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

*6—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[निरस्त ।]

मेगारवीन्द्रा फार्मास्यूटिकलर्स, हैदराबाद को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट घोषित किया जाना

*7—श्री राम सेवक यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अब से लगभग 2 वर्ष पूर्व मेगारवीन्द्रा फार्मास्यूटिकलर्स हैदराबाद को उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लक लिस्ट घोषित किया था ? यदि हां, तो ब्लैक लिस्ट किये जाने के क्या कारण थे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

आपके आदेशों का पालन कर्मचारी क्यों नहीं करते ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आदेशों का पालन नहीं होता ऐसी बात नहीं है, बल्कि सूचना एकत्र करने में समय लग जाता है ।

*8—श्री पुरूषोत्तम कौशिक—

[5वें शुक्रवार के लिये स्थगति ।]

जिला गोरखपुर में अतिवृष्टि से जन-धन की हानि

*9—श्री पुरूषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि सितम्बर, अक्तूबर, 1973 में अतिवृष्टि से प्रदेश में कौन सा जनपद प्रभावित हुआ ? उस जनपद में अधिकतम वृष्टि कितने इंच हुई, जन-धन को कितनी क्षति हुई, कितन एकड़ फसल नष्ट हुई, कितने मकान धराशायी हुये तथा सरकार से क्या क्षति पूर्ति की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सितम्बर अक्तूबर 1973 में जिला गोरखपुर अतिवृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित रहा इस जिल में उक्त अवधि में 813.80 मि0मी0 वर्षा हुई ।

अतिवृष्टि से 13 मनुष्य व 4 पशुओं की मृत्यु हुई। 4,17,097 एकड़ फसल नष्ट हुई व 34,818 मकानों को क्षति पहुंची। कुल फसल व मकानों की क्षति का मूल्यांकन 5,15,29,800 रुपए अनुमानित किया गया।

सरकार ने प्रभावित असहाय लोगों को 1,05,700 निःशुल्क सहायता 6,85,060 रु0 आपदा तकावी 18,64,595 रु0 गृह-निर्माण अनुदान 4,65,500 रु0 गृह निर्माण ऋण वितरित किया गया। मालगुजारी तथा विकास कर में नियमानुसार छूट व स्थगन की सुविधा भी दी जायगी। इसके अतिरिक्त जिले के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित पूरे क्षेत्र में 5,51,304-76 रु0 शिक्षा शुल्क अनुदान 8,00,000 रु0 आपदा तकावी तथा 1 एकड़ तक के काश्तकारों को 24,80,187-04 रुपए का निःशुल्क बीज वितरित किया गया।

लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा ग्लूकोज कांड के पश्चात् खरीदा गया ग्लोकोज

*10—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय की पर्चेज कमेटी द्वारा कानपुर स्थित लाला लाजपतराय मेडिकल कालेज में हुए ग्लूकोज काण्ड के बाद किन-किन फर्मों से ग्लूकोज खरीदने के लिए आर्डर दिए गए और उस दवा निर्माता कम्पनी का क्या नाम है जिसने कि नवम्बर, 1973 में स्वास्थ्य निदेशालय की पर्चेज कमेटी द्वारा आर्डर पाकर ग्लूकोज सप्लाई किया था परन्तु लाला लाजपतराय मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा इसलिए वापस कर दी गयी थी कि उसमें एक्सपायरी की तिथि से पहले ही फेंगस (जाल) पड़ गए थे। क्या इस कम्पनी को भी ग्लूकोज सप्लाई करने का दुबारा आर्डर दिया गया?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर में ग्लूकोज काण्ड के बाद स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की क्रय समिति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित फर्म हैं जिनकी ग्लूकोज सप्लाई करने के आदेश दिये गये हैं—

1—श्रीमन्त होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, लखनऊ।
2—श्रीमन्त रैलिस इंडिया लिमिटेड, लखनऊ।
3—श्रीमन्त सिप्ला सेल्स डिपो, लखनऊ।
4—श्रीमन्त एलबर्ट डेविड लिमिटेड, लखनऊ।
5—श्रीमन्त यूनिचेम लैब, गाजियाबाद।
6—श्रीमन्त बंगाल इमूनिटो कम्पनी, लखनऊ।

नवम्बर, 1973 में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के पर्चेज कमेटी द्वारा अनुमोदित किसी भी फर्म को ग्लूकोज सप्लाई करने का आर्डर नहीं दिया गया। अतएव प्रश्न के शेष भाग का उत्तर दिये जाने का सवाल नहीं उठता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह क्रय समिति किस आधार पर अनुमोदित करती है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उसका आधार तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि यह मामला प्राविधिक है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस चीज का क्रय किस आधार पर किया जाता है ? और जिन फर्मों को चुना गया है माल खरीदने के लिए क्या उन फर्मों के ग्लूकोज के सैम्पिल को पहले एग्जामिन करके देखा लिया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

बिना एक्जामिन किए खरीद लिया जाय यह कैसे सम्भव है, ग्लूकोज वगैरह पहले टेस्ट तो जरूर किया गया होगा।

श्री हिम्मत सिंह--

मान्यवर, आर्या जी हर चीज का हाइपोथेटिकल उत्तर दे रहे हैं, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। उत्तर स्पष्ट आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप सन्तुष्ट हो जायं तो क्या किया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इनके उत्तर से मान्यवर हम कतई सन्तुष्ट नहीं हैं। एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया उत्तर में यही कह दिया गया कि "किया गया होगा"। स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

श्रीमन्, मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि सैम्पिल को टेस्ट किया गया या नहीं ? हां या नहीं में माननीय मन्त्री जी उत्तर दें।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैंने तो स्वीकार किया है कि हुआ है।

श्री भीखा लाल--

श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे और जैसा प्रश्न में कहा गया है कि लाला लाजपतराय मेडिकल कालेज में जो ग्लूकोज सप्लाई किया गया था उसकी एक्सपायरी डेट समाप्त हो गयी थी और उसमें फंगस पड़ गया था और वह वापस किया गया था। तो क्या इस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मैंने जो नाम अभी पढ़े हैं और जिनके पते दिये हैं उन्हीं कम्पनियों से ग्लूकोज क्रय किया जाता है। यदि और किसी कम्पनी से ग्लूकोज क्रय किया जाता है तो उसकी सूचना मेरे पास नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि यही कम्पनियां हैं जिनसे ग्लूकोज क्रय किया जाता है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि अवैध कम्पनियों से किन-किन जिलों के अस्पतालों के लिये ग्लूकोज खरीदा गया था और यदि आपके पास सूचना है तो उसको दें ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न शायद यह है कि ग्लूकोज कहां से मंगाया गया था?

श्री राम अधार--

हमारा कहना है कि इसके पहले जो अवैध कम्पनियां घोषित कर दी गयी थीं उन कम्पनियों से किन-किन जिलों के अस्पतालों क लिये ग्लूकोज खरीदा गया था ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप नया सवाल कर रहे हैं ।

गांव सभा असरौली, जिला एटा द्वारा अनाज गोदाम, एटा को हस्तांतरित भूमि का मुआविजा

* 11--श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिला के विकास क्षेत्र शीतलपुर की गांव सभा असरौली की जो भूमि फूड ग्रेन गोदाम एटा ने भवन निर्माण हेतु पट्टे पर ली थी तथा जिसकी कीमत मुबलिग 15,000 रु० (पन्द्रह हजार रुपया) सरकारी कोष में जमा की गई थी यह धन उपरोक्त गांव सभा को अभी तक नहीं दिया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिला एटा के गांव असरौली में 30 बीघा भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत गांव सभा से पुनर्ग्रहीत कर अनाज गोदाम के लिये हस्तान्तरित की गई थी । उक्त प्राविधान के अन्तर्गत गांव सभा के बल प्रश्न गत भूमि पर किये गये विकास कार्य के लिए ही प्रतिकर पाने की हकदार हैं । चूंकि इस भूमि पर गांव सभा द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया था और भूमि का स्वामित्व सरकार में निहित था इस कारण गांव सभा को कोई भुगतान नहीं किया गया ।

श्री गंगा प्रसाद--

श्रीमन्, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा असरौली ने एक प्रस्ताव पास करके और प्रधान ने कई बार इस बात की प्रार्थना की है कि गांव में खड़ंजा, स्कूल, सड़क आदि बनाने के लिये उसको रकम वापस की जाय तो क्यों अभी तक रकम उसको वापस नहीं की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, माननीय सदस्य शायद भूल कर रहे हैं । उनका प्रस्ताव आया कि हमको विकास करने के लिये रुपया दिया जाय । पर कानून यह है कि ग्राम सभा की जो जमीन एक्वायर की जाय उसके पहले यदि ग्राम सभा ने उस पर विकास किया है तो रुपया दिया जाय ऐसे नहीं ।

श्री गंगा प्रसाद--

मैं मन्त्री जी से जानकारी चाहता हूं कि गोदाम बनाने के लिये जमीन पट्टे पर 15 हजार रुपये में ली गयी थी फिर क्या कारण है कि ग्राम सभा को विकास के लिये रुपया नहीं दिया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, ग्राम सभा के पास जो जमीन होती है, ग्राम सभा उसकी मालिक नहीं होती है । वह केवल उस जमीन का इंतजाम करती है । मालिक तो उसकी सरकार है । सरकार उसको ले सकती है और मुआवजा तभी दे सकती है जब ग्राम सभा उस पर विकास कर चुकी हो ।

श्री गंगा प्रसाद---

श्रीमन्, यह गोदाम जो बना है सेंट्रल गवर्नमेन्ट का है। उसके लिये रुपया रखा गया और तय हुआ कि ग्राम सभा को रुपया दिया जाय जिसको वह अपने विकास में लगाये, तो रुपया क्यों नहीं दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, इसमें समझने की बात तो यह है कि जमीन सरकार की है और सरकार जब चाहे ले सकती है। माननीय सदस्य पहले नियमों को पढ़ लें।

प्रदेश में पर्यटन निगम का गठन

*12--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में पर्यटन निगम गठित करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो निगम का गठन कब तक किया जायगा तथा उसकी पूर्ण रूप-रेखा क्या होगी ?

वन तथा पर्यटन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

जी हां। निगम के शीघ्र ही गठित हो जाने की आशा है। यह एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होगी। "मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन" की रूप-रेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

नौगढ़, जिला बस्ती के सैनेटरी इंस्पेक्टर का स्थानान्तरण

*13--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के नौगढ़ तहसील के सैनेटरी इन्स्पेक्टर, बस्ती जिले में अब तक कितने वर्षों तक इस हैसियत से काम कर चुके और नौगढ़ में कितने वर्षों से हैं ? उनका अब तक कितनी बार स्थानान्तरण हुआ और कितनी बार रद्द हुआ और क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जिला बस्ती के नौगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सैनेटरी इन्स्पेक्टर बस्ती जिले में सेनेटरी इन्सपेक्टर के पद पर अब तक कुल मिलाकर लगभग 11 वर्ष 7 महीने रह चुके हैं। नौगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में यह 4-6-71 से कार्यरत हैं। बस्ती जिले से तीन बार स्थानान्तरण हुआ जिसमें से एक बार प्रशासनिक एवं पारिवारिक कारणों से उसे रद्द किया गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सैनेटरी इन्स्पेक्टर किस जिले के रहने वाले हैं और 11 वर्ष तक इनका बस्ती से स्थानान्तरण न होने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, वह किस जिले के हैं इसकी मुझे सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन यह दो बार जिले से बाहर गये, एक बार इनका ट्रांस्फर बस्ती से गोंडा हुआ, दूसरी बार गोंडा से गोरखपुर हुआ और गोरखपुर के बाद अब आये हैं बस्ती के नौगढ़ तहसील में। आमतौर पर विकास खंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक कार्यकर्ता 5 साल तक रह सकता है और जिले में वह 10 साल तक अलग-अलग केंद्रों में रह सकता है। इनको आये हुए अब 11 साल कुछ महीने हो गये हैं। इसलिये एक साल कुछ महीने अधिक हो गये हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सेंनेटरी इन्पेक्टर के खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी क्या जांच करवाया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, शिकायतों की सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाय कि उसके खिलाफ क्या-क्या शिकायतें हैं तो जांच करा दी जायेगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं तो यह कहता हूं कि यह बस्ती जिले के रहने वाले हैं । आफिशियल प्रेशर से इनका ट्रांस्फर बराबर कैंसिल होता रहा है । अतः इनका ट्रांस्फर क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, यदि यह चाहते हैं कि उसका ट्रांस्फर हो क्योंकि इनको शिकायत है कि वह बस्ती जिल के रहने वाले हैं । तो अब यह प्रश्न सामने आया है इसलिये हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह गोंडा और गोरखपुर में कितने दिन रहा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

वह गोंडा में 17-2-67 से 28-5-68 तक रहा और गोरखसुर में 29-5-68 से 31-5-70 तक रहा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, वहां की पब्लिक बहुत परेशान है। इन्स्पेक्टर का भाई मेडिकल विभाग में काम करता है इसलिये प्रेशर डाल करके ट्रांस्फर कैंसिल करवाते हैं । इसलिये भ्रष्ट आदमी का ट्रांस्फर होना चाहिये ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, वह भ्रष्ट आदमी है इसलिये उसको हटवायें ।

*14---श्री सत्य प्रकाश---

[7वें गुरुवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला आजमगढ़ के हरिजनों को आवास हेतु भूमि का आवंटन

*15---श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के कितने गांवों में हरिजन परिवारों को आवास के लिये अब तक निःशुल्क भूमि दी गई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

आजमगढ़ जनपद के 3156 ग्रामों में 35,258 हरिजन परिवारों को आवास के लिये निःशुल्क भूमि आवंटित कर उन्हें कब्जा दिया जा चुका है ।

*16---श्री शिव प्रसाद---

[4थे मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रदेश के चकबन्दी विभाग के पदों का स्थायीकरण

*17—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या माल मंत्री को जानकारी है कि शासन ने दिनांक 15 फरवरी, 1974 को चकबन्दी विभाग के कतिपय अस्थायी पदों के स्थायीकरण हेतु आदेश प्रसारित किये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश के अधीन कितने सी0 ओ0, ए0 सी0 ओ0, क्लर्क, चपरासी तथा पत्र-वाहक एवं चकबन्दीकर्ता के पद स्थायी किये गये हैं ? उनके स्थायीकरण के क्या आधार हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, शासन ने दिनांक 15 फरवरी, 1974 को चकबन्दी विभाग के 90 चकबन्दी अधिकारी, 407 सहायक चकबन्दी अधिकारी, 417 चकबन्दीकर्त्ता, 75 लिपिक, 950 चपरासी तथा 412 पत्रवाहकों के पद स्थायी कर दिए हैं। इन पदों के स्थायीकरण का मुख्य आधार पदों की पिछले कई वर्षों से निस्तरता एवं उनके आगे कुछ वर्षों तक समाप्त न होने की संभावना है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

सरकार का यह फैसला था कि जो कर्मचारी 3 साल की अवधि पार कर चुके हैं, ऐसे सभी कर्मचारी कन्फर्म कर दिये जायेंगे। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी देंगे कि अभी भी कितने ऐसे सी0 ओ0, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्त्ता, लिपिक आदि प्रदेश में ऐसे हैं जो 3 साल की अवधि पार कर चुके हैं और कन्फर्म नहीं हुए हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह प्रश्न तो दूसरा है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, एक-एक दफ्तर में कई-कई कर्मचारी होते हैं कुछ तो कन्फर्म हैं और कुछ नहीं, तो.....

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे तो उसको देख लिया जायेगा।

थानाध्यक्ष हजरतपुर, जिला बदायूं द्वारा तथाकथित घड़ियाल का मारा जाना

*18—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि बदायूं जिले के थाना हजरतपुर के थानाध्यक्ष ने मार्च 1974 में रामगंगा नदी में एक बड़ा घड़ियाल मारा और उसकी खाल 5 हजार रुपये में एक विदेशी के हाथ बेच दी। यदि हां, तो सरकार ने तत्काल क्या कार्यवाही की और भविष्य में और घड़ियाल न मारे जायं उस हेतु तुरन्त क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

बदायूं जिले के थाना हजरतपुर के थानाध्यक्ष ने मार्च, 1974 में रामगंगा नदी में न कोई घड़ियाल मारा और न उसकी खाल किसी विदेशी के हाथ बेची है। अतः तत्काल कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[श्री अजीत प्रताप सिंह]

प्रदेश में वन्य जन्तु (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत घड़ियाल संरक्षित (protected) जन्तु हैं ।

*19—श्री त्रिवेणी सहाय—

[5वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

अतारांकित प्रश्न

फूलपुर—सिधोरा व रामेश्वर—लोकापुर सड़क, वाराणसी पर टस्ट वर्क के अन्तर्गत मिट्टी का डालना

1—श्री ऊदल—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राहत कार्य में फूलपुर से सिधोरा सड़क रामेश्वर से लोकापुर सड़क ब्लाक पिड़रा, जिला वाराणसी का कार्य मिट्टी पड़ने का भी अधूरा रह गया है, यदि हां, तो क्या इस वर्ष अधूरे कार्य को पूरा कराया जायगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां ।

इन सड़कों पर टेस्ट वर्क द्वारा मिट्टी का कार्य पूरा कराने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब इस क्षेत्र में टेस्ट वर्क चलाने की आवश्यकता हो । इस वर्ष इस क्षेत्र में अब तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है ।

बांसी नगर, जिला बस्ती की महिला डाक्टर का निवास स्थान

2—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला के बांसी नगर में महिला चिकित्सालय कब से कायम है, किस भवन में है तथा उसकी महिला डाक्टर कहां रहती है ?

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पान्डेय)—

जिला बस्ती में बांसी का महिला चिकित्सालय वर्ष 1956 से कायम है। वर्तमान समय में यह बांसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में कार्यरत है और उसकी महिला डाक्टर उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के एक अंग में रहती है ।

प्रदेश में निजी तथा राजकीय ब्लड बैंक की संख्या

3—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में इस समय कितने ब्लड बैंक हैं ? उनमें से कितने राजकीय तथा कितने निजी हैं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

अब तक एकत्रित की जा सकी सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 63 ब्लड बैंक हैं, इनमें दो लाइसेंस्ड निजी ब्लड बैंक हैं तथा 61 राजकीय ब्लड बैंक हैं ।

श्री हरनाम सिंह कम्पाउन्डर, जिला एटा को वेतन मिलने में विलम्ब

4—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में ऐसे कितने कम्पाउन्डर हैं जिनको 60 वर्ष के उपरान्त भी सेवा में 1973 में रखा गया है ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और क्या उन्हें वेतन दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जिला एटा में ऐसे केवल एक फार्मेसिस्ट श्री हरनाम सिंह 1973 में 60 वर्ष की आयु के बाद पुनर्नियुक्ति में रहे जिनके विषय में कुछ तथ्यों की जानकारी के अभाव में उनकी पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति के आदेश विलम्ब से जारी होने के कारण उन्हें पुनर्नियुक्ति काल का वेतन नहीं मिल सका। आवश्यक आदेश अब जारी कर दिए गए हैं तथा जिले के अधिकारियों को, श्री सिंह को उनके अवशेष वेतन का तत्काल भुगतान किये जाने के आदेश भी दे दिये गये हैं।

5—6—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

[निरस्त]

जिला टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी में टेम्पोरेरी शौचालय व मूत्रालय का निर्माण

7—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल, चमोली, टिहरी-गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों में गत तीन वर्षों में यात्रा सीजन में कुल कितने टेम्पोरेरी शौचालय व मूत्रालय बनाये गये हैं और उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ है? क्या सरकार इन स्थानों पर पक्के शौचालय आदि बनाने की योजना बना रही है?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

प्रश्नगत अवधि में प्रत्येक जिले में बनाये गये टेम्पोरेरी शौचालय एवं मूत्रालय तथा उनपर व्यय की गई धनराशि का ब्योरा निम्न है:—

वर्ष	शौचालय	मूत्रालय	व्यय (रुपयों में)
पौड़ी-गढ़वाल			
1971-72	68	32	4581.00
1972-73	85	47	4581.00
1973-74	104	4	10769.00
चमोली			
1971-72	536	123	23724.00
1972-73	536	123	26510.00
1973-74	536	123	27472.00
टिहरी-गढ़वाल			
1971-72	56	56	2240.00
1972-73	56	56	2240.00
1973-74	56	56	3200.00
उत्तरकाशी			
1971-72	168	94	20625.00
1972-73	176	94	17964.00
1973-74	251	96	15436.00

उपरोक्त स्थानों पर पक्के शौचालय आदि बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

तहसील खटीमा व सितारगंज, जिला नैनीताल के सरकारी आम के बागों से आमदनी

8—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतावेंगे कि जिला नैनीताल में तहसील खटीमा व सितारगंज के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में कितने-कितने रकबे पर आम के पेड़ों के सरकारी बाग खड़े हैं और इन प्रत्येक बागों से सन् 1972 व 1973 में कितनी-कितनी आमदनी सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला ननीताल में तहसील खटीमा में 18 बाग आम के 88 बीघा 12 बिस्वा क्षेत्रफल पर हैं। 1972 में इनसे कोई आय नहीं हुई। 1973 में 305 रु0 की आय हुई।

सितारगंज में 7 बाग आम के 88 बीघा 5 बिस्वा क्षेत्रफल पर हैं। 1972 में इनसे कोई आय नहीं हुई। 1973 में 155 रु0 की आय हुई। बागों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ..453...पर)

लखीमपुर जिले के खीरी डिवीजन में चोरी से शिकार करने के अभियोग में पकड़े गये शिकारी

9—श्री मोहम्मद रफी खां—

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1969 व 1970 व 1971–72 में लखीमपुर जिले में नार्थ खीरी डिवीजन में कितने लोग चोरी से शिकार खेलते पकड़े गये और उन लोगों से क्या जुर्माना वसूल किया गया और सरकारी रिकार्ड के मुताबिक उन लोगों के नाम व पूरे पते क्या हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वर्ष 1969 व 70 व 71–72 में लखीमपुर जिले के नार्थ खीरी डिवीजन में 57 लोग चोरी से शिकार खेलते पकड़े गये। इनमें से 49 लोगों से 18,020 रु0 जर्माना वसूल किया गया, तीन (3) लोगों के केस कोर्ट में भेजे गये हैं तथा एक आदमी का केस जांच में है। 3 आदमियों के केसों को निर्दोष होने के कारण समाप्त किया गया है, व एक आदमी को कोर्ट ने छोड़ दिया। सरकारी रिकार्ड के मुताबिक उक्त लोगों के नाम व पूरे पते की सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ..454-459..पर)

जिला वाराणसी में ट्रेजरी विभाग के लिए इमारत की मांग

10—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में ट्रेजरी विभाग की अपनी कोई इमारत नहीं है? यदि हां, तो इसका प्रबन्ध कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वाराणसी में ट्रेजरी विभाग की अपनी कोई इमारत नहीं है। वित्तीय साधनों के अभाव में निकट भविष्य में इसके बनने की संभावना नहीं है।

भारत परिसीमन आयोग की अधिसूचना†

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत परिसीमन आयोग की अधिसूचना दिनांक 8 दिसम्बर, 1973 द्वारा प्रख्यापित आदेश संख्या 8 को, परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा तथा दैनिक भत्तों का भुगतान) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973†

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज (2) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 440-बी/33-235-72, दिनांक 13 फरवरी, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा तथा दैनिक भत्तों का भुगतान) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973, जो दिनांक 9 मई, 1973 को सदन के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव विधान सभा---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1974 जिसे विधान सभा ने दिनांक 10 जून, 1974 को पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 27 जून, 1974 को वापस प्राप्त हो गया है।

वित्त मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

कल श्री बादाम सिंह जी ने वित्त मन्त्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। उनका कहना यह है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी ने अपने भाषण में कहा है कि बरेली स्थित एस0 आर0 शुगर फैक्ट्री में चीनी के एक लाख 7 हजार बोरे सरकार ने कुर्क किये हैं, जब कि श्री बादाम सिंह जी का कहना यह है कि स्टाक में कुल 11,745 बोरे हैं। यह तथ्य की भूल है और इसीलिये उनका कहना है कि उन्होंने सदन को गुमराह किया है।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं आई है, मैं पहली जुलाई को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

आपको 26-6-74 को प्राप्त हो गई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैंने सूचना बरेली से मंगाई है।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष---

इसको पहली जुलाई तक के लिये टाला जाता है ।

राजस्व मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक और विशेषाधिकार की सूचना श्री रामवचन यादव ने राजस्व मन्त्री के विरुद्ध इस आधार पर दी है कि 25-6-74 को सदन में राजस्व के अनुदान का उत्तर देते समय उनके सम्बन्ध में ये कहा है कि चकबन्दी अधिकारियों पर प्रभाव डालकर चकों को अच्छे कटवा लिये हैं । माननीय राजस्व मन्त्री ने 25-6-74 को निम्नलिखित शब्द कहे थे:---

"अगर उस बात का सबूत जानना चाहते हैं तो हमारे रामवचन जी यादव जो बड़े गुस्से में खड़े हुए थे उन्होंने यह शिकायत की कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार है ।" मैंने उसकी इंक्वायरी अपने ज्वाइन्ट डायरेक्टर से करवाई और उनकी जो रिपोर्ट आयी है उसमें यह है कि राम वचन यादव जी ने अपने चक अच्छे बनवा लिये हैं जो कि नहीं बनने चाहिये थे । मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता था । यह माननीय रामवचन यादव जी का है । माननीय मन्त्री जी अपना स्पष्टीकरण करेंगे कि उनका क्या मतलब था । इसके बाद आगे बढ़ेंगे ।

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

यह प्रश्न इस बात पर उठा था कि माननीय सदस्यों को प्रेसर नहीं डालना चाहिये । नेता विरोधी दल ने कहा "विपक्ष से" । जब चौधरी साहब बैठ गये तो मैंने यह कहा कि मैंने जांच करवायी ज्वाइन्ट डायरेक्टर से जिसमें यह आया कि रामवचन जी के चक अच्छे बने हुए हैं । वह रिपोर्ट मौजूद है । आप भी देख लें ।

*श्री रामवचन (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 30 दिसम्बर को घर गये एक दिन को । 15 जनवरी को 75 प्रतिशत किसानों ने हमें दरखास्त लिखकर दी कि गरीबों की चकबन्दी खराब की गयी है और फिर से करायी जाय । 15 जनवरी को दो, तीन महीने हो गये, मन्त्री जी ने जांच नहीं करवाई । फिर चकबन्दी आयुक्त को उसी की एक कापी दी 18 अप्रेल को और राजस्व मन्त्री को पत्र लिखा जिसे मैं पढ़े देता हूं: मैं विधान सभा क्षेत्र फूलपुर, जिला आजमगढ़ का सदस्य हूं । मेरे ग्राम नोहरा तहसील फूलपुर आजमगढ़ में चकबन्दी चल रही है । सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रस्तावित चक काश्तकारों को मान्य नहीं है जिसके लिये काश्तकारान श्रीमान् एस0 ओ0 सी0 और डी0 डी0 सी0 महोदय के यहां दिनांक 18 जनवरी, 74 को दरखास्त दिये कि ए0 सी0 ओ0 महोदय अवैधानिक तरीके से गरीबों का चक खराब कर दिये हैं जिसकी सुनवाई नहीं हुई । 70, 80 प्रतिशत काश्तकारान ऐ0 सी0 ओ0 के प्रस्तावित चक से सन्तुष्ट नहीं हैं और चकबन्दी अधिकारी महोदय के यहां दरख्वास्त भी दिये हैं । मैं गांव में गया, काश्तकारों से मिला अधिकांश लोग असंतुष्ट हैं । काश्तकारान श्रीमान् राजस्व मन्त्री एवं आयुक्त चकबन्दी महोदय के यहां भी 15 जनवरी को दरख्वास्त दिये और मैं स्वयं उन दरखास्तों को श्रीमान् आयुक्त महोदय और राजस्व मन्त्री जी को दिया था । परन्तु अभी तक दरख्वास्त के आधार पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और न तो काश्तकारों का चक ही दुरुस्त किया गया । चकबन्दी अधिकारी व बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी ने भी कोई ध्यान काश्तकारों के चक पर नहीं दिया । अतः मेरी धारणा है कि ए0 सी0 ओ0 क्षेत्र नं0 43 (ईश्वर शरण लाल) एवं चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र नं0 9 व सी0ओ0 (मिश्रा) एस0 ओ0 सी0 के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खिलाफ जांच कमिश्नर के स्तर से कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और उनका स्थानान्तरण किया जाय और वर्तमान चकों को रद्द करके पुनः चकबन्दी कराने के आदेश दिये जायें।

21 मई को मुख्य मन्त्री जी को लिखकर दिया, तब राजस्व मंत्री जी को लिखने के बाद कार्यवाही नहीं हुई। तब ज्वाइन्ट डाइरेक्टर की रिपोर्ट आई। चकबन्दी हमारी अच्छी नहीं है। हमसे बीसों की अच्छी है। अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो इसकी जांच करा लें। हम तो गरीबों के लिये लड़ रहे हैं। हमारी चकबन्दी उलट दी जाय और सब बड़े आदमियों की फिर से चकबन्दी कराई जाय। वहां के एस० ओ० सी० रिवर्ट हो गये थे, लेकिन उन्हें फिर से रोक दिया गया। मेरी चकबन्दी कहां अच्छी हुई है। मैं तो अस्पताल में भर्ती था। केवल दो दिन को, एक 30 दिसम्बर को और एक होली में गया था। मुझको तो ए० सी० ओ० और सी० ओ० पहचानते भी नहीं हैं कि किस सूरत का हूं। हम उनसे मिले नहीं, सिफारिश नहीं की। उन्होंने हमारे भाई की और हमारे खानदान वालों की चकबन्दी खराब कर दिया। बड़े काश्तकारों और जमींदारों को अच्छी चक दी है। आप मेरे गांव में, मान्यवर, चलिये और देख लीजिये। केवल हमारे और राजस्व मन्त्री जी के बयान को न मानें बल्कि खुद चलकर इसको वहां देख लें।

तीन महीने हुए, जनवरी में राजस्व मंत्री जी को लिखा था लेकिन 15 जनवरी से अप्रैल तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब मजबूर होकर मुख्य मन्त्री जी के पास दरख्वास्त देना पड़ा और तब उन्होंने ज्वाइन्ट डाइरेक्टर को रिपोर्ट के लिये भेजा, सेक्रेटरी को भेजा। और तब जाकर कहीं जांच हुई। इनके कारण, मान्यवर, जांच नहीं हुई। यह तो बड़े किसानों के हक में है, गरीबों के नहीं। यह 20 प्रतिशत, बड़े लोगों के हक में है और 80 प्रतिशत गरीबों के हक में लड़ रहा हूं। कहते हैं कि हमारी चकबन्दी अच्छी बना दी। मान्यवर, 10 हजार रुपया हमारा मुंह बन्द करने के लिये लिये गये बड़े-बड़े किसानों से और वह 10 हजार रुपया एस० ओ० सी० को दिया गया। ऐसे एस० ओ० सी० को बजाय सस्पेंड करने या तनुज्जली करने के, उनके रिवर्जन को रोक दिया। इस प्रकार, मान्यवर, जो राजस्व मन्त्री जी ने बयान दिया है, उससे हमारी प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंची है और सदन का अवमान हुआ है। मान्यवर, इसमें उचित आज्ञा दें। मैं तो कमजोर हूं और ठीक से बोल भी नहीं सकता हूं।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, अभी राजस्व मन्त्री जी ने अपने बयान में कहा कि इनके आवेदन-पत्र थे। इन्होंने कई शिकायतें कीं, अपने यहां की चकबन्दी के खिलाफ लेकिन मन्त्री जी ने कोई जांच नहीं करवाई। तब इन्होंने मुख्य मन्त्री जी को लिखा। तब ज्वाइन्ट डाइरेक्टर के जरिये जांच हुई और जांच में ज्वाइन्ट डाइरेक्टर की रिपोर्ट है कि इन्होंने अच्छी चक बना ली है। अगर इन्होंने अच्छी चक बनाई होती तो यह क्यों उसे रद्द करने की कोशिश करते? यह जो सारी घटना है, और जो माननीय सदस्य ने कहा है और जो राजस्व मन्त्री जी का बयान है, इससे सचमुच माननीय सदस्य को धक्का लगा है और यह माननीय सदस्य का अवमान हुआ है कि इन्होंने अच्छा चक बनवा लिया है।

श्री अध्यक्ष---

अभी माननीय सदस्य ने अपनी बात कही। माननीय मन्त्री जी ने ज्वाइन्ट डाइरेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर इत्तला दी। माननीय सदस्य और राजस्व मन्त्री जी, दोनों के वक्तव्य आ गये हैं....

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

ज्वायंट डायरेक्टर की रिपोर्ट माननीय सदस्य की शिकायत पर है। उन्होंने शिकायत की कि सारे चक रद्द कर दिये जायं उस पर मन्त्री महोदय कहते हैं कि रामवचन जी के चक अच्छे हैं। अब रामवचन जी सन्तुष्ट होते तो शिकायत क्यों करते? जब आप कहते हैं कि

[चौ० चरण सिंह]

प्रेशराइज्ड करते हैं अफसरों को, ट्रांसफर रुकवाते हैं अथवा अफसरों के ट्रांसफर के लिये कहते हैं। यह उनकी नीयत पर हमला है। मामला उल्टा है। एक आदमी के रिवर्शन का आर्डर हो गया तो उल्टे मन्त्री महोदय ने उसे रोक दिया।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

चौधरी साहब राजस्व विभाग के विशेषज्ञ हैं। उनका कहना है कि माननीय सदस्य ने जब स्वयं दरख्वास्त दी इसलिए उनका कसूर नहीं हो सकता। मैं राम वचन जी पर लांछन नहीं लगा रहा हूं। चकबन्दी में चकों के बनने का बड़ा लम्बा प्रोसीजर है। ए० सी० ओ०, से एस० ओ० सी० तक चेंज होते हैं। तो मैंने उस रिपोर्ट से पढ़कर ही बतलाया था। यह सही है कि हमारे रामवचन जी ने शिकायत की लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब देखा कि दूसरी पार्टी के चक अच्छे बन गये, उसको ज्यादा फायदा हो गया तो उसे काउंटर करने के लिए एक शिकायत कर दी। दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए भी दरख्वास्त दी जा सकती है। इसलिए यह कहना कि उन्होंने दरख्वास्त दे दी इसलिए कि वह निष्पक्ष थे इसका उल्टा भी हो सकता है।

चौधरी चरण सिंह---

आपने यह सब कह कर और वर्स कर दिया। उन्होंने सारी चकबन्दी को बदलने के लिए दरख्वास्त दी लेकिन माननीय मन्त्री कह रहे हैं कि उसका अर्थ दूसरा भी हो सकता है। आपने एक इंकरेंस निकाल लिया। चेरिटेबिल के बजाय उसे अनचेरिटेबिल बना दिया। जब माननीय मन्त्री उसका ऐसा मतलब निकालते हैं तो मेरा अनुरोध है कि इसको अवश्य विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि सही बात का पता चल सके।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

किसी का अच्छा चक बन जाय यह कुदरत मंजूर नहीं करती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

यादव जी ने ठीक कहा कि किस स्टेज पर ठीक कराया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह नहीं कहा कि ठीक कराया। यह कहा कि उनका चक अच्छा हो गया।

एक सदस्य---

इसका मतलब क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

रिपोर्ट आप पढ़ लें और मतलब आप समझ लें। जहां तक रिपोर्ट का ताल्लुक है उसमें यह आया है कि राम वचन जी के चक भी अच्छे बन गये हैं। अचानक बन गये या कैसे बन गये यह मैंने नहीं कहा। किसी अधिकारी का ट्रांसफर रोका है या नहीं अथवा वह भ्रष्टाचारी है या नहीं, यह मैं कुछ नहीं कहता।

श्री रामसेवक यादव---

माननीय मन्त्री जी ने जिस संदर्भ में यह कहा कि उनके चक अच्छे बन गये हैं इसमें मतलब निकालने की बात कुछ नहीं है, वह शुद्ध आक्षेप है।

(श्री राम बचन यादव के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष---

स्थिति यह है कि मन्त्री जी जवाब दे रहे थे। और उस जवाब देने में जो सरकार से पूछा गया वह भी कार्यवाही में दर्ज है और जो उन्होंने जवाब दिया है, वह अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं देना चाहते थे और नाम नहीं लेना चाहते थे लेकिन उनसे नाम पूछा गया था वह सब कार्यवाही में है। अब स्पष्टीकरण इस मामले का हो गया है और जहां तक विशेषाधिकार का सवाल है चौधरी साहब जानते हैं कि इस पर तो अभी स्पष्टीकरण का मामला था अब इसके बाद विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं इस सम्बन्ध में "कौल और शखधर" की जो पुस्तक है?

उसके पृष्ठ 261 पर लिखा हुआ है:---

"शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां"

"यदि कोई सदस्य या मन्त्री सभा में कोई ऐसा वक्तव्य देता है जो किसी अन्य सदस्य के विचार में असत्य, अपूर्ण या गलत है तो वह विशेषाधिकार का भंग नहीं है। यदि कोई गलत वक्तव्य दिया जाता है तो उस मामले का निपटारा करने के दूसरे रास्ते हैं।"

अब जो निपटारे की बात रही उसके बारे में आप जानते ही हैं कि माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं और दूसरे नियमों के अन्तर्गत रोज प्रश्न आते हैं, उनसे निपटारा हो सकता है। अब मैं इस सम्बन्ध में जो अध्यक्ष के निर्णय हैं उसे भी पढ़े देता हूं:---

"किसी मन्त्री द्वारा दिए गए गलत वक्तव्यों के आधार पर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यदि जान-बूझ कर झूठ बोला जाय और यह प्रमाणित हो जाय तभी विशेषाधिकार भंग होता है। अन्य भूलें तथा गलतियां इस श्रेणी में नहीं आतीं क्योंकि हम हर रोज देखते हैं कि मन्त्री वक्तव्य देते हैं, जिनमें गलतियां होती हैं और फिर वे उन भूलों का सुधार करते हैं।"

आप जानते हैं कि सदन में वक्तव्य भी होते हैं। हमारे जो करण हैं उसके करण 207 जो हैं उसमें भी है:---

207--"सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जायगी उसकी सत्यता का दायित्व शासन पर होगा। यदि किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मंत्री द्वारा सदन में ऐसी सूचना दी जाय जो गलत सिद्ध हो तो मन्त्री सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे, और उसकी सूचना सदन को भी देंगे।"

यह जो विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला है उसके बारे में तो यह समझना है कि राजस्व मन्त्री जी ने भी कहा कि अच्छा चक हो गया और माननीय रामवचन जी यादव ने भी कहा है कि अच्छा चक है। उनका यह भी कहना है कि वे बीमार थे और किसी ए० सी० ओ० या अन्य अधिकारी को नहीं जानते और जैसी विधायक की हैसियत होती है और उसका फायदा उसने उनको बिना उनके चाहे उनको दे दिया हो तो इससे ऐसा लगता है कि इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। ऐसा होता तो ये माननीय मुख्य मन्त्री जी तक नहीं जाते और इसपर कार्यवाही न करते ऐसा मुझको दिखाई पड़ता है। लेकिन यह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का मामला है और यह विशेषाधिकार भंग का मामला नहीं है।

चौधरी चरण सिंह---

श्रीमन्, मैं जरा सी बात अर्ज कर दूं, वैसे तो आपका निर्णय हो गया, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात तो ठीक है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में जैसा होता है कि नीचे से इत्तिला आती है और माननीय मन्त्री जी उसको पढ़ते हैं तो उसके कारण

[चौधरी चरण सिंह]

मिनिस्टर की जिम्मेदारी उस काम के लिये नहीं होती लेकिन जिस संदर्भ में यहां बात कही गयी थी उससे बिलकुल साफ जाहिर था कि माननीय सदस्य प्रेशर डालते हैं और उस सिलसिले में माननीय सदस्य रामवचन जी का नाम लिया बावजूद इसके कि वे कहते रहे कि उनका इससे कोई वास्ता नहीं है लेकिन उसके बावजूद आप जो एक्शप्लेनेशन देते हैं उसमें कहते हैं कि यह भी हो सकता है और एक अनचेरिटेबिल इंटरप्रिटेशन उसका लगाते हैं बजाय चेरिटेबिल इंटरप्रिटेशन के ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे इस बात में सहमत हूं ।

चौधरी चरण सिंह--

जब कि एक माननीय सदस्य जो उतना ही जिम्मेदार है जितना माननीय मंत्री और वह कहता है कि ऐसी बात नहीं है तब शिष्टाचार का, पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस का तकाजा यह था कि वह कहते कि ठीक है आप यह कह रहे हैं लेकिन यह बात न कहकर आप एक अन-चेरिटेबिल एक्सप्लेनेशन देते हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय चौधरी साहब का और मेरा और दूसरे माननीय सदस्यों का सबके इंटरप्रिटेशन में फर्क हो सकता है । मुझे अफसोस है कि चौधरी साहब का इंटरप्रिटेशन जो है वह मेरा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें सही बात है कि चौधरी साहब ने जो बात कही है कि जब एक माननीय सदस्य कहते हैं कि उनका उसमें हाथ नहीं है तो उसका इंटरप्रिटेशन भी उसी तरीके से हो तो अच्छा है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मुझे अफसोस है कि माननीय चौधरी साहब को कुछ तकलीफ हुई लेकिन उतनी तकलीफ मुझे कल हुयी थी जब चौधरी साहब ने यह कहा था कि एक तहसीलदार को आर्डर हो गया था और इतने भ्रष्ट तहसीलदार का ट्रांसफर रुकवा दिया गया और कैंसिल कर दिया है । मैंने नहीं कहा था कि राम वचन जी यादव ने ऐसा किया लेकिन जब मुझसे नाम पूछा गया था तो मैंने कहा रिपोर्ट आयी है । मैं कभी किसी माननीय सदस्य को तकलीफ नहीं देना चाहता । मैं तो चौधरी साहब की गवर्नमेंट में रह चुका हूं और उन्होंने मुझे काफी बातें सिखा दी हैं । मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि उन्हें तकलीफ हो ।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, कल की जो तहसीलदार की बात थी उसे आज आप ला रहे हैं । यह तो बिलकुल परसनल अटैक आप कर रहे हैं । मैंने कल कहा था कि वहां पर लोगों के साथ तहसीलदार क्या बर्ताव कर रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार वहां पर फला हुआ है इसकी अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुयी है । लेकिन उस चीज का इसके साथ क्या वास्ता है । एक उचित चीज को आप औनरेबली मानने को तैयार नहीं ह तो ठीक है ।

पिजन होल्स में साइक्लोस्टाइल्ड पर्चा मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, इससे पूर्व कि आप आगे चलें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो हम लोगों के पीजन होल्स हैं उसमें हर सदस्य को एक-एक साइक्लोस्टाइल्ड कागज मिला है जिसमें एक माननीय सदस्य के खिलाफ लिखा हुआ है और लिखा है कि कुछ मन्त्रि-परिषद् के सदस्य भी उसकी लपेट में आ गये हैं इतना भ्रष्टाचार है.....

श्री अध्यक्ष---

इसे हम देख लेंगे ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने दी है कि सूचना विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित "उत्तर प्रदेश 1973" नामक पुस्तक.....ऐसा ही मामला यहां पर कल भी आया था । जिसे अस्वीकृत किया गया है । दूसरा श्री हिम्मत सिंह ने तहसील कौंच तथा जालौन की सीमाओं से तस्करी द्वारा मध्य प्रदेश को जाने वाले गेहूं के बारे में दिया है । इस बारे में चर्चा हो चुकी है और खाद्य के अनुदान के अवसर पर भी इस पर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । लेकिन नियम 56 के अन्तर्गत यह नहीं आता ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

कार्यवाही के लिए तो इसे आप भेज दें, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष---

यह बात उचित है । तीसरी सूचना माननीय बाबूलाल वर्मा ने दी है जिसमें उन्होंने प्रदेश में मिट्टी के तेल के अभाव के सम्बन्ध में लिखा है । इस पर भी यहां पर चर्चा हो चुकी है.....

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)---

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है । मैं इसे कई दिनों से दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---

रोज-रोज तो उस पर चर्चा नहीं होगी । फिर खाद्य पर जो अनुदान आयेगा उस वक्त भी आपको समय बोलने का मिलेगा.....

श्री बाबू लाल वर्मा---

पूरे प्रदेश में मिट्टी का तेल बन्द कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष---

नियम 56 का यह विषय नहीं है । अस्वीकार किया है ।

श्री बाबू लाल वर्मा ---

यह नियम 56 का विषय है । झोपड़ियों में रहने वाले लोग कैसे अपना गुजर-बसर करेंगे.....

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से नहीं होगा। आप बैठें। आप पहले अपने नेता माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी से पूछ लें..... (व्यवधान) इस प्रकार अव्यवस्था करना ठीक नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जो स्थिति आज इस सरकार की है उसमें अगर हम किसी विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें तो हर कार्य-स्थगन का विषय आयेगा। इसलिये मैं कैसे इस दशा में उनकी सेवा कर सकता हूं।

श्री बाबूलाल वर्मा—

आप मेरे क्षेत्र में जाकर देखें।

श्री अध्यक्ष—

अब एक अन्य दूसरी पुस्तक—"उत्तर प्रदेश, 1973" के बारे में यहां नियम 56 के अन्तर्गत आया है। यह माननीय सदस्यों को दिनों से वितरित की जा रही है, उसके बारे में श्री ओम प्रकाश सिंह ने लिखकर दिया है इसके पृष्ठ 25 पर केवल पृथ्वीराज चौहान के पराजय की बात लिखी गई है, अन्य उनके जीवन के उज्जवल पक्ष के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, उस महान् योद्धा की विजय के बारे में कोई शब्द नहीं है। पृष्ठ 27 पर औरंगजेब की बर्बर नीति के स्थान पर उदारता की नीति का परित्याग शब्द का प्रयोग किया गया है। यह सब आया है....

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, मेरी भी सुन लीजिए। कल जो चर्चा हुई थी वह 1972 की किताब की थी और वह एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी। जबकि यह पुस्तक "उत्तर प्रदेश 1973" सरकार द्वारा, सरकार के सूचना विभाग द्वारा लिखी गई है और उसके द्वारा ही प्रकाशित की गई है। यह फरवरी, 74 की छपी है और विधायकों को दो दिनों से बांटी जा रही है। यह सरकारी प्रकाशन और वितरण है। इसमें एक चैप्टर है—उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास, उसके पृष्ठ 28–29 में केवल 2 श्रेणियों के लोगों के नाम लिखे गये हैं, बाकी सभी प्रमुख आन्दोलनकारियों और क्रांतिकारियों का नाम उसमें से ओझल कर दिया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, मंगल पांडेय का नाम उसमें मेंशन नहीं है। उसी प्रकार चन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, असफाकुल्ला खां का नाम उसमें कहीं नहीं है। और साथ ही पृष्ठ 29 पर सर्वश्री पुरुषोत्तमदास टंडन, डा0 जाकिर हुसैन, आचार्य कृपलानी, भारतरत्न डाक्टर भगवानदास, आचार्य नरेन्द्र देव और उपराष्ट्रपति डाक्टर गोपालस्वरूप पाठक का कोई जिक्र नहीं आया है, भले ही श्री पाठक का नाम छूट जाए क्योंकि वह अभी जीवित हैं, किन्तु अन्य के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। इन लोगों को जानबूझ कर इस पुस्तक से हटाया गया है। यह मेरा आरोप है कि इनका नाम इतिहास के पन्नों से मिटाने का प्रयास किया गया है। सन् 71 के बाद जब से कांग्रेस का कम्युनिस्टों के साथ गठबन्धन हुआ है, तब से देश के उज्जवल इतिहास को जान-बूझ कर झुठलाने और मिटाने का प्रयास बड़े जोरों से किया जा रहा है, काल पात्र में रखे इतिहास का स्पष्टीकरण आज तक नहीं हुआ .... (व्यवधान) बिना उनके नामों के इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई औचित्य नहीं है, ऐसी पुस्तक को फाड़कर फेंक देना चाहिये। (माननीय सदस्य ने उक्त पुस्तक को सदन में फाड़कर फेंक दिया।)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, यह कितना अनुचित काम है, आप देखें, यह सदन का अपमान है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह आचरण अनुचित है, आप कृपा करके आसन ग्रहण करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर दिया था....

श्री अध्यक्ष—

देखिए यह कई बार उठ चुका है—वक्तव्य हुआ है, अल्पसूचित प्रश्न हुआ और भी तरह से उठ चुका है, इसलिए अब इसको अस्वीकार किया है। आपने जब 56 में दिया है, एक चीज को बार-बार दोहराएं तो यह कैसे होगा, अब आप बैठ जाएं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

श्रीमन्, वहां पर इतन दिनों से मुख्य नगर अधिकारी का पद खाली पड़ा है, सरकार खाली रखे है अपने स्वार्थ में। वहां रूल्स ऐण्ड रेगूलेशन्स का बड़ा हनन हो रहा है, स्वयं सरकार उनका वायलेशन कर रही है। बहुगुणा जी एल० एस० जी० ई० डी० का चार्ज अपने पास रखे हैं, इस तरह से वह खुद उनका बड़ा वायलेशन कर रहे हैं। वहां बड़ी अनियमितताएं की जा रही हैं। डा० लोहिया सड़क को रोककर श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा नगर सिबिल लाइंस, बसाया जा रहा है, उनके पिता जी के नाम पर रेवतीरमन बहुगुणा क्रय-विक्रय केन्द्र स्थापित किया जा रहा है, कहां तक बताऊं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब जो है, यह आप सम्बन्धित बजट पर कह सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सरकार वहां कानूनों को तोड़ रही है। आप नियम 56 में नहीं तो नियम 51 में ही इस पर वक्तव्य दिला दें।—

श्री अध्यक्ष—

उस पर हो गया है।

पिजन् होल्स में साइक्लोस्टाइल्ड पर्चा मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री अध्यक्ष—

एक सवाल माननीय रामसेवक यादव ने उठाया है। इस तरह के लिफाफे माननीय सदस्यों को डाक से आये हैं, जो पीजन होल हैं, उनमें मिले हैं। अब प्रश्न यह है कि माननीय सदस्यों की डाक हम देखते नहीं हैं, न देखना चाहिए, किसी डाक को जो डाक कोई भेजता है उसको भी आप रोक नहीं सकते, अगर उस पर टिकट लगा रहे कायदे से तो आ ही जाती है। यह तो डाक के जरिये से भेजा गया है। अगर माननीय सदस्य कहें कि उनकी डाक रोक दी जाय, तो यह उचित नहीं होगा। उसमें जो कुछ भी लिखा हो उसके आधार पर विधान और जो हमारी नियमावली है उसके किसी संगत प्राविधान को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो देखा जायगा। लेकिन कोई बन्द लिफाफा या कोई लिफाफा आ जाय उस पर हम क्या विचार करेंगे? यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे सचिवालय की जिम्मेदारी नहीं है।

(व्यवधान, शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

इसमें क्या लिखा है ?

श्री अध्यक्ष—

डाक से कोई चीज आयी—जैसे कल पुस्तक के बारे में सवाल उठाया गया, अगर यह होगा तो मुझे एक व्यवस्था उस पर लिखित देनी होगी—क्योंकि सूचना का विभाग है, उसकी नीतियों पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन किताब के बारे में अगर माननीय सदन चर्चा करेगा तो समय आप का नष्ट होगा और सरकार के लिये आसानी हो जाएगी। फिर हम विधान सभा नहीं रह जायेंगे। एक पुस्तक देखो जमात या सम्मेलन को होकर रह जायेंगे।

अब रह गया, कोई चिट्ठी माननीय सदस्यों को कहीं से आती है जब तक वह कहीं दुश्मन देश से न आए जिसमें बम रहता हो.....

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से नहीं। त्रिवेणी सहाय जी, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए।

मान लीजिए कि अगर हम रोकें तो ऐसी हालत में रोक सकते हैं जब कभी माननीय सदस्यों के बारे में, कोई खतरा सम्बन्धी चिट्ठी हो, ऐसी भी चिट्ठियां आयी हैं लेकिन यह ऐसी चिट्ठी है नहीं।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

एक निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप पढ़िये नहीं।

श्री रामसेवक यादव—

एकदम नहीं पढ़ूंगा। इतना कह दिया कि वह चिट्ठी एक माननीय सदस्य के बारे में है। उसके साथ यह भी कह दूं कि यह चिट्ठी इस माननीय सदन के सत्तारूढ़ दल से संबंधित है। इसके साथ अध्यक्ष, महोदय....

श्री अध्यक्ष—

चिट्ठी क्या है मैं नहीं जानता।

आप बता सकते हैं, अपनी जानकारी देते हुए लेकिन कोई चिट्ठी होगी, चिड़िया कान ले गई कहने लगे तो आप चिड़िया के पीछे दौड़ेंगे ? सवाल यह है कि माननीय सदस्य अपनी जानकारी पर कह सकते है ? क्या मैं यहां किसी मंत्री को बचाने के लिये नहीं हूं न किसी मंत्री को मैं नियुक्त करता हूं। प्रश्न सिर्फ यह है कि अगर कोई चिट्ठी माननीय सदस्यों के पास बन्द लिफाफे में कहीं से आये उसको कैसे रोका जाय।

श्री रामसेवक यादव—

मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि वह माननीय सदस्यों को मिली। हमने भी पढ़ा और कुछ लोग पढ़े होंगे। जब यकीन है कि चिट्ठी आयी है माननीय सदस्यों ने खोली होगी और पढ़ी होगी। माननीय सदस्य के बारे में हमारी क्या धारणा बनेगा, जो मंत्रियों पर आरोप है उन आरोपों को लकर हमारी क्या धारणा बनेगी। यह सारी की सारी चीजें चलती हैं तो यह हमारा कर्त्तव्य हो

जाता है कि हम जानें और इसकी जांच करें कि किस ने यह चिट्ठी भेजी है और कहां से आई है क्योंकि इसके अन्दर और माननीय सदस्य और मंत्री आते हैं और बेईमानी करने और पैसा कमाने का आक्षेप है ।

श्री अध्यक्ष--

इस निजी चिट्ठी के बारे में जो बाहर से माननीय सदस्यों के नाम आई है उसकी कोई भी जिम्मेदारी इस सचिवालय की नहीं है । ऐसा मैं मानता हूं । (व्यवधान) (शोर)

श्री राम सेवक यादव---

मैं इतने हल्के ढंग से नहीं कहना चाहता हूं कि इन्होंने भिजवाई होगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य घबराते क्यों हैं । यह तो रोज चला करता है । इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।

त्रिवेणी सहाय--

श्री माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अभी हाल में प्रदेश से 30 हजार टन धान बीज के नाम से तराई से बाहर भेजा गया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसको आप यहीं पर खत्म कर दें । अगर यह इतना महत्वपूर्ण है तो आप इतना कानून और विधान जानते हैं और इतना नियमावली से अवगत हो चुके हैं कि विधिवत कार्य करेंगे ।

1974-75 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मागों पर मतदान, अनुदान संख्या 18--सचिवालय, अनुदान संख्या 19--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या 25--अन्य प्रशासनिक सेवायें, अनुदान संख्या 27--प्रकीर्ण सामान्य सेवायें, अनुदान संख्या 21--पुलिस तथा अनुदान संख्या 22--कारागार (क्रमागत)†

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफरनगर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना, यह विशाल प्रदेश है उतनी ही जटिल समस्यायें आर्थिक और सामाजिक विषमतायें, बेकारी और बेरोजगारी इस प्रदेश में आज विद्यमान है । प्रश्न यह है कि इनको हल करने में और जो कठिनाइयां जनता के सामने हैं, उनको दूर करने में वर्तमान सरकार ने क्या कोई कदम उठाया है यह देखना और सोचना है । इस प्रदेश की जनता में कई वर्ग हैं । किसान, औद्योगिक मजदूर, खेतिहर मजदूर, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, लोकल बाडीज के कर्मचारी तथा व्यापारी वर्ग इसमें आते हैं ।

सबसे पहले मैं आपकी आज्ञा से किसानों के संबंध में सरकार ने क्या किया उसकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं इस प्रदेश के इतिहास में सब से पहली दफा किसी भी सरकार ने सवा बारह रुपये और सवा तेरह रुपये क्विंटल गन्ना की कीमत प्रदेश के किसानों को दिलाई है । तो वह यही सरकार है । मैं गन्ना किसान रहा हूं और जो भी माननीय सदस्य गन्ना किसान रहे हैं उनको भी जानकारी होगी कि सीजन के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक कोई भी सरकार एक ही मूल्य किसानों को नहीं दिला सकेंगी बल्कि रिकवरी पर कीमत गिरा दी जाती

---

†26 जून, 1674 की कार्यवाही से ।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

थी। पहली मई के बाद भी रिकवरी पर कीमत गिरा दी जाती थी। लेकिन यह पहली दफा है कि प्रदेशीय सरकार ने अन्त तक जब तक मिलें चली हैं गन्ने की कीमत को गिराने नहीं दिया और वही कीमत किसानों को गन्ने की मिली।

जहां तक फार्टिलाइजर्स का सवाल है। (व्यवधान) कल चौधरी साहब ने सारी बातें कहीं हैं। मैं सारी बातें बताऊंगा जो प्रदेश की जनता की भलाई के लिये सरकार ने की हैं। जहां तक फर्टिलाइजर की बात है, उसकी कीमत केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाई। 5 जून को इसका ऐलान हुआ। प्रदेश में ही नहीं देश भर में इस सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों से काश्तकारों को छुटकारा दिलवाया। और पुरानी कीमतों पर जिस पर कि व्यापारियों ने खरीदा था उन पर ही दिलवाया गया इसी प्रकार वनस्पति का सवाल है। किसी भी सरकार ने मूल्य वृद्धि के बाद पुरानी कीमतों पर वस्तुओं को कन्जूमर्स तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की जो इस सरकार ने की है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर,.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

इस सरकार ने यह कोशिश भी की थी कि गेहूं की कीमत बढ़ायी जाये और इस प्रकार की सिफारिश भी केन्द्रीय सरकार को भेजी थी, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसे नहीं स्वीकार किया। मुझे भी अवसर मिला जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे। उस सरकार ने भी जो मिली जुली सरकार थी, गेहूं की ऊंची कीमतों की सिफारिश की थी, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। मेरी मन्शा यह थी कि इस सरकार ने प्रदेश के किसान वर्ग के हितों की रक्षा के लिये ठोस कदम उठाये हैं। जहां तक श्रमिकों का सवाल है, श्रमिकों और मजदूरों के हितों की रक्षा किस प्रकार की गयी है, इस पर विस्तार से श्रम मंत्री जी ने परसों प्रकाश डाला है। औद्योगिक शांति रही है, औद्योगिक शांति इस बात का सबूत है कि मजदूर व श्रमिक वर्ग संतुष्ट हैं जहां तक काटेज इन्डस्ट्रीज के मजदूर और खेतिहर मजदूरों का सवाल है, उसके हितों की रक्षार्थ उचित न्यूनतम वेजेज दिलाने के लिये, प्रयास किया जायेगा। सेन्ट्रल और पूर्वी यू0पी0 में डेढ़ रुपया मजदूरी मजदूरों को मिलती है। कौन सरकार इसको बरदास्त कर सकती है। काटेज इन्डस्ट्रीज में किसी कर्मचारी या मजदूर का शोषण न हो इसके लिये सरकार ने निश्चय किया है कि उन्हें उचित न्यूनतम वेजेज दिये जायें।

जहां तक हरिजनों का प्रश्न है, पहली सरकार ने आदेश तो भिजवाये थे कि 18 फीसदी से 45 फीसदी जब तक हरिजनों की नियुक्तियां की जायें उनको नौकरी में स्थान दिया जाये। जब तक कि वह 18 हो जावे फीसदी किन्तु पिछली सरकारों ने उसको कार्यान्वित नहीं कराया। अब हरिजनों के लिये पुलिस में 50 प्रतिशत और दूसरी सेवाओं में 45 प्रतिशत का रिजर्वेशन का दिया गया है जब तक वह 18 प्रतिशत का रिजर्वेशन प्राप्त न कर लें। इसी तरह में हरिजनों के लिये मेडिकल कालेज में भी 10 प्रतिशत सीटें सुरक्षित की गयी हैं। छात्रावास भी स्थान सुरक्षित किये गये हैं। वजीफा में 3 करोड़ की धनराशि में इजाफा किया गया है। कुछ समय पूर्व हरिजनों को जो अनुदान दिया जाता था उसे वापस इसी प्रदेश में लिया गया था लकिन मुझे प्रसन्नता है कि इस सरकार ने ऐसा नहीं किया है। मकानों के लिये जमीन मुफ्त दी जा रही है और सीलिंग से जो जमीन मिलेगी वह भी देने का इस सरकार का निश्चय है जिससे उस वर्ग को आर्थिक व सामाजिक न्याय मिल सके। मान्यवर, एक अल्प संख्यक आयोग भी इस सरकार ने स्थापित किया जिससे कि जो आदेश सरकार जारी करती है उनका सही पालन होता रहे। और साथ ही अल्पसंख्यकों (माइनारिटीज) के हितों की भी रक्षा हो।

न जाने कितने दिनों से उर्दू के सिलसिले में प्रदेश की सरकारों ने आदेश जारी किये थे, आदेश मौजूद हैं लेकिन उनका कोई कम्पला येसन नहीं थी, पाबन्दी नहीं थी, इसलि आयोग के

जरिये से यह कोशिश की जायगी कि जो सरकार के आदेश हों, सही तरीके से उनका पालन किया जाय ।

मान्यवर, कोई भाई एतराज करते हैं उर्दू के ऊपर । जब मैं छोटा था, देश गुलाम था, मैंने भी पढ़ी थी मिडिल क्लास में उर्दू और मैंने कुछ खोया नहीं । किसी भी भाषा का ज्ञान इन्सान के लिये ज्ञान की बृद्धि करता है उसकी जानकारी में, और उर्दू कोई अकेले मुसलमान की भाषा नहीं है, वह देश और समाज की भाषा है । वह इस प्रदेश के बहुत से आदमियों की हिन्दू मुसलमानों की भाषा है, इस दृष्टि से सरकार ने उर्दू को बढ़ावा देने के लिये निर्णय लिया है ।

जहां तक व्यापारी वर्ग का प्रश्न है, उसमें बहुत से समाज विरोधी तत्व भी मौजूद हैं । जो चोरबाजारी, जमाखोरी, तस्करी और मुनाफाखोरी के लिये कार्य करते हैं । मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार जबसे आयी है उसने छापे मार कर 1 करोड़ रुपये के करीब वनस्पति का तेल निकाला है जनता और उपभोक्ताओं की भलाई के लिये । और भी छापे मारे गये । कठोर से कठोर दंड भी दिये गये हैं । हथकड़ी लगाकर बाजारों में अपराधियों को घुमाया गया है । दंड और भी कड़ा किया है । आर्डिनेंस निकाल करके, जिसको ऐक्ट का रूप अब दिया जा चुका है, सरकार की यह कोशिश रही है कि मुनाफाखोर जनता की कठिनाइयों को बढ़ा न सकें ।

जहां तक आर्थिक विकास का प्रश्न है, यह बड़ा विशाल प्रदेश है । इस प्रदेश के पूर्वी भाग, मध्य भाग, बुन्देलखंड और पर्वतीय हिस्सा दुर्भाग्य से आजादी के 27 साल बाद भी इतने पिछड़े हुए हैं कि देश के कुछ भाग ही इतने पिछड़े होंगे । इस सरकार ने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इस बात की कोशिश की है कि उन पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये जहां निर्धनतम व्यक्ति वास करता है, विशेष योजनायें लागू की जायं, उद्योग स्थापित किये जायें सड़कों का निर्माण किया जाय । मुझे ऐसा जंचता था कि यह सारा का सारा विरोधी पक्ष निगमों से ऐलर्जिक है (लाल बत्ती होने पर) मुझे 20 मिनट देने की कृपा करें, अभी तो मेरा समय आधा भी नहीं हुआ ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

अगर आप इसे स्वीकार करेंगे तो यह मांग सभी की होगी, फिर सभी को उतना ही समय मिलना चाहिये ।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)---

जब कोई बोलता है तो असरार साहब बार-बार बीच में खड़े होकर टोकते हैं, यह गलत है, इनको रोका जाय ।

श्री अध्यक्ष---

आप 1 बजे तक खत्म कर दें समय ज्यादा नहीं है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

यह जो मौजूदा अनुदान चल रहा है उसी पर महदूद रहें, इधर उधर की बातें करें तो इनको समय नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री बीरेन्द्र वर्मा---

मैं प्रदेश के आर्थिक विकास के विषय में कह रहा था . .

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने समय दिया है तो जो प्वांट है उसी पर बोलें, या तो समय वापस करा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

समय की बात अलग है लेकिन अगर कोई असंगत बोलता है तो उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करने का अधिकार आपको है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

पांच मिनट तो बर्बाद हो ही गये इसका आप ध्यान रखें।

मैं आपकी इजाजत से कह रहा था कि स्वच्छ, चुस्त और प्रभावशाली प्रशासन के लिये सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाये हैं और जैसा कि सतर्कता आयोग की रिपोर्ट से भी जाहिर है, जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ तेजी से ऐक्शन लिया गया है। कल माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी कि ऐक्शन से कुछ फायदा नहीं, मारल अथारिटी भी होनी चाहिये, उसका असर जनता के और कर्मचारियों के ऊपर ज्यादा पड़ता है। मैं यह जानता हूं कि नेता विरोधी दल भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं और भ्रष्टाचार को दबाने की वह चेष्टा भी करते रहे हैं, मारल अथारिटी भी उनके पास है, लेकिन सन् 54 और 57 के बीच जब मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील में चकबन्दी हुई थी किसानों के पास रुपया नहीं रहा था, औरतों के पास जेवरात नहीं रहे थे, चकों की कोई शक्ल नहीं बनी, किसी चक के लिये कोई रास्ता नहीं था, किसी के लिये कोई गूल नहीं थी, तीन सौ किसानों ने रिट किया था हाई कोर्ट में और भूतपूर्व राजस्व मंत्री, वर्तमान नेता विरोधी दल के दरवाजे के सामने उन्होंने भूख हड़ताल की थी, मारल अथारिटी भी थी, लेकिन जितना भ्रष्टाचार तहसील कैराना में उस समय चला था वह बेमिसाल है। किसी भी गांव में जाकर उसकी बाबत में पूछा जा सकता है। 18 अगस्त, 1957 की विधान सभा की कार्यवाही निकाल कर देख लीजिये, किस तरह मैं आज कर रहा हूं उसी प्रकार तब भी मैंने तहसील कैराना में हुई चकबन्दी में रिश्वतखोरी की चर्चायें की थी।

जहां तक पब्लिक मेंस इन्क्वायरी आर्डिनेंस का माननीय चौधरी साहब ने जिक्र किया, चौधरी साहब विरोधी हैं भ्रष्टाचार के मैं मानता हूं लेकिन इस सदन के किसी भी सदस्य ने कम विरोधी भ्रष्टाचार का मैं भी अपने को नहीं मानता। 1970 में जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो सौभाग्य से मैं भी उनके साथ था। दो महीने तक केवल 7 बी0के0डी0 के मिनिस्टर रहे। एक दिन भी उस पब्लिक मेन्स इन्क्वायरी आर्डिनेंस की चर्चा उस सात सदस्यों के कैबिनेट में नहीं आयी तो मैं पहला आदमी होता जो उसके हक में होता और उसको पास कराने के लिये सब से पेश्तर अपना हाथ उठाता। (घोर व्यवधान)

मैं माननीय नेता विरोधी दल के एक बात से मैं अपने आप को सहमत नहीं कर सकता। मुझे दुख है कि हमेशा व्यक्तिगत नाम लेकर इस हाउस में और पब्लिक मीटिंग में भी चर्चा करते हैं। मैं इसी हाउस की प्रोसीडिंग को दिखला सकता हूं जब वे कहा करते थे कि जो अपने आप को यहां डिफेन्स नहीं कर सकता उसका नाम लेना उचित नहीं है। सदन में उन जैसे प्रतिष्ठित आदमी से मैं यह आशा नहीं करता हूं कि वे यहां लोगों का नाम लेकर कुछ कहें या उनकी चर्चा करें। यह मुनासिब नहीं है। 68 फीसदी की बात कही गयी, अब तो सात पार्टियों का मजर हो रहा है, मगर उन्हें तो तजुर्बा होगा कि पहले भी जो यह सब हुआ उसका क्या नतीजा निकला। (व्यवधान)

मान्यवर, मुजफ्फरनगर के ग्राम भनेड़ा की चर्चा यहां हुई है। उस गांव में जहां एक ओर सिपाही मारा गया, वहीं दिन दहाड़े 3 बजे के करीब पुलिस कप्तान और अन्य 50 पुलिस के

आदमियों ने गोली चलाकर 2 आदमियों की हत्या कर दी। यह अच्छा होगा और न्याय संगत भी होगा कि उस कांड की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा करायी जाय।

एक बात मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में कहना चाहता हूं। पी0 सी0 एस0 और पी0 पी0 एस0 का एक साथ सिलेक्शन होता है। जिनके नम्बर ज्यादा होते हैं उनको पी0 सी0 एस0 में ले लिया जाता है, जिनके कुछ कम होते हैं उनको पी0 पी0 एस0 में ले लिया जाता है। सन् 1948 में जिनका पी0 सी0 एस0 में सिलेक्शन हुआ था वे तो वह अभी तक पी0 सी0 एस0 ही चल रहे हैं और जो पी0 पी0 एस0 सिलेक्ट हुए थे वे 1962 तक के आई0 पी0 एस0 में प्रोमोट हो गये। तो इससे पी0 सी0 एस0 में असंतोष चल रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसे देख लें (व्यवधान)।

जिलों में विलेज डिफेंस सोसाइटी की स्थापना होनी चाहिये मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लाइसेंसीज हैं उनको अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग जरूर दी जाय ताकि वे असामाजिक तत्वों से ठीक प्रकार से निपट सकें और अपनी रक्षा कर सकें। एस0पी0 और डी0एस0पी0 वगैरह जितना रात को दौरा करेंगे उतनी ज्यादा सुरक्षा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री आजकल रोजाना 3 हजार आदमियों से मिलते हैं, और उनकी कठिनाइयों को सुनते हैं और उनसे उसकी जानकारी होती है। यह ज्यादा मुनासिब होगा कि जिले के कलेक्टर, एस0पी0 आदि इसी प्रकार से बड़े पैमाने पर जनता की शिकायतों को सुनें तथा उसकी कठिनाइयों को दूर करें जिससे हमारी मुख्य मंत्री महोदय के पास विभिन्न जिलों के लोगों को न आना पड़े। मैं एक दो मिनट और कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

मान्यवर, पिछली दफा जब गवर्नर साहब का भाषण हुआ था उस मौके पर भी और कल भी नेता विरोधीदल ने गत चुनावों में रैंगिंग की चर्चा की थी। मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं, माननीय लक्ष्मण सिंह जी जिस क्षेत्र से चुन कर आये हैं। उसके 24 गांव की बात कहता हूं जिस गांव में कहें चलने को तैयार हूं। मेरठ जिले में भी मैं चलने के लिये तैयार हूं। मैं यह बात साबित कर दूंगा कि बी0के0डी0 के उपर्युक्त एम0एल0ए0 गरीब किसानों का वोट जबरदस्ती अपने आप डालकर जीते हैं। जो यहां रैंगिंग की बात कही गयी है तो मैं एलान के साथ कहता हूं कि हमारे गांव के गरीब लोगों के वोट पड़ने नहीं दिये बल्कि खुद अपने हक में डाल लिये।

मान्यवर यह चंद बातें मैंने कही हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पर हमारे विरोधी पक्ष के भाई शांत हृदय से सोचेंगे।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री लक्ष्मण सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, मैंने श्री त्रिपाठी जी से आग्रह करके उनका समय ले लिया है। मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं, यह ठीक नहीं है।

श्री राम नारायण पाठक (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है। जब आप बोल रहे हों कुछ सदस्य बीच में खड़े होकर समय नष्ट करने लगते हैं। तो क्या आप उतना समय और बढ़ाने की व्यवस्था देंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैंने अभी वर्मा जी के विचारों को सुना । मैं महाभारत की एक कथा कहना चाहता हूं । यक्ष राज की जब युधिष्ठिर से भेंट हुयी तो उन्होंने प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या है ? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मनुष्य यह जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है फिर भी वह कामों को ठीक से नहीं करता है । मैं बड़े आश्चर्य से किसानों की खुशहाली के बारे में सुन रहा था । उनको यह नहीं मालूम किसानों की क्या स्थिति है । मैं वर्मा जी की बातों का जवाब देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं । हमारे कई साथी खड़े हुये । उन्होंने अपने विचार भी रखे । इस वक्त जो प्रशासन की स्थिति है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं । सामान्य चर्चा में मैं कांग्रेस सरकार की नीतियों पर कहूंगा । हमारा यह निष्कर्ष है कि देश के गरीब लोग कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं, सरकार ने अब भी अपनी नीतियों को अमली जामा पहनाने का प्रयत्न नहीं किया है । प्रशासन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, आजकल मंत्रियों के पदों के बारे में जो नीति चल रही है इसमें मैं यह नहीं समझ रहा हूं कि प्रशासन दिल्ली से चल रहा है या लखनऊ से चल रहा है । मुझे इसके बारे में शक है । मुख्य मंत्री जी हमारे मंत्रियों का चयन करेंगे या दिल्ली से उनका चयन होगा । यह कुछ निश्चित नहीं है । इसीलिये हमारा प्रशासन अधर में लटका है, अस्त-व्यस्त है ।

प्रशासन के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मान्यवर, यह प्रशासन इस वक्त सड़ी लाश की तरह बदबू कर रहा है । मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं कि आज साधारण जन समाज पर क्या बीतती है उसको कैसे आंकेगें । जो बड़ी-बड़ी धनराशियां आज खर्च की जाती हैं उसका असेसमेन्ट क्या किया जाता है । प्रशासन का ध्यान इन चीजों की तरफ नहीं जाता है जिससे आज आदमी का जीना दूभर हो गया है । आज आदमी भोजन और वस्त्र के लिये तड़प रहा है । आज प्रशासन भोजन और वस्त्र का प्रबन्ध नहीं कर पा रहा है । चोर बाजारी और पैरेलेल इन्तजाम को नहीं रोक पा रहा है । पैरेलेल का मतलब यह है कि राशन या नियंत्रित मूल्य पर जो चीजें मिलनी चाहिये वह भी नहीं मिल पा रही हैं । परन्तु चोर बाजारी में वे चीजें मिलती हैं । उन चीजों के लिये डबल पैसा देना पड़ता है । दूसरी चीज आप होर्डिंग नहीं रोक पाये जिससे जनता कराह रही है । एडल्ट्रेशन को आप नहीं रोक पाये जिसका कि ग्लूकोज कांड उदाहरण है । यह सब चीजें जीवन को दुखी कर रही हैं । यह सब जो स्थिति सारे जन समाज में है वह ऐडमिनिस्ट्रेशन के कारण है । एक स्थिति में उत्तरी भारत कपड़ा मिल संघ के प्रवक्ता की रखना चाहता हूं । कानपुर मिलों में एक करोड़ 60 लाख रुपये का कपड़ा चोर बाजारी में चला जाता है । नियंत्रित कपड़ा सहकारी समितियां उठाती नहीं हैं । उनके सौदे केवल पेपर हो जाते हैं और माल ब्लैक मार्केट में चला जाता है । जिसको कपड़ा मिलना चाहिये उसको नहीं मिलता है ।

आजकल तस्करी जोरों से चल रही है जब कि खाना खाने को नहीं है । इसमें बड़े-बड़े लोग इन्वाल्व्ड हैं । मैं इसके बिस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । चाहे वह तराई क्षेत्र की या मुरादाबाद की हो । दूसरी बात मैं कोटा परमिट के बारे में कहना चाहता हूं । अधिकतर कोटा परमिट कांग्रेसी भाइयों या व उनके जान पहिचान वालों को मिलते हैं इसीलिये प्रशासन में सड़न आ गई है । एक स्थिति और प्रशासन की देखें कि हरिजन तथा भूमिहीनों के बारे में 2500 एकड़ जमीन आज नैनीताल में पड़ी है किन्तु वह अभी तक उनको वितरित नहीं की जा सकी है । प्रदेश कांग्रेस समिति ने कांग्रेसी विधायकों को लाइसेन्स तथा परमिट देने को मना किया है क्योंकि इनका सारे प्रदेश में जाल सा बिछा हुआ है । यह कोटा लेकर अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रशासन को और भ्रष्ट करते हैं। आज जनता कराह रही है फिर भी कहते हैं कि प्रशासन अच्छा एवं चुस्त है। भ्रष्टाचार तो अब एक व्यापक रूप में फैला हुआ है। भ्रष्टाचार जब पब्लिक लाइफ में आ गया तो सर्विसेज के बारे में मैंने कहना ही छोड़ दिया है। भ्रष्टाचार के अन्दर मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस अधिकारियों से आपने अपना काम लिया। सरकारी कर्मचारी होने के नाते वह आपके असर–प्रभाव में होंगे ही। इसीलिये भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं सकते हैं।

आज केन्द्र में बस्ती जिले के एक मंत्री हैं। दास कमीशन ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दी थी और तब मंत्री महोदय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन आज फिर वह मंत्री महोदय उसी स्थान पर पदासीन हैं। किन्तु आज एक चौकीदार भी होता और जो बरखास्त हो गया होता तो उसको भी उस स्थान पर नियुक्त नहीं किया जाता। लेकिन इनकी नियुक्ति कर दी गई। जब इस तरह से ऊंचे स्तर पर भ्रष्टचार है तो नीचे के स्तर पर हम कैसे कह सकते हैं कि स्वच्छ प्रशासन है। तो मैं कह रहा था कि पुलिस से आपने हमारे जिले में काम कराया। पुलिस जीप के साथ 4 अधिकारियों की एक जीप तस्करी के लिये नेपाल गई जो कि पी0 डब्लू0 डी0 के रजिस्टर में नोट है। मैंने उस सम्बन्ध में लिखकर भी दिया लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश की स्थिति क्या होगी जहां इन्सपेक्शन के बहाने पुलिस की जीप तस्करी के लिये जाती है। टाप लेवल पर आज कल तस्करी हो रही है। इसको आप रोक नहीं सकते हैं। मैंने मिनिस्टर या किसी अधिकारी पर कोई आरोप नहीं लगाया है क्योंकि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सबको पता है। यह सरकार भ्रष्ट हो गई है।

मान्यवर, अब मैं एक मिसाल प्रमोशन के सम्बन्ध में आपके सामने रखना चाहता हूं कि पी0 सी0 एस0 लोगों के प्रमोशन नहीं हुये और आई0 ए0 एस0 लोगों के हो गये। यह प्रमोशन इसलिये भी हुये कि हमारे चीफ मिनिस्टर के दो पुत्र हैं एक की सर्विस 4 साल से कम की है किन्तु उसका प्रमोशन होना जरूरी है। इसलिये 3–4 तथा 6–6 साल की सर्विस वाले आई0 ए0 एस0 आफिसरों की पदोन्नति कर दी गई। इस प्रशासन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की सिफारिश को भी नजरन्दाज कर दिया। कमीशन ने संस्तुति की थी कि 10 साल से कम सर्विस वालों को प्रमोशन नहीं दिया जाना चाहिये किन्तु उसको भी इस प्रशासन ने नजरन्दाज कर दिया। अब इससे सर्विसेज में कितना डिमोरलाईजेशन होगा इसे आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार श्री जगमोहन नाथ रैना जो कि 60 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हो गये थे परन्तु उसके बाद भी उनको 8 साल के लिये ओ0 टी0 सी0 (आफिसर्स ट्रेनिंग कालेज) के प्रिन्सिपल बना दिये गये। दूसरा उदाहरण श्री कौल का है जो कि प्रशासक हैं। यह लगभग 30 साल तक कानपुर में रह चुके हैं। इनको दूसरा स्थान नहीं दिया गया। कानपुर में ही ये ए0 डी0 एम0 रहे, फिर डी0 एम0 बने, लेबर कमिश्नर के पद पर कार्य किया, कुछ दिन कानपुर में ही निगम में रहे आदि। इनका दिल्ली में बड़े लोगों से मेल है तथा ऊपरी लोगों का प्रभाव है। इसलिये इनको छूट मिली हुई है। ये सब भ्रष्ट प्रशासन के उदाहरण हैं।

अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने कल कहा था कि जो अधिकारी हमारी पालिटिक्स में भाग लेना चाहें वे अपने पद से इस्तीफा देकर पालिटिक्स में भाग ले सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो हमारे मुख्य मंत्री जी के स्टाफ में श्री कोहिली आल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आये हैं उनको राजनीति से क्या कुछ मतलब है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--]

राजनीति से कोई मतलब नहीं है। चिराग तले अंधेरा। अपने आचरण से ही सिद्ध करते। मुझे यह सूचना मिली है कि संत सिंह मुन्शी हैं उनका दरबार लगता है। खाली पोलिटिकल काम करते हैं। हजारों की दरख्वास्त लेते हैं अमुक का ट्रान्सफर होना चाहिये, अमुक का ट्रान्सफर कैन्सिल होना चाहिये ऐसी स्थित में उनको वी0 आई0 पी0 का ट्रीटमेन्ट मिलता है। मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है लेकिन सब लोग उनसे कांपा करते हैं कि कहीं उनके असर के कारण वे प्रभावित न हो जायं। इसका नतीजा है कि सर्विसेज डिमारेलाइज हो जाती हैं और प्रशासन अस्त व्यस्त हो जाता है। शहर के रहने की वजह से आपको देहात की बात का अन्दाज नहीं है। पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर का आर्डर तक नहीं माना जाता है। कुछ लोगों को पालिटिकल रीजन्स से ट्रांन्सफर अगर कर दिया गया तो कुछ लोगों के कैंसिल कर दिये गये। जिनके कैंसिल नहीं हुये वे सिलीव में है। इस फेवरेटिज्म तथा नेपोटिज्म से प्रशासन आज अस्त व्यस्त हो रहा है और इसी का निष्कर्ष है कि सर्विसेज डिमारेलाइज हो रही हैं। आज सर्विवेज में पोलिटिकल इंटरफिरेंस बहुत हो रहा है।

पुलिस के विषय में कुछ कहूंगा। आगरा में एक कांड हुआ। एक व्यक्ति 362,147 के अन्तर्गत गिरफ्तार हुआ। सुबह टेलीफोन आया कि छोड़ दिया गया। क्या यह पोलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं है? मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किसने टेलीफोन किया जिससे एस0पी0 तथा डी0आई0जी0 डिमारेलाइज हो गये और उनका कहना था कि जब ऊपर से आर्डर आयेगा तो हम गिरफ्तार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज स्थिति यह है कि हर जगह से दुर्गन्ध आ रही है।

जिला प्रशासन के बारे में भी दो शब्द में कहना चाहता हूं। वह एक मूलभूत इकाई है। आज प्रशासन कैसे चल रहा है? अनेक बार चर्चा आई कि जिले प्रशासन की स्थिति क्या है? अखबार में कल पढ़ा, मुख्य मंत्री ने कहा कि नौजवानों को इसलिये पूर्वी जिलों में जिलाधिकारी बना कर भेजा गया है कि वह एन्थ्यूजम के साथ काम करते हैं अगर एन्थ्यूजम ही एक टेस्ट है तो और नौजवानों को भेज दें। हालत यह है कि 3, 4 वर्ष की सेवा के आई0ए0एस0 आफिसर्स भेज दिये जाते हैं कलेक्टर बना कर। कलेक्टर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह मुख्य कोआर्डिनेटर है। क्रिमिनल और रेवेन्यु का हेड है। चाहे इंजीनियर हो, डाक्टर हो, एस0पी0 हो अथवा मेडिकल सर्विसेज हों उनसे जिलाधिकारी को कोआर्डिनेट करना पड़ता है।

मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब कम उम्र के जिला अधिकारी होते हैं तो वह दबा नहीं पाते हैं, किसी से काम नहीं करा पाते हैं, किसी तरह से कोआर्डिनेशन नहीं हो पाता है और आप देखेंगे इसी कारण आज वहां सारे जिले का प्रशासन अस्त व्यस्त है। इसमें किसी तरह का सुधार न करके अगर यह कहा जाता है कि इसलिये उनको भेजा जाता है कि वे उत्साह पूर्वक काम करते हैं तो यह बहुत निरर्थक बात है। क्या कारण है कि एक नये आदमी को आप भेजते हैं और 25 वर्ष का अनुभवी और बुड्ढा जो अधिकारी है उसे आप नहीं भेजते? 25 वर्ष के अनुभव के लोग वहां जो पी0सी0एस0 आफिसर रहते हैं वह कलेक्टर को बताते हैं और कलेक्टर उनसे ज्यादा नहीं जानता। वह पदेन डिप्टी डाइरेक्टर कन्सालीडेशन होता है लेकिन उसे खसरा और खतौनी का ज्ञान नहीं है। जिले की स्थिति यह हो गई है कि जो 25 वर्ष के अनुभव का पी0सी0एस0 अफसर बिल्कुल दिलचस्पी नही लेता और उनके दूसरे अफसरान जो उम्र में ज्यादा हैं और महज उनके साथ बैठते हैं। जनवरी के महीने में लिस्ट बनी कुछ अफीसर्स की शायद 25-26 की वह लोग प्रमोट किये जायेंगे लेकिन वह प्रमोट नहीं किये गये। मुझे दुख है कि हमारे चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी द्वारा ऐसा किया जाय तो यह सर्विसेज वाले लोग कहां जायेंगे। उनको डिमोरेलाइजेशन तो आलरेडी हो गया है।

ऐडमिनेस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने भी कहा है कि 8 वर्ष से कम अनुभव वाले आफीसर्स को न भेजा जाय, लेकिन तब भी नहीं मानते। बोर्ड आफ रेवेन्यु ने 9–1–70 को एक मीटिंग की थी और उसमें सारे कमीशनर्स को बुलाया था। चेयरमैन, बोर्ड आफ रेवेन्यु भी थे। सबने एक स्वर में कहा कि 8 साल से कम अनुभव वाले कलेक्टर को किसी जगह पर न भेजा जाय। कमिश्नर्स कहते हैं कि उनका अनुभव है कि वह चारों तरफ घूम चुके हैं और वह बिल्कुल सफल नही होते हैं कार्य में। लेकिन, मान्यवर, सरकार ने इसको भी इगनोर कर दिया। उल्टे ही ऐसी स्थिति हो गई है जिले में उनका संभालना उनके काबू के बाहर है। वर्मा साहब ने यह कहा कि हमने खाद का ऐसा प्रबन्ध किया, बीज का ऐसा प्रबन्ध किया, लेकिन जिले का मुख्य अधिकारी अगर मैं अपने लिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कहूं कलेक्टर को, उसका कोई भी कन्ट्रोल जिले के आदमियों पर नहीं है और अगर होता तो क्या कृषक को समय पर खाद, बीज न मिल पाता। डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि उसको सहयोग नहीं मिलता और न कोई देता है क्योंकि वह कम अनुभव का अधिकारी है और कन्ट्रोल नहीं कर पाता।

मैं पुलिस के बारे में कुछ कहना चहता हूं। मान्यवर, गत 3–4 वर्षों से 24 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 45 करोड़ रुपये की धनराशि हो गई है पुलिस विभाग में। अगर मैं पुलिस की कुछ चर्चा न करूं तो इसके करनामे इतने उजागर है कि कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई मिसाल नहीं दूंगा। 24 करोड़ रुपये से 45 करोड़ रुपया हो गया और इतने खर्चे के बाद भी इस पुलिस को क्या प्राप्त हो रहा है। आज जन-जीवन सुरक्षित नहीं है। बहु-बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, कोई जंजीर पहनकर नहीं घूम सकता। राहजनी हो जायेगी, डकैती होगी। जितने हम पैसे बढ़ाते जा रहे हैं उतनेही क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल में श्री के0सी0 पन्त ने कहा था कि अपराध के मामले में यू0 पी0 टाप्ड द लिस्ट। ऐसी स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश की। एस0पी0 हरदोई ने कहा था अपनी 1973 की रिपार्ट में कि हत्या और अपराध के मामले में हरदोई का भारतवर्ष में सर्वप्रथम है। आप मान्यवर, किसी शहर की भी स्थिति ले लीजिये—चाहें आप बनारस को लें, चाहें कानपुर को लें और चाहें लखनऊ को। लखनऊ की ऐसी स्थिति हो गई है कि 3 महीने में 41 हत्या हुई है, बाकी राहजनी और डकैती की घटनाओं को छोड़कर।

मान्यवर, दिन दहाड़े हत्या होती है। जैसे अभी हाल में सदर बाजार में दिन दहाड़े हत्या हुई है। पुलिस कहती है कि तरक्की की है जबकि वह एफ0आई0 आर0 नहीं लिखते। मान्यवर, अभी एटा की स्थिति सामने आई। श्री बंशी लाल, डी0वाई0एस0पी0 ने रिपोर्ट नहीं लिखी जब कि दो दो एम0 एल0 ए0—एक भूतपूर्व और एक वर्तमान—वहां पर मौजूद थे, लेकिन वह अधिकारी अपने दारोगा के खिलाफ रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं था। अगर लिख लेता तो क्या बिगड़ता। उसको इतनी लज्जा नहीं कि इतने व्यक्ति यहां मौजूद है और वह रिपोर्ट लिख ले। जो साधारण व्यक्ति चाहे डकैती से, चाहे राहजनी से या किसी दूसरे अपराध से सताया होता है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। मैं समझता हूं कि किसी थाने पर जायं और उसके सरकिल में घूम लें तो पता चलेगा कि अपराध हुआ लेकिन दरोगा ने भगा दिया और रिपोर्ट नहीं लिखी, इसलिए नहीं लिखी कि अपराधों की संख्या बढ़ेगी और ऊपर से डांट पड़ेगी। मान्यवर, अलीगंज थाने की घटना को देखें। वहां कांग्रेस के एक एम0 एल0 ए0 है। वहां कोई घटना हुई। परिणाम यह हुआ कि अलीगंज में दिन दहाड़े एक लाख रुपये की दुकान लूट ली गयी, जला दी गयी। एक तरफा पुलिस ने राजनैतिक व्यक्तियों के कहने से दूसरे दल के लोगों के लाइसेन्स कैंसिल कर दिये और कांग्रेस के लोगों के लाइसेस बरकरार रखें। परिणाम यह हुआ

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

कि अलीगंज के सारे लोग भाग गये और आज तक नहीं आये। मैंने मुख्य मंत्री जी से शिकायत की। उन्हें उस वक्त ज्ञान नहीं था जब मैंने उनसे कहा। मान्यवर, एक कान्ड लखीमपुर में हुआ और न्यायिक जांच हुई। उसमें सरकारी अधिकारी अपराधी पाये गये। जनसंघ पर आरोप लगाया गया था। लेकिन सदन में वह रिपोर्ट आज तक नहीं आयी।

आज ऐसी स्थिति हो गयी है कि पुलिस डकैती डालती है। मै हरेक अधिकारी को गलत या बेईमान नहीं कहता। लेकिन ट्रेन्ड क्या है ? ट्रेन्ड यह है कि या तो डकैत हो जायेंगे या डकैतों का साथ देंगे।

(इस स्थल पर दर्शक दीर्घ से एक दर्शक ने 'कांग्रेस प्रशासन मुर्दाबाद' 'तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी' आदि नारे लगाये।)

आज स्थिसि यह है कि पुलिस वाले डकैती में पकड़े जाते हैं। एटा की घटना कल यहां सदन में आयी। दो आदमी बैल बेच कर जा रहे थे। पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे तो कांसटेबिल ने मार डाला और उनसे रुपया छीन लिया। मैं उसमें जयादा विस्तार से नहीं जाना चाहता क्योंकि कल उस पर काफी बात हो चुकी है। एक बात मैं इस सम्बन्ध में अपने जिले की कहना चाहता हूं। मेरे यहां भी एक कांस्टेबुल डकैती में पकड़ा गया। पकड़ा कैसे गया। अपनी रवानगी थाने पर लिख गया और दूसरे थाने पर गया जहां डकैती में पकड़ा गया। आज पुलिस बजाय रक्षक होने के भक्षक है और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देती है जिससे कि डकैती और अपराध बढ़ते हैं। आज स्टुडेन्ट्स और दूसरे लोग स्टेन गन, ब्रेन गन लेकर डकैती डालते हैं, यह स्थिति सरकार ने पैदा कर दी है। फिर एक चीज कहे देता हूं। एक घटना हुई। 13 आदमी मारे गये। उसमें एस0 पी0 का कसूर बताया जाता है। वहां पहले से गारद मौजूद थी। पुलिस को सूचना दी गयी लेकिन कुछ नहीं किया। पुलिस के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। चाहे पुलिस हो या पी0 ए0 सी0 हो उसकी सामन्तवादी प्रवृत्ति गयी नहीं है। जैसे पहले थी वैसे आज भी है जब कोई अफसर पहुंचेगा तो एक आदमी फाटक खोलेगा, दूसरा मोटर का फाटक खोलेगा और तीसरा चिक उठायेगा। तीन आदमी रहेंगे। वे ही आदमी काम करेंगे और वे ही आयेंगे तो अफसर के विरुद्ध शिकायत करेंगे। पी0ए0सी0 के बारे में कहना है कि मुझे पता नहीं कि उनके बारे में सरकार ने क्या किया। जो रिवोल्ट हुआ, उसके बारे में जुडीशियल इन्क्वायरी क्यों नहीं हुयी ? उसका क्या कारण है ? मिलिटरी और पुलिस के जवान मारे गये, विश्वविद्यालय में आग लगायी गयी, लेकिन फिर भी सरकार ने जुडीशियल इन्क्वायरी क्यों नहीं कराया ? अलीगढ़ काण्ड और दूसरे केसेज में तो जुडीशियल इन्क्वायरी करायी, लेकिन पी0ए0सी0 रिवोल्ट में जुडीशियल जांच सरकार ने आज नहीं करायी। यही नहीं, जो दोषी अधिकारी थे, उनको तरक्की दी गयी। दण्ड नहीं मिला। इससे आज भी पी0ए0सी0 में असंतोष जारी है। सरकार को चाहिये कि इसका निराकरण करे। पुलिस के बारे में एक बात का और निवेदन करना है और वह यह है कि आई0 पी0 एस0 और आई0ए0एस0 के बारे में सरकार का जो भेद भाव पूर्ण दृष्टिकोण है, वह बदलना चाहिये। इसी तरह से U.P.P.S और P.C.S. में भी। एस0पी0 और डी0एस0पी0 को मकान आदि की सुविधा दी जानी चाहिये। सरकार सी0आई0डी0 पर विश्वास नहीं करती है। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि धान की स्मगलिंग को भी सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द नहीं किया। इस तरह से हम देखते हैं कि मान्यवर, पुलिस प्रशासन में बहुत गड़बड़ी है।

पेंशन और ग्रेच्युटी के मामले आज निर्णीत नहीं हुये। सरकार को चाहिये कि इस पर ध्यान दें। कमीशन कई नियुक्त किये गये। उनकी रिपोर्ट भी आयीं लेकिन उनको इम्पलीमेंट नहीं किया।

हिन्दी और उर्दू का प्रश्न भी उठाया गया। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं उर्दू का बिरोधी नहीं हूं। उर्दू को जो समुचित स्थान नहीं मिला, वह उसे मिलना चाहिये लेकिन

हिन्दी को जो उचित स्थान मिलना चाहिये था, वह सरकार के ऐडमिस्ट्रेशन में नहीं मिला और आजकल सचिवालय में पहले जो कार्य हिन्दी में होना शुरू हुआ था, वह फिर से अंग्रेजी में होने लगा है। उर्दू के बारे में जो लांछन लगाया जाता है, उसके बारे में निवेदन है कि उर्दू किसी व्यक्ति की भाषा नहीं है, किसी सम्प्रदाय की भाषा नहीं है, वह तो सूबे की भाषा है। मैं उर्दू का विरोधी नहीं हूं लेकिन उर्दू को भारतीय जामा पहनाने का जरूर सुझाव मेरा है। लेकिन हिन्दी को जो राष्ट्रीय भाषा माना है, उसको अपने स्थान पर अवश्य प्रतिनिष्ठित करना चाहिये। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री प्रभु नारायण (जिला वाराणसी)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के अनुदान के सम्बन्ध में जो बहस सदन में हुई, उसमें विरोधी पक्ष की तरफ से कुछ सिद्धांत के प्रश्न उठाए गए, कुछ प्रशासन में कमियों के बारे में चर्चा की गई। माननीय चौधरी साहब जो विरोधी दल के नेता हैं, ने अपने भाषण में सिद्धांतों की चर्चा बहुत की। राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर भी अपने संशोधन के माध्यम से उन्होंने हिंसा की बात रखी थी और अपनी सामान्य प्रशासन की बहस में भी उन्होंने यह बात कही कि यदि परिस्थितियां नहीं सम्भलतीं, तो हिंसा की बात हो सकती है। मान्यवर, मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंसा की बात को बार-बार उठाने का सीधा मतलब होता है लोकतन्त्रीय संस्थाओं को चोट पहुंचाना, उनमें अनास्था के भाव प्रकट करना। जाने-अनजाने विरोधी पक्ष हिंसा का नाम लेकर जनतन्त्र की जड़ों को, डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स को और डेमोक्रेटिक प्रेसेस को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कल ईश्वरी सिंह जी जब बोल रहे थे, उस समय हमारे माननीय सदस्य रामसेवक जी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि हम अहिंसावादी हैं और हम अहिंसा में विश्वास करते हैं और यदि हिंसा हो जाय तो परिस्थितियों के कारण हो जावेगी लेकिन हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज जो विपक्ष है वह न हिंसावादी है और न अहिंसावादी है बल्कि वह शुद्ध अनार्किस्ट और अराजकतावादी बन गया है। (कांग्रेस पक्ष की ओर से मजों पर थपथपाहट)।

आज विपक्ष चाहता है कि किसी न किसी तरीके से अराजकता का वातावरण फैलाया जाय। (एक आवाज....पुरानी बातें भूल गये।) मान्यवर, हमारे माननीय दोस्त कहते हैं कि पुरानी बातें भूल गये। मैं तो जिन्दगी में कभी पुरानी बातों को नहीं भुला और आज भी नहीं भूला। जो पुरानी बातें थीं वह आज भी हैं। हमारा जो फैसला पहले था वही आज भी है। आज इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय दोस्तों, माननीय विरोधी पक्ष के लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया.....(एक आवाज.... जब से उधर चले गये हैं तब से सब भूल गये।) मैं उस बात का भी जवाब दे दूंगा, चिन्ता न कीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज.....

श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)––

इस समय श्रीमन्, बहस हिंसा और अहिंसा पर नहीं चल रही है। जिस विषय का बजट है, मैं माननीय अध्यक्ष जी आप से अनुरोध करूंगा कि आप उनसे कहें कि वे जिस विषय पर बोल रहे हैं उस पर न बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रभुनारायण--

सामान्य प्रशासन के ऊपर बहस हो रही है और उस पर जो जिम्मेदारियां इस समय बढ़ी हैं वह हिंसात्मक प्रवृत्तियों के कारण बढ़ी हैं। अराजकता का सीधा सम्बन्ध सामान्य प्रशासन से है।

श्री गंजी प्रसाद--

श्रीमन्, तो इस विषय पर मुझे भी बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि जब कोई बात आवे तो वे अपने लीडर या डिप्टी लीडर जो बैठे हुए हैं उनकी सलाह का उपयोग किया करें।

श्री गंजी प्रसाद--

उनको तो अधिकार सब है ही लेकिन दूसरे सदस्यों को भी कुछ अधिकार हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपको सब अधिकार हैं तो क्या यह समझ लिया जावे कि दूसरे को कोई अधिकार नहीं है।

श्री प्रभु नारायण--

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि आज हिंसा और अहिंसा की जो बहस है उसका सामान्य प्रशासन से सीधा सम्बन्ध है इसलिए इसका स्पष्टीकरण हो जाना जरूरी है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मैं श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण अपने दोस्त से चाहता हूं। जरा वह यह भी बता दें कि उनकी दृष्टि में जयप्रकाश नारायण जी हिंसक हैं या अहिंसक हैं।

श्री प्रभुनारायण--

इसका जवाब मैं दूंगा। मैं इस समय यह कहना चाहता हूं कि आज जो लोग सामाजिक परिवर्तन की बात कहते हैं, यदि हिंसा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने की बात सोचते हैं तो उससे हिंसक क्रांति की प्रवृत्तियां उभरेंगी। इसमें हिंसा और अहिंसा में जाने की बात उतनी नहीं है जितनी इस प्रवृत्ति के प्रति चिन्ता व्यक्त करने की बात है। आज जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं जिनका सतत क्रांति में हमेशा विश्वास रहा है जब वे आज हिन्दुस्थान के डिमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स के नजदीक पहुंच करके सामाजिक परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं तब मेरे अहिंसावादी दोस्त जो हैं आज वे सीधे-सीधे अराजकता की स्थिति पैदा करके देश के अन्दर अराजकतावादी स्थितियों को लाना चाहते हैं।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मैं एक सवाल अपने मित्र माननीय प्रभुनारायण सिंह जी से करना चाहता हूं। क्या उन्होंने कभी यह नहीं सुना कि कभी-कभी बिल्ली भी रामनाम सीख लेती है?

श्री प्रभुनारायण--

माननीय रामसेवक जी बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं बड़ी कुशाग्रबुद्धि के वे हैं और कभी-कभी वे अपनी कुशाग्रबुद्धि का परिचय बहुत अच्छी तरह से देते हैं लेकिन इस समय उनकी यह कुशाग्रबुद्धि मुझे कुछ जंची नहीं। मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय रामसेवक जी से और अपने दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि जिस अराजकता की बातें आज होने लगी हैं उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको उसमें कुछ गुंजाइश नहीं है।

आज जिस अराजकता की गुंजाइश आप पैदा कर रहे हैं उसमें आप खो जावेंगे और आपका कुछ पता नहीं रहेगा भले ही इस देश में जनतन्त्र का नुकसान हो जावे। (तालियां) मेरे दोस्त देहलवी जी ने एक सवाल किया था कि जयप्रकाश बाबू के बारे में क्या विचार हैं। जयप्रकाश बाबू के बारे में इस माननीय सदन के सदस्यों में चाहे इधर या उधर के हों, बहुत आदर के भाव हैं। मान्यवर, मुझे वह दिन याद है जब पटना में महाकवि दिनकर ने अपना गीत गाया था। हमारे दिल में वही भावना आज भी है जो पहले थी। लेकिन यह कहना कि जन प्रतिनिधि चुने जाने के बाद उनका समय और टर्म, समाप्त होने के पहले डिमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स और असेम्बलियों को खतम कर दिया जाय, डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है प्रतिष्ठा की बात नहीं है। मैं माननीय देहलवी जी से कहना चाहता हूं कि जो रास्ता उन्होंने बिहार में अख्तियार किया है उससे उनकी पार्टी दो हिस्सों में बंट गयी।

एक सदस्य--

डाक्टर राम मनोहर लोहिया पर आपका विश्वास है या नहीं ?

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो रास्ता आज विरोधी पार्टियों ने बिहार में अख्तियार किया है, जनसंघ ने किया है, सोशलिस्ट पार्टी ने किया है, एस० एस० पी० ने किया है उससे उनकी पार्टी दो हिस्सों में बंट गयी है। संगठन कांग्रेस उस मामले में चुप है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि वहां पर जो कार्यवाही शुद्ध हुई, जो रास्ता अपनाया गया वह सही नहीं है और इसी कारण दलों में बंटवारा हुआ है।

(इस समय 1 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

इस मौके पर मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि री-काल के सिलसिले में जो बातें कही गई हैं, वह चाहे छोटे मुल्क की समस्या हों या बड़े मुल्क की हों उसमें बड़े सोच-विचार के बाद ही वह चल सकती है।

एक बात हमारे माननीय चौधरी साहब ने कही कि कांग्रेस पार्टी आज टोटैलिटेरियन होती जा रही है, अधिनायकवाद की तरफ बढ़ती जा रही है। उन्होंने यह बात अपने तर्क में कही कि कांग्रेस पार्टी अपने को एक देश समझती है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वह ही केवल जनतांत्रिक और समाजवादी पार्टी है। वही इस देश की आकांक्षाओं और इच्छाओं को प्रतिबिम्बित करने वाली एक मात्र संस्था है। उसके मुकाबले इस देश में कोई और जमात नहीं रह गई है। यह पार्टी फिरका-परस्त जमात नहीं है। वह धर्मों के आधार पर देश का बंटवारा नहीं करना चाहती है। इस पार्टी में एकरूपता है। जो रुख आज विरोधी पक्ष अपना रहा है उससे उन्हीं की पार्टियों में बंटवारा हो रहा है। उससे एक ओर महारानी जयपुर कहेंगी कि जमीन पर सीलिंग होनी चाहिये और दूसरी ओर हमारे समाजवादी दोस्त कहेंगे कि बंटवारा होना चाहिए। बहुत सी बातें इस बारे में हुई। समाजवाद के एकीकरण की बात होती तो कोई बात हो सकती थी लेकिन आज हर दल दो हिस्सों में है। इस प्रकार जिस पार्टी की राष्ट्रीयता की भावनायें किसी आधार पर देश को परिलक्षित नहीं करती हैं उसके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीयता की भावना को पूर्णरूप से परिलक्षित

[श्री प्रभुनारायण]

करती हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। अधिष्ठाता महोदय, इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अक्सर यह कहा जाता है कि चौधरी साहब कहते हैं कि माधव प्रसाद त्रिपाठी कहते हैं कि इलेक्शन रिग्ड हुये। मतदाताओं के फैसले को इस तरीके से हर समय आप कहते रहेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा ?

आप कहते हैं कि रिग्ड हुए एलेक्शन। किन्तु दूसरी तरफ यह कहना है, जिसके हम लोग भी भुक्तभोगी हैं। आप सरकारी अधिकारियों की बात करते हैं, किन्तु सरकारी अधिकारी ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने सरकारी पक्ष के लोगों का भी एलेक्शन में डट कर विरोध किया है। इस सम्बन्ध में मैंने स्वयं मुख्य मन्त्री महोदय से सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की। इसलिए यदि किसी सरकारी अधिकारी के मन में कोई भावना है और उसमें वह कोई रुख ले तो यह कहना कि पूरे एलेक्शन रिग्ड हैं, यह उचित नहीं है। विरोधी पक्ष के साथी चाहते हैं कि सरकार उनकी बन जाती, उनका मुख्य मन्त्री हो जाता, सत्ता उनके हाथों में आ जाती तभी एलेक्शन निष्पक्ष हुए कहे जाते वरना, नहीं, यदि यह स्थिति है तो यह कदापि उचित नहीं है। बैलट का फैसला हमारे दोस्तों को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए।

माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक बात, बहुगुणा जी के रिश्ते में जो कत्ल हो गया, उसके सिलसिले में उठायी थी, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से उस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं, माधव बाबू और रामसेवक यादव सरीखे सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उनके साथ, किसी अन्य सदस्य के साथ या हम लोगों के किसी परिवार वालों के साथ ऐसी घटना हो जाए, और उसमें ऐसा न किया जाता तो वह क्या सोचते, क्या कहते। श्री सियाराम शरण जी का बाराबंकी में कत्ल हुआ, उस समय होम मिनिस्टर रावत साहब थे, उस समय उनको स्वयं और हममें से बहुत लोगों को वहां जाना पड़ा। आज उनके पिता श्री भगवतशरण जी कांग्रेस में इस साईड में यहां हैं। तो कुछ परिस्थितिवश ऐसा हो जाता है। श्री सम्पूर्णानन्द ने इस बारे में कहा था कभी थोड़ा बहुत महत्व किसी आधार पर मिल जाता है। तो बहुगुणा जी के रिश्तेदार जिनका कत्ल हुआ वह पहले एम० एल० ए० थे। ऐसी स्थिति में यदि 5–6 अधिकारी वहां पहुंच गये तो यह कोई बड़ी बात नहीं हो गई, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार नहीं हो गया, इस प्रकार का इससे प्रशासन बहुत खराब हो गया या अच्छा हो गया, इस प्रकार का कोई फैसला यदि विरोधी दल के नेता करना चाहते हैं, तो वह तराजू बहुत उचित तराजू नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं जहां तक संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का प्रश्न है और उसको लागू करने का सम्बन्ध है, आज उसको लागू करना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में जो समाज के पिछड़े लोग हैं—परिगणित और अनुसूचित जातियों के लोग हैं, उनके लिए सर्विसेज में आरक्षण देने की जो बात है, उस पर इस सरकार में बहुत ध्यान दिया गया है, विशेष ध्यान दिया गया है, और पुलिस में उसको विशेष आरक्षण मिलने लगा है। जिस कास्ट-सोसाइटी में हम रहते हैं, उसमें जो बहुत दबे हुए और पिछड़े लोग हैं, उनके हेतु रिजर्वेशन और प्रमोशन की बात को लागू करना बहुत लाजमी है। पुलिस विभाग या अन्य विभाग, जहां कहीं भी कास्ट सिस्टम है, उस कास्ट सिस्टम के रोग से जहां कहीं भी विभाग या अधिकारी प्रभावित हैं, उनके खिलाफ इस सम्बन्ध में सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रशासन के सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं, हमारी सर्विसेज अब जो हैं, उनमें केवल अधिकार वाली बात नहीं बल्कि रिस्पांस्बिलिटी फिक्श-अप करने वाली सर्विसेज होनी चाहिए, रिस्पांस्बिलिटी ओरिएन्टेड सर्विसेज होनी चाहिए। जब तक यह नहीं होगा, तब तक अधिकारियों को जनता के प्रति जितना जिम्मेदार होना चाहिए, उतना जिम्मेदार हम उन्हें नहीं बना पायेंगे।

प्रशासन के सम्बन्ध में अधिकारियों के खिलाफ जो शिकायतें आएं, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिलेड ऐक्शन में भ्रष्टाचार निहित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का ध्यान इस पर भी अवश्य जाना चाहिए।

अन्त में मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि पी० ए० सी० का जो रिवोल्ट हुआ, उस सम्बन्ध में सर्विसेज में नीचे के स्तर पर लोगों को शिकायत थी। सरकार के ध्यान में यह आया कि उनके बड़े अधिकारी अपने नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नाजायज तरीके से दबाव डालने की बात करते हैं, तो वह वहां से तुरन्त बन्द होना चाहिए और ऐसी स्थिति में यदि असन्तोष का मुकाबला होना है तो वह तभी हो सकता है जब न्याय की स्थिति सर्विसेज में हो जाए।

जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है किसानों को इस सरकार में आशा है। जहां तक युवकों का प्रश्न है आज दूसरे सूबों की जो स्थिति है इस सूबे की वह नहीं है। इस प्रदश का युवक, श्रमिक और किसान जिम्मेदारी के साथ लोकतांत्रिक वातावरण में उसे जो कर्तव्य का निर्वहन करना है, वह निर्वहन करेगा और जो हमारे भाई अराजकता फलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह कार्य नहीं करेंगे इसकी हमें पूरी आशा है।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

श्रीमन्, मैं तो साधारण बात कहना चाहता हूं कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन गिर रहा है, हट रहा है या तरक्की पर है। जरायम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी घट रही है या बढ़ रही है। एक पैमाना होता है उस पैमाने पर सरकार को तौलना होता है। ऐडमिनिस्ट्रेशन गिर रहा है, जरायम बढ़ रहे हैं तो क्या वजह है? आप रोज-बरोज देख रहे हैं कि हर जिले में कत्ल, डाके, चोरी बढ़ती चली जा रही है। यह एक आर्थिक समस्या है। क्या वजह है कि छात्र डकैती में चले जा रहे हैं। जब तक इकोनामिक कंडीशन पर ध्यान नहीं होगा जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन घटता ही रहेगा। अब आप देखिए वजह क्या है। जो ऐडमिनिस्ट्रेशन गिरता जाता है उसमें बहुत हद तक पोलिटिकल इंटरफेरेंस और खास तौर से रूलिंग पार्टी ट्रेजरी बेंचेज का इस कदर इंटरफेरेंस हो गया है कि जितने कर्मचारी हैं उनको स्पाइनलेस कर दिया है। उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी है। सचिवालय का कोई व्यक्ति क्यों नहीं वह यह समझता है कि इनकी बात अगर गलत भी है, और कितनी हद तक भी गलत हो, तब भी मानना जरूरी है। हमारे यहां प्रतापगढ़ में अभी चन्द रोज हुए मान्धाता बाजार आधी लूटी गई। उसमें एक डी–वाई० एस० पी० की मृत्यु हुई और दूसरे डी० वाई० एस० पी० घायल हुए। कुछ लोग पकड़े गये। आंसू पुछे। दुख इस बात का है कि जो लोग पकड़े गये लखनऊ से उनकी सिफारिश जाती है। तो शासन चले कैसे? यह पोलिटिकल इंटरफेरेंस बन्द होना चाहिए तब ऐडमिनिस्ट्रेशन चल सकेगा। चाहे छोटा अधिकारी हो या सेक्रेटरी हो जो सही बात हो वह करना चाहिए।

अब मान्धाता की तरफ फिर ध्यान ले जाना चाहता हूं। कई वर्ष हुए प्रतापगढ़ में दो नये थाने खोलने के आदेश हुए थाने मुकर्रर किए गए बनाने के लिए, एक मान्धाता जहां का वाकया है, और दूसरा मानिकपुर। कई वर्ष हो गये मगर सरकार की कोई तबज्जह नहीं। क्या वजह है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने एक नयी अदा सीखी है, किसी की जान जाय उनकी अदा ठहरी, पांच हजार, आठ हजार रुपये दे दो।

[श्री नियाज हसन]

करना क्या चाहिए। करना यह चाहिए कि प्रतापगढ़ में जो इलाका इलाहाबाद से मिला हुआ है, उस बैल्ट में सिवाय चोरी डकैती के कुछ नहीं है। क्या करना चाहिए था। कम से कम डेढ़ दो महीने के लिए जैसाकि आगरा, भिन्ड या इटावा में पुलिस फोर्स लगाया गया था उसी तरह से प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के बार्डर पर फोर्स लगाना चाहिये था। शाम से ही वहां लोग दरवाजा बन्द करके सो जाते हैं। कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता है। इलाहाबाद कानपुर रोड पर कुंडा इलाक में रात को कोई व्यक्ति, मोटर या साइकिल वगैरा नहीं चलते हैं। वहां दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया जाता है। यह इस शासन में जरायम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं।

दूसरा सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 1945 के बाद जो आप पुलिस में भर्ती कर रहे हैं उसमें भायनारिटीज की क्या तादाद है। सिख, मुसलमान और इसाइयों की क्या तादाद है? पहले क्या तादाद थी और आज क्या तादाद है। जब तक पुलिस में कम्पोजिट तरीके से भर्ती नहीं होगी तब तक पुलिस के काम में तरक्की नहीं होगी। हमारे साथी ने पी० ए० सी० के कांड का हवाला दिया है। इस सरकार का उस दिन से ही पी० ए० सी० पर भरोसा नहीं है। जब सरकार का भरोसा नहीं होगा तो पी० ए० सी० का भी सरकार पर क्या भरोसा होगा। इसकी मिसाल देना चाहता हूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पी० ए० सी० के साथ बी० एस० एफ० को लगाया गया। जब बैलट बाक्सेज की निगरानी का सवाल आया तो पी० ए० सी० को हटा लिया जाता था और यह समझा जाता था कि इसके होते हुए सरकार कोई धांधली नहीं कर सकती है या विश्वास नहीं होगा। जब पी० ए० सी० के ऊपर सरकार का भरोसा नहीं रह गया है तो इसको डिस्बंड करके दूसरा नाम देना चाहिए। साइकोलोजिकल असर होता है। लेकिन सरकार ने ऐसी नीति अख्तियार कर रक्खी है कि न तो इसको खतम ही करती है और न इसकी समस्या को सुलझाती ही है। जब पी० ए० सी० जैसी चीज पर सरकार का विश्वास कम होता चला जाये तो शासन कैसे चलेगा। इलाहाबाद में पी० ए० सी० के लोग पकड़े गये डकैती में। पहले पी० ए० सी० भेजी जाती थी लेकिन अब बलट बाक्स की निगरानी के लिये बी० एस० फोर्स या राजस्थान से आये फोर्स को रखा जाता है और पी० ए० सी० से दूसरे काम लिए जाते हैं।

जो मान्धाता में घटना हुई उसमें एक डी० वाई० एस० पी० का इन्तकाल हुआ। उनकी कुरबानी पर हम सिर झुकाते हैं। जब उनकी लाश पोस्ट मार्टम के लिए गई तो तीन घंटे तक पड़ी रही और डिप्टी सी० एम० ओ० निकले ही नहीं। पुलिस के सिपाहियों में हलचल हुई तो उन्होंने उसका पोस्ट मार्टम किया। वहां पर दस पैसे का तागा नहीं था कि उसको बन्द किया जाये। जब सिपाही बाजार से जाकर तागा लाया तब उसको बन्द किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जो बर्ताव एक डी० वाई० एस० पी० की लाश के साथ हो सकता है तो फिर मामूली जनता के साथ न जाने कैसे बर्ताव होता होगा। तीन घंटे तक उनकी लाश पड़ी रही। क्या सरकार ने कोई जांच की कि इसका क्या कारण रहा और कौन जिम्मेदार रहा। जब यह हालत है तो किस तरीके से शासन चल सकता है। क्या सिपाही में मनोबल आयेगा, क्या कर्मचारी में मनोबल आयेगा। जब वह देख रहा है कि एक डी-वाई०एस०पी० के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आप कितनी देर बोलेंगे।

श्री नियाज हसन खां--

मैं दो मिनट बोल कर खत्म करता हूं। शासन कैसे चलेगा। हर विभाग को गेहूं की वसूली में लगा दिया है और यहां तक कि चकबन्दी विभाग को भी गेहूं की वसूली में लगा

दिया है जो कि मुकदमों का फैसला करता है। घर-घर तलाशी हो रही है। गेहूं की वसूली चकबन्दी के कर्मचारियों से हो रही है। यह शासन कैसे इम्प्रूव कर सकता है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने लेबर और मैनेजमेंट की तरफ भी इशारा किया। यूनियन कारबाइट के अफसरान को बन्द कर दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जुर्म था। एफ0 आई0 आर0 में रिपोर्ट यह लिखी गयी कि फैक्टरी में मजदूरों और मैनेजमेंट में झगड़ा हुआ और मारपीट हुई। रेलवे स्ट्राइक के जमाने में मुगलसराय में कर्मचारियों को एक-एक घर से निकाल कर पीटा गया और कोई सुनवाई नहीं हुई और यहां उस डी0 आई0 आर0 को लगा दिया। कार्टन होटल से यनियन कारबाइट के अफसरान को यह कह कर बुलाया जाता ह कि मुख्य मंत्री जी ने बुलाया है और तीन अफसरान को हथकड़ियां लगवा दीं। मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री रेलवे स्ट्राइक का जमाना भूल गये जब रेलवे स्ट्राइकर्स के साथ क्या बर्ताव किया। इस तरह से शासन नहीं चलेगा। कब तक मुख्य मंत्री रहेंगे। अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स को खतम करें।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे सामान्य प्रशासन पर चर्चा करने का मौका दिया। कल चौधरी चरण सिंह को साढ़े तीन घंटे तक सुनता रहा और मान्यवर, ऐसा लगा कि उनके पास कोई रचनात्मक सुझाव नहीं है। और उनके पास केवल वह पुरानी घिसी पिटी बातें हैं जो उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने प्रस्ताव पर बोलते हुए रखी थीं।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, य चौधरी चरण सिंह पर बोल रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन पर?

श्री राम औतार सिंह भदौरिया—

मान्यवर, मैं आपसे कह रहा था कि हमारे चौधरी साहेब ने वही पुरानी बातें जो उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में रखी थी, बोल रहे थे। करीब-करीब वही सारी बातें उन्होंने दुहरायी। केवल बाद में 2–3 सुझाव दिए। उन्होंने मुख्य मंत्री के खिलाफ आरोप लगाया, अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया इसके सिवाय उन्होंने रचनात्मक भाषण नहीं दिया। मान्यवर, हमारा लक्ष्य समतावादी समाज की रचना करना है। हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों को समान रूप से स्थान दिया है। हमारी सरकर चाहती है सभी वर्ग और सभी क्षेत्र के लोगों को समान रूप से विकास करने के अवसर मिलें। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाया है।

दूसरा हमारी सरकार ने, इस वर्तमान सरकार ने यह भी संकल्प किया कि हम गांव म रहने वाले छोटे, दबे हुए गरीब हरिजन और भूमिहीन मजदूरों की हालत को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसके लिए स्पेशल आदेश जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। मान्यवर, इन सब बातों से ऐसा लगता है कि हमारी सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, प्रदेश के हर क्षेत्र में समानता लाने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र के विकास में प्रयत्नशील है। चौधरी साहब ने सम्भवतः इस बात को इसलिए कहा क्योंकि वहां पर गढ़वाल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। चौधरी साहब ने उसकी बड़ी कड़ी आलोचना की और कहा कि यह जो बजट में बंटवारा होता है धन का, धनराशि जो रखी जाती है वह हर जिले के लिए समान रूप से रखी जाय। मान्यवर, यह कैसे सम्भव हो सकता है। हमारे प्रदेश में कुछ जिले काफी

[श्री रामऔतार सिंह भदौरिया]

सम्पन्न हैं, जहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है और कुछ क्षेत्र ऐसे पिछड़े हुए हैं जहां पर आवश्यकता है ज्यादा धन लगाने की, ज्यादा उन्नत करने की और हमारा पर्वतीय क्षेत्र मान्यवर, जैसा कि आप को विदित है हमारे प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में से हैं और उस क्षेत्र में यदि कुछ अधिक धन लगाया जा रहा है, यदि एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है तो उसके साथ कुछ पक्षपात नहीं किया जा रहा है, बल्कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे और उसकी उन्नति के ऐसे साधन जुटाये कि वह भी हमारे उन्नत क्षेत्रों के समान हो जायं।

इस तरह से हमारे पर्वतीय क्षेत्र के विकास के बारे में हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। इसी तरह मैं चाहता हूं कि बुन्देलखंड के बारे में भी कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जायं। कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है वह भी एक अच्छी योजना है। इससे हमारे जो बीच के मैदानी इलाके हैं उनके लिए कृषि में उन्नति के अवसर मिलेंगे। वह नये-नये अनुसन्धान करेंगे जिससे कृषि की उन्नति होगी। तो ऐसा लगता है कि हमारे चौधरी साहब केवल दो क्षेत्रों की उन्नति चाहते हैं। वह यह चाहते हैं कि जहां पर बी0के0 डी0 के लोगों का होल्ड है—वहां की उन्नति व विकास हो—एक तो मेरठ क्षेत्र चाहते हैं दूसरा वह पूर्वी जिले के लिए कभी कभी कह देते हैं। ऐसा लगता है कि पर्वतीय क्षेत्र में उनकी पार्टी के कम लोग हैं इसीलिए वह शायद उनको पिछड़ा हुआ ही देखना चाहते हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बता देना चाहता हूं कि इस सरकार का लक्ष्य हर निर्बल और कमजोर वर्ग को आगे बढ़ा कर समान अधिकार देने का है और इस ओर हमारी सरकार का ध्यान पूर्णरूप से है। हमारे चौधरी साहब हमेशा ऐसी समाजवादी विचारधारा के विरोधी रहे हैं। उनके जो भी सार्वजनिक भाषण हुए हैं उनके साथी, कार्यकर्ता जानते होंगे, मैंने भी कई बार उनके सार्वजनिक भाषण सुने हैं। वह अपने भाषण में कहते रहते हैं कि समाजवाद के घोर विरोधी हैं। मान्यवर, जो समाजवादी समाज की रचना का विरोधी होगा जो समाजवादी तत्वों का विरोधी होगा, वह जनता का हित कभी भी नहीं कर सकता है। चौधरी साहब सामन्तवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जब प्रीवी पर्सेज का मामला उठा, प्रीवी पर्सेज समाप्त भी हो गई, उसके बाद भी चौधरी साहब जनता के सामने कहते रहे कि वह इस प्रीवी पर्सेज के उन्मूलन के विरोधी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप ऐसा न सम्बोधित करें, आप अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया—

मान्यवर, मैं पहली बार बोलने के लिए इस सदन में खड़ा हुआ हूं, हो सकता है कुछ त्रुटि हो गई हो।

श्री गंजी प्रसाद—

चौधरी साहब गांधी-वादी नीति चाहते हैं।

श्री रामऔतार सिंह भदौरिया—

मान्यवर, चौधरी सहब ने हमारी सरकार के खिलाफ आरोप लगाये थे।

श्री गंजी प्रसाद—

सरकार के खिलाफ जो चौधरी साहब ने आरोप लगाये थे वह सही हैं।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया—

कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को, एक सचिवालय के अधिकारी को और कुछ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सुपरसीड करके कुछ नये लोगों को आगे लाया गया है। चौधरी साहब ने स्वयं इस मिसाल को कायम किया था जब कि अपने शासन काल में 4–5 वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों को सुपरसीड करके एन० एस० सक्सेना को आई० जी० पुलिस, उत्तर प्रदेश का बनाया था। जब उसके बारे में उनको स्मरण दिलाया गया तो चौधरी साहब ने कहा कि वह एक बड़े योग्य व्यक्ति थे और योग्यतम अधिकारी इस प्रदेश के हैं। जब इस प्रकार का कार्य कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाता है और किसी को सुपरसीड करके एक को बनाया जाता है तो उस पर भी वही बात लागू होती है।

इन शब्दों के साथ जो बजट में धनराशियों की मांग मुख्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में रखी है मैं उसका पूर्णरूप से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन उनको पूरे का पूरा पास कर देगा ताकि जन कल्याण की योजनाएं पूरी की जा सकें।

*श्री रामसेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण मैं कुछ बातें जल्दी-जल्दी रख रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि सरकार उन पर ध्यान देगी और माननीय तिवारी जी नोट करेंगे।

यह मौजूदा सरकार पी० ए० सी० कांड के गर्भ से पैदा हुई! क्योंकि कमलापति जी का निष्कासन और उसके बाद श्री अकबर अली खां...

एक सदस्य—

यह कैसे मान लिया गया कि पी० ए० सी० से पैदा हुई?

श्री राम सेवक यादव—

तो उसके बाद श्री अकबर अली खां साहब का थोड़े दिन एकाधिकार चला और फिर माननीय बहुगुणा जी प्रदेश के मुख्य मंत्री बने। यह पी० ए० सी० कांड ऐसा जबरदस्त हुआ है कि आज प्रदेश को पता नहीं कि कितने लोग मरे हैं—पी० ए० सी० के जवान और कितने लोग सेना के मरे हैं। कितने जनधन की हानि हुई, युनिवर्सिटी का कितना नुकसान हुआ है, कितने जेल गये हैं, कितने जेल के बाहर हैं—यह सारा प्रदेश अनभिज्ञ है। अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के सदस्य, सदन के बाहर के लोग भी, उन पी० ए० सी० के नौजवानों के परिवारों से संबंधित हैं, उनकी भी चिन्ताएं हैं, लेकिन दुख है कि इस महत्वपूर्ण घटना पर इस सदन में चर्चा नहीं हुई है—हां, चर्चा हुई ही नहीं है। तो मैं यह मांग करूंगा कि एक सर्वदलीय समिति उनें और उस समिति का अध्यक्ष या संयोजक—मैं नहीं चाहूंगा कि मैं रहूं, उच्चन्यायालय का एक जज हो। और अगर मुझे आप बहुत पसन्द करें तो मुझे खुशी होगी कि आप जैसे आदमी पसन्द करते हैं।

एक सदस्य—

आप चौधरी चरण सिंह जी से मिला-जुला करते हैं इसलिये आपका होना आवश्यक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सेवक यादव--

एक बार चौधरी चरण सिंह ने आपका भी नेतृत्व किया था, चरण सिंह की बात तो आप चलाते हैं। उसको भी याद कर लिया जाय।

तो मैं मांग करूंगा कि एक सर्वदलीय समिति गठित हो और उसके अध्यक्ष या संयोजक न्यायालय के एक जज हों। वह विचार करेगी कि किन कारणों से यह कांड हुआ, पी0 ए0 सी0 के नौजवानों को क्यों ऐसी परेशानी थी, उनकी क्या मांगें थीं और अधिकारियों से उनका क्या झंझट था, यह विश्वविद्यालय कांड क्यों हुआ---इन सारी चीजों की जांच हो और उनका प्रतिवेदन इस पर आये। एक यह बात मैं जल्दी में रखना चाहता हूं। दूसरी चीज जो मैं जल्दी-जल्दी रखना चाहता हूं वह यह कि अभी इस प्रदेश में ब्योरोक्रेट और टेक्नोक्रेट का एक जबरदस्त झगड़ा चला और कल ही से कई माननीय सदस्यों ने और आज भी पी0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 का मामला उठा दिया। तो मैं चाहता हूं कि आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 और टेक्नोक्रेट्स, इन तीनों के मामले को सुलझाने की कोई नीति बने और यह भेदभाव खत्म कर दिया जाय। कोई भेद न तो उनके वेतन-क्रम में, न उनकी सुख सुविधा में, न उनकी पदोन्नति में, न उनकी जिम्मेदारी में किसी तरह का रखा जाय।

अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में अच्छा शासन चले तो ज्यादातर उच्च पदों पर नीचे के लोगों को तरक्की देकर उनसे काम लेंगे तब मामला ठीक चलेगा और जो नये-नये लोग शासन में आ जाया करते हैं उससे नीचे के लोगों में जो असन्तोष होता है उसका अन्त हो जायगा। 1648 से अब तक कोई पी0 सी0 एस0 का अफसर नियमानुसार आई0 ए0 एस0 नहीं बना है जहां तक मेरी जानकारी है। इस तरह के 70-80 लोग पड़े हुये हैं जब कि तमिलनाडु में 1963 में, केरल में 1659 में, आन्ध्र में 1657 में और गुजरात में हाल में ही इन लोगों की पदोन्नति कर के आई0 ए0 एस0 का दर्जा दे दिया गया। लेकिन अपने प्रदेश में यह नहीं हुआ लिहाजा पी0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 की खाई बढ़ती जाती है। नतीजा यह होता है कि नये-नये लोग प्रशासन के काम को करते हैं और जो ज्यादा तजुरबेकार लोग होते हैं उनमें असन्तोष होता है।

मैं एक मामूली चीज जो विधान मंडल और विधान सभा में कर्मचारी लोग काम करते हैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूं, माननीय तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वह नोट कर लें। पुलिस कांस्टेबिल को नवम्बर, 1973 में रुपये की बढ़ोत्तरी मिली थी और उन लोगों को वह मिल रहा है। लेकिन इन लोगों को यह बढ़ोत्तरी नहीं मिली है जब कि इनको उनके समान लिया गया है।

साथ ही साथ मैं पुलिस के सबसे मामूली कर्मचारी---चौकीदार के बारे में भी एक बात कहता हूं। चौकीदार गांव का आदमी होता है जिसको सब कुछ पता रहता है कि जवार में क्या हो रहा है। महत्वपूर्ण कड़ी है उसको मामूली चीज न समझें। सिपाही से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी है और इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है कि गांव प्रधान के भी मातहत वह नहीं है। कितने ही लोग उसकी शिकायत करते रहे लेकिन जब तक एस0 पी0 और एस0 ओ0 उसके पक्ष में रहते हैं उसका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। तो एक तरफ तो प्रशासन की इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है दूसरी ओर उसको वेतन कितना मिलता है? पहले 3 रुपया बाद में 10 रुपया। अगर यह छापा जाय कि वेतन तिगुना हो गया तब तो इस सरकार के समाजवादी होने में कोई कसर नहीं लेकिन अगर पता चले कि तिगुना वेतन केवल 10 रुपया है तो फिर असली कलई खुल कर आ जायगी।

जैसे आप भाषण करते हैं समाजवादी समता की लेकिन जब छोटे कर्मचारियों की बात सामने आती है, छोटे और बड़े अफसरों की सुख-सुविधा, उनके मकान की बात सामने आती है

छोटे और बड़े अफसरों को सुख-सुविधा, उनके मकान की बात सामने आती है, और जैसा कि शायद भीखालाल जी ने कहा था कि टाटा और बिड़ला की हैसियत क्या हो गयी है इस सरकार के चलते-चलते तब आपका असली रूप प्रकट होता है। मैं चाहूंगा कि या तो चौकीदारी प्रथा का अन्त हो जाय, या उनको भी कपड़ा, वरदी और वेतन जो दूसरे लोगों को दिया जाता है, इनको भी दिया जाय।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बख्शी के तालाब पर एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने चौखंभा राज्य की बात कही थी। उसका क्या मतलब है वह तो माननीय मुख्य मंत्री जी ही समझते होंगे, उसका अर्थ जहां तक मैं समझता हूं यह है कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण। अगर उसका यही अर्थ है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आज प्रशासन की जो हालत है उसमें वह सम्भव नहीं है। जो वस्तुस्थिति है उसको हम सभी जानते हैं। जब तक आप जिले की इकाई को सेपरेट नहीं करेंगे तब तक स्थिति पर काबू नहीं पा सकेंगे और यह चीज हो नहीं सकती। अगर वाकई आप अपने भाषण के प्रति वफादार हैं तो आपको चाहिये कि आप अपने प्रशासन को विकेन्द्रित कर दें, जिले के आधार पर शासन को एक इकाई मानें और उसको चुने हुये प्रतिनिधियों के मातहत करें, वरना यह मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है।

माननीय तिवारी जी हमसे इस बात में सहमत होंगे कि प्रशासन के लिये दो चीजें जरूरी हैं—एक भय और दूसरा भरोसा। लोगों में यह दोनों चीजें होना जरूरी हैं। जो समाज के अराजक तत्व हैं जो चोरी, डकैती या अन्य अपराध करते हैं उनमें भय हो तथा जो समाज के अच्छे लोग हैं उनमें भरोसा हो, भरोसा इस बात का कि प्रशासन उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। आज यह दोनों चीजें उलटी हो गयी हैं। जनता को आज भरोसा नहीं रह गया है और समाज के जो बुरे तत्व हैं उनको भय नहीं रह गया है। आज भय और भरोसा दोनों चीजें जाती रही हैं। आज उनको आप किस तरह से कायम करेंगे यह आपके सोचने की बात है।

मैं बाराबंकी की एक मिसाल देना चाहता हूं। वहां के एक सरपंच बच्चनलाल हैं जिनके बारे में मैंने एक कामरोको प्रस्ताव भी रखा था और उस क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक ने भी कई पत्र लिखे, उसके भाई ने भी कई प्रार्थना-पत्र दिये, सन् 71 से लेकर अब तक कोई 15 दरखास्तें पुलिस कप्तान तथा आई० जी० वगैरह को दी गयीं कि उनकी जान को खतरा है, 307 में रिपोर्ट भी दर्ज है, मगर कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। बहुत कहने सुनने पर उनको एक गार्ड मिला इस शर्त पर कि वह उनके घर की रखवाली करेगा, उनकी नहीं। नतीजा यह हुआ कि उनकी हत्या कर दी गयी। जो डाकू कई डकैतियों में वान्टेड था, वहीं घूम रहा था मगर उस क्षेत्र के एक विधायक का है उसके पीछे हाथ था, वह पकड़ा नहीं गया। एक घटना महोम्मदापुर थाने की है। वहां यह रिपोर्ट होती है कि मुझे मार डालने का खतरा है। रिपोर्ट लिखी हुई है लेकिन कोई मौके पर नहीं जाता है। साढ़े बारह बजे एक आदमी थाने पर फिर आता है और कहता है कि घटना घट गयी। रिपोर्ट लिखी जाती है 148–149 में लेकिन कोई जाता नहीं है। साढ़े तीन बज जाते हैं। लाश को कातिल काट-काट करके घाघरा में फेंक देते हैं। अगर कोई जाता तो लाश को बरामद किया जा सकता था।

इसी तरह से इटावा का मामला है, श्रीमन्, मैं 2–3 मिनट और लूंगा। अध्यक्ष महोदय, इटावा, इलाहाबाद, सीतापुर का यही हाल है। इटावा में एक महीने में 10 लाख की डकैती पड़ती है। एक ब्रजवासी नाम का डकैत है उसके ऊपर 4 हजार रुपये का इनाम है लेकिन आज तक उसको पकड़ा नहीं गया है। इलाहाबाद के 2 सिपाही डकैती में पकड़े गये हैं। सीतापुर, बहराइच के शाहनवाजपुर, थाना गिलौला में हुई डकैती में कुंदा बन्दूक का टूट जाने

[श्री रामसेवक यादव[

के कारण पुलिस के डकैती में शामिल होने की बात पता चलती है। यह प्रशासन की हालत है आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

इतना कहना चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचार की गंगोत्री मौजूद हो तो आप कलेक्टर, कप्तान को ठीक करके इसको नहीं दूर कर सकते हैं। एक गंगोत्री जो आपकी सबसे बड़ी है वह दिल्ली है और उसकी शाखा, यह लखनऊ है। यह उदाहरण है।

चरण सिंह को पयूडल कहा जाता है, उनके पास बड़ी जमीन है ऐसी बातें कहीं जाती हैं। यह रिपोर्ट है आप देखें पेज 145 पृष्ठ पर कहा है :—

जिला मिर्जापुर में ग्राम गोपालपुर, बेदौली में गोपालपुर फार्म के नाम से 4,532 एकड़ का बहुत बड़ा फार्म है। भू-अभिलेखों के अनुसार इस भूमि पर 14 व्यक्तियों के नाम दर्ज थे जिनमें से अधिकांश वाराणसी के निवासी हैं यदि इन 14 खातेदारों का हिस्सा सम्पूर्ण जोत में बराबर-बराबर मान लिया जाय तो प्रत्येक हिस्से में 323·71 एकड़ भूमि होती है। जिला कार्यालय से ज्ञात करने पर मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1690 के अन्तर्गत इन खातेदारों की जोत के विषय में कोई कार्यवाही सीलिंग क्षेत्र अवधारण नहीं की गयी जब कि प्रत्येक के पास केवल इसी फार्म में ही अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि थी। कहा जाता है कि इन फार्म होल्डरों की कोई सहकारी कृषि समिति है। यदि ऐसी कोई समिति बनायी भी गयी हो तो भी उसे अधिनियम की पुरानी धारा 6 (15) के अन्तर्गत छूट नहीं मिल सकती थी। खतौनी में अंकित इन्दराज इस बात का सबूत है। यह सम्पूर्ण जोत 14 व्यक्तियों के नाम दर्ज था। किसी सहकारी कृषि समिति का नाम दर्ज नहीं था।

इस फार्म के सिलसिले में एक और दिलचस्प बात नोटिस में यह आई है कि जुडीशियल अफसर के आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 1972 जो मुकदमा संख्या 246/10/16/350 में पारित किया गया, के आधार पर गोपालपुर फार्म की सम्पूर्ण भूमि पर 93 अन्य नाम बतौर सह खातेदार दर्ज कर दिये गये हैं। जिला कार्यालय से यह सूचना प्राप्त हुयी है कि उक्त दावा 24 जनवरी, 1971 से पूर्व दायर किया गया था। इसका नतीजा यह होगा कि इतने बड़े फार्म की जोत में से कोई भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हो पायेगी। मौके पर यह फार्म एक ही इकाई है और लगता है कि केवल एक परिवार के लाभ के लिये यह फार्म विद्यमान है। प्रदेश के कई जिलों, बिहार व नेपाल के लोगों के नाम फार्म में प्रत्यक्ष रूप से फर्जी दर्ज कराये गये हैं ताकि फार्म सीलिंग अधिनियम के प्राविधानों के लपेट से बच जाय।

श्रीमन्, यह मामला है।

दूसरा मामला अध्यक्ष महोदय, यह है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह जो आपका मामला है बिड़ला, हिंदालको का यह जो मामला है। उस मामले के वकील हमारे मुख्य मंत्री के सुपुत्र थे। और इस तरह से उच्च लोग जब उसमें आ जाया करते हैं तो प्रशासन के लोगों पर शक सुबहा बढ़ जाना लाजिमी होता है। जब प्रदेश के अधिकारी, मंत्री और मुख्य मंत्री इस तरह से करते तो भ्रष्टाचार और ईमानदारी की भले ही आप डींग मार लें लेकिन जब तक आप अपने को स्वच्छ नहीं करते तब तक चीजें सुधर नहीं सकतीं।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अवसर पर जब कि काफी माननीय सदस्य प्रवचन कर चुके हैं मैं थोड़ा सा समय जो माननीय विरोधी दल के नेता चरण सिंह जी ने कल कहा था उसको जवाब देने में लूंगा। सवाल यह है कि इस अवसर पर जब कि प्रशासन के सम्बन्ध में प्रवचन हो रहा था तो चुनाव का कोई सिलसिला नहीं था। एक अच्छे प्रशासन के लिए,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वच्छ प्रशासन के लिए, प्रभावकारी प्रशासन के लिए पैसे की जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है और अगर इसको देश माना जाता तो विश्व का आठवां या नवां देश होता जनसंख्या के आधार पर। इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह ने बतलाया कि चुनाव में बड़ी धांधली हुई। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि धांधली किस पक्ष से हुई। जहां से मैं आता हूं देवरिया जिले से वहां चौधरी साहब के उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने संगठन कांग्रेस के उम्मीदवार बदरी मिश्र की दाढ़ी नोंच ली और उनके परिवार के लोगों को डंडों से मारा। डकैती की रिपोर्ट थाना सलेमपुर में हुई। चुनाव के दौरान और आज तक जो रिपोर्ट हुई हैं वे बी० के० डी० के लोगों के खिलाफ हुई हैं। धांधली उनकी ओर से हुई है। मैं अपने यहां की बात जानता हूं। अन्य जगह की बात दूसरे साथी जानते होंगे। एक बात और कही गयी कि वह प्रदर्शन करना चाहते थे और प्रदर्शन करने के सिलसिले में पोस्टर छपे...

श्री रामसेवक यादव—

समर्थन के लिए धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

बात सही है। चौधरी साहब के बारे में माननीय सदस्या और मंत्री माननीय बाजपेयी जी ने आंकड़े दिये थे उसका जवाब आज तक नहीं आया और जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ी। क्या-क्या धांधली उन्होंने की है चाहे 69 में की या उनकी बीबी के चुनाव में हुई। उनका उत्तर आज तक नहीं आया। मैं कह रहा था एक दूसरा सवाल उठाया कि पोस्टर छपे थे कि देश के दुश्मन हैं। लोकतांत्रिक देश के अन्दर जिस पार्टी का नेता असेम्बली के अन्दर यह कहता हो कि अब यहां बैलट से नहीं बुलट से काम चलेगा और प्रदेश का प्रशासन उलट देंगे और ऐसे आदमी के आह्वान पर प्रदर्शन होने वाला हो तो वह लोकतंत्र के प्रतिकूल है, देश का दुश्मन है, हिन्दुस्तान का दुश्मन है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

वह पोस्टर सरकारी लगा था।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

यह सरकार का काम है कि शांति व्यवस्था बनाये रखे। जो कोई व्यक्ति राजनीतिक हो या अराजनैतिक हो जिसकी वजह से देश को और लोकतन्त्र को खतरा पहुंचेगा तो सरकार को उसे रोकना चाहिए और अगर बहुगुणा सरकार ने कुछ किया तो अपने कर्तव्य का पालन किया। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आपने कहा कि बिहार में जो पैसा सरकार देती थी क्यों रोक दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह तो बिहार की बात थी, वहां पूछनी चाहिए थी। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने टीका की कि वहां कोई बी० के० डी० पार्टी नहीं है तो पूछ नहीं सकते। लिहाजा इस हाउस में उस बारे में विचार करने की बात करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से हमारे जनसंघ भाइयों ने जब श्री नन्दा जी होम मिनिस्टर थे, उनके जमाने में साधुओं को गोली खिलवा दिया और बेवकूफ बनाकर भाग गये उसी तरह से जय प्रकाश नारायण जी राजनीति में घसीट कर ले आये।

मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि जब भी राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर के चुनाव का अवसर आता है तो पता नहीं यकायक श्री जय प्रकाश नारायण जी राजनीति में कूदने की

[श्री सुरेन्द्र प्राद मिश्र]

क्यों कोशिश करते हैं। तो जब तक राजनीति से परे वह बिहार की जनता की खुशहाली की बात करते रहे, हुकूमत उनको सहायता देती रही और जैसे ही राजनीति में वह शामिल हुए और आतंक पैदा करने, लोकतन्त्र को खतरा पहुंचाने के लिये जिस प्रकार से कदम उठा रहे हैं उसमें कोई भी सरकार मदद करने के लिये पैसा नहीं देगी और अगर बिहार की कांग्रेस सरकार ने बन्द कर दिया तो अच्छा किया। आपको भी चाहिये था कि इसको समर्थन दें। अगर लोकतन्त्र नहीं होता और चुनाव नहीं होते तो यहां बैठकर गाली देने का मौका आपको भी नहीं मिलता। ऐसी सूरत में एक चीज जो आपने कही कि एक अच्छी सरकार चलाने के लिये 3 चीजें जरूरी हैं, जैसा कि एक विदेशी विद्वान ने कहा है, जैसा चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था—एक तो फूड, दूसरा मिलिट्री और तीसरी जनता का विश्वास। अगर जनता का विश्वास प्राप्त है जिस सरकार को वह सरकार अच्छी है।

आज हमारे यहां खाद्य समस्या इतनी गम्भीर है, विश्व के बड़े-बड़े देशों जैसे अमेरिका, रूस के सामने हमारे पास हथियार नहीं हैं, सैनिकों का अभाव है, लेकिन जनता का विश्वास हमें मिला है तभी हमने बहुमत में आकर हुकूमत बनाई है। इस प्रकार से जितने भी व्यक्तिगत आरोप माननीय चरण सिंह जी ने लगाये उनको तो छूट है कि वह चाहे जो कुछ मुख्य मन्त्री जी के बारे में, या किसी अधिकारी के खिलाफ कह लें, लेकिन अगर भाई गौरी शंकर जी ने सत्य बात कही तो आपसे सहा नहीं गया कि उन्होंने अपने दमाद को जो यू० डी० ए० था उसको पी० सी० एस० रैंक दे दिया और उनको डिप्टी केन कमिश्नर बना दिया तो कौन सी गलत बात कही। यह तो सत्य का इजहार था और आपको परेशानी हो गई। यह भी सत्य है कि उनके भाई श्री मानसिंह के विरुद्ध जब इन्क्वायरी चली तो उन्होंने समाप्त कर दी। उन्होंने कौन सा निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार किया। जो भ्रष्टाचार को कम करने का नारा लगाता है उसे खुद भ्रष्टाचारी व्यक्ति के खिलाफ इन्क्वायरी समाप्त करने का कोई हक नहीं है वह दूसरों को शिक्षा देने का मुस्तहक नहीं है। यह मानवता की मांग है।

मैं एक सुझाव दूंगा। मुख्य मन्त्री जी भी आ गये हैं। जैसा चरणसिंह जी और माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा, मैं उनके विचारों से सहमत हूं कि प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिये किताबी ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, अनुभव का ज्ञान भी होना जरूरी है तभी प्रशासन ठीक ढंग से चलता है। जो आई० ए० एस० अफसरान 2–3 साल के बाद पोस्ट कर दिए जाते हैं उन्हें अनुभव का ज्ञान नहीं होता है, नतीजा यह होता है कि उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। जब पी० सी० एस० के आफीसर तजुर्बेकार पड़े हुए हैं उन अनुभवशाली व्यक्ति को तरक्की न दे कर काम करना अच्छी बात नहीं है। जैसा माननीय रामसेवक जी ने बताया कि केरल तथा अन्य प्रांतों में 57–62–63 के बैच के पी० सी० एस० अफीसरों को आई० ए० एस० का पद मिला चुका है लेकिन हमारे यहां 48–49 के लोगों को अभी नहीं मिला है, उनका मामला पड़ा हुआ है उन्हें तरक्की नहीं मिलती। वे समझते हैं हमको तरक्की का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से वे फिर भ्रष्टाचार में दिलचस्पी लेने लगते हैं। इसलिए उनको तरक्की के मौके मिलने चाहिए।

अन्त में मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी जब बोल रहे थे, तो माननीय लटूरी सिंह जी ने कहा था कि उनको स्पष्टीकरण का मौका दिया जाय। माननीय लटूरी सिंह जी को नियम 206 के अन्तर्गत मैं सफाई का मौका देता हूं।

श्री लटूरी सिंह (जिला एटा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी को अलीगंज की कहानी मालूम नहीं। मान्यवर, 23–5–74 को साढ़े 12 बजे दिन में होटल में चाय पी रहा था जहां पर मेरे ऊपर 8 आदमियों ने हमला किया और मुझको 2 गोलियां लगीं और 25 गोली मेरे ऊपर से निकल गयीं। मैंने तहसील में भागकर जान बचायी। पुलिस को सूचना मिली। पुलिस वहां से चली तो बीच में सड़क पर छत से गोलियों से पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें बाजार करने वाला एक बन्जर मारा गया एक बुढ़िया घायल हुई और दो दूकानदार घायल हुए। पुलिस मुझे ले जाकर मेरे मकान पर छोड़ आई। अस्पताल नहीं ले गयी, क्योंकि वहां पर सुरक्षा नहीं थी। त्रिपाठी जी ने जो कहा कि जो दूकानें लूटी गयीं, उसमें मेरा भी नाम शामिल किया है। मान्यवर, मुझको 2 गोलियां लगीं थीं और मैं बेहोश था .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इनका नाम नहीं था.....

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया अभी न बोलें। आपको मौका मिलेगा।

श्री लटूरी सिंह—

श्री नाथूराम गुप्ता हैं, जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई है। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है कि गेंदालाल जी व उनके आदमी अपनी दुकान में आग लगा रहे हैं क्योंकि इन लोगों का षड़यन्त्र था कि दोनों तरफ मुकदमा लिखा जाय, और दोनों तरफ परेशानी हो। मान्यवर, इनके और भी किस्से हैं। 6–9–73 को इन्हीं गेंदालाल जी ने अपने तीन साथियों सहित तीन आदमियों पर दिन-दहाड़े हमला किया,—एक पंडित छोटे लाल हैं, एक रामेश्वर भुर्जी और एक मुसम्मात केतकी हैं। तीनों बुरी तरह जख्मी हुए। गेंदालाल जी का चालान हुआ लेकिन इन्होंने अप्रोच से, (और वह त्रिपाठी जी की ही अप्रोच है) छूट गये और मामला सी0 आई0 डी0 को चला गया। इनके असलहा तक सस्पेंड नहीं हुए। सी0 आई0 डी0 ने तफतीश अभी तक फाइनल नहीं किया। तो इस तरह के इनके कुकृत्य रहे हैं। आज भी इस केश की इन्क्वायरी सी0 आई0 डी0 कर रही है। मैं समझता हूं उच्च अधिकारी करीब-करीब इस मौके पर हो आये हैं; उनकी नालेज में यह है। रिपोर्ट इन्होंने इसलिए लिखाई ताकि तफतीश हो, चालान हो, घर वालों का चालान हो, जबकि रिपोर्ट में दिये हुए में एक आदमी कायमगंज थाने में पकड़ा जा चुका था, मैं गोली खाकर बेहोश पड़ा था और मेरे घर के आदमी बारात गये थे। इनके ऊपर रिपोर्ट लिखाई है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि माननीय सदस्य पर गोली चलाई गयी। खैर, उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं।

मेरे कहने का मतलब यह नहीं है मुझे खेद है, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई विरोधी आदमी हो उस पर गोली चल जाय। यह सत्य कि वहां पर गोली चली, शटर्स तोड़े गये। दूकान लूटी गयी। पूर्ण सिंह दरोगा वहां रहा। 5 मिनट बाकी है लूट लो, 10 मिनट बाकी हैं लूट लो यह मैंने नहीं कहा। माननीय मुख्य मन्त्री जी न खुल कर सारी

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

बातें कहीं कि सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायेंगे और जो रिपोर्ट आयेगी उस पर कार्यवाही करेंगे। दोनों तरफ से रिपोर्ट थी और दोनों तरफ से गोली दिन में चली। दूकानें लूटी गयीं और फूंकी गयीं। तो फिर क्या कारण रहा कि एक तरफ के हथियार रखा लिये गये और दूसरी तरफ उचित नहीं समझा गया कि उनके हथियार भी रखाये जाते। उनकी रक्षा भी होनी चाहिए। बन्दूक रखनी थीं तो दोनों की रखनी चाहिये थीं और नहीं रखनी थीं तो किसी की भी नहीं रखनी चाहिये थीं। मुख्य मन्त्री ने केवल यह कहा कि जांच करायेंगे और जो ठीक होगा किया जायगा।

*श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच)---

अधिष्ठाता महोदय, सामान्य प्रशासन पर चर्चा करते समय मुझे आशा थी कि सत्तारूढ़ दल की ओर से माननीय प्रभु नारायण सिंह जैसे बुजुर्ग तथा वरिष्ठ नेता जब बोल रहे थे तो वे हमें कुछ सुझाव देंगे लेकिन खेद है कि प्रभु नारायण जी ने यह कहा कि विरोधी दलों के बारे में कि वह अराजकता की ओर ले जा रहे हैं। जनतंत्र के अन्दर प्रदर्शन करना, अहिंसात्मक आन्दोलन करना क्या अराजकता फैलाना है? वह भूल गये जब संविद सरकार के वे मंत्री थे तो उन्होंने दिल्ली में जाकर प्रदर्शन किया था और अपने को गिरफ्तार कराया था मंत्री की हैसियत से। उन्होंने यह भी कहा कि आज सोशलिस्ट पार्टी स्वतंत्र पार्टी के साथ है लेकिन वह यह भूल गये कि संविद सरकार में स्वतंत्र पार्टी के साथ वह भी मंत्री थे। इसलिये मेरा उनसे अनुरोध है कि दल बदलने के साथ-साथ मान्यतायें नहीं बदलनी चाहिये। आप विरोध पक्ष में रहे और आपकी कुछ मान्यतायें उस समय थीं लेकिन शासन में जाते ही आप भूल गये कि आपका क्या उद्देश्य था?

मैं अब बजट की ओर आना चाहता हूं। प्रदेश के अन्दर सभी चाहते हैं कि प्रशासन चुस्त हो, ठीक से चले। इसके लिये आवश्यक होता है कि कुछ अधिकारियों को विशेषज्ञता का अनुभव कराया जाय। जो अधिकारी विभाग विशेष के सचिव पद पर काम करें उनको उस विभाग के बारे में अच्छा अनुभव होना चाहिये जिससे उस विभाग की बारीकियों और कठिनाइयों को वह समझ सकें लेकिन हमारे मुख्य मंत्री ने सचिवालय में जिस समय परिवर्तन किया तो मैंने देखा कि सामुदायिक विकास और पंचायत राज जैसे विभाग में जिसमें बड़े वरिष्ठ व्यक्ति होने चाहिये थे और जिनका विशेष अनुभव होना चाहिये था जैसे हक साहब पंचायत राज में बड़े अनुभवी थे, तथा इफतिखार हुसेन साहब सेक्रेटरी थे पंचायत राज से उनको वहां से हटा दिया गया और नये अधिकारी पांडेय जी को ए0 पी0 सी0 बना दिया। जहां तक मेरी जानकारी है पांडेय उन अधिकारियों में हैं जो जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों को अधिकार देने के विरोधी हैं। ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का ए0 पी0 सी0 बनाना मेरी समझ में नहीं आया। अन्य अधिकारियों के बारे में अन्य नेता बोल चुके हैं, उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है।

अब मैं जो बजट के अन्दर अपने खर्च रखे हैं उन पर कुछ कहूंगा। आज सेक्रेटेरियट में 25 स्टाफ कार्स हैं लेकिन फिर भी इस बजट में एक स्टाफ कार खरीदने की व्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आवश्यकता है? जिस समय देश के अन्दर गरीबी है, इतनी महंगाई उस समय स्टाफ कार एक और खरीदी जाय, इसका क्या औचित्य है? यही नहीं, इलाहाबाद में कुम्भ में छठवें और बारहवें वर्ष लगते हैं और वहां पर सदैव टेम्पोरेरी रूप से थाने बनाये जाते थे। और दूसरी व्यवस्थायें की जाती लेकिन आज एक लाख 20 हजार रुपये लगाकर 6 सौ बीघे भूमि खरीदने का सरकार ने निर्णय लिया है। हमें आशंका है कि कहीं उस भूमि का दुरुपयोग न हो और कहीं ऐसा न हो कि थाना बनाये जाने के नाम पर वह भूमि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने लोगों को एलाट की जाये। आज ऐसे ही खर्चों पर सरकार को अंकुश रखना चाहिये और देखना चाहिये कि किफायतसारी से हम सरकार को चलावें।

अब मैं पुलिस विभाग के बारे में विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आज पुलिस विभाग में जो कर्मचारी हैं जो नई नियुक्तियां हुई हैं, जिस तरह से आई जीज़ को नियुक्ति की गयी है मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। यह सही है पुलिस के विभिन्न अंग हो सकते हैं लेकिन अगर उन अंगों के ी0 आईजीज़ को मुख्य मंत्री जी सीधे अपने अन्डर में रखते तो मुझे एतराज न होता लेकिन पी0ए0सी0 का आई0जी0 अलग, सिविल पुलिस का आई0जी0 अलग, होमगार्डस का आई0जी0 अलग, टीलीजेंस का आई0जी0 अलग, यह इतने कम्पार्टमेंट्स बना दिये गये हैं, पुलिस को इतना तोड़ दिया गया है कि पुलिस प्रशासन एक व्यक्ति के अधीन न होकर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा हो रहा है। इससे खर्चा तो ढ़ा ही, लेकिन प्रशासन की चुस्ती समाप्त हो गयी है। आज जो पुलिस की स्थिति है वह हमें रोज देखने को मिलती है। आज ही के "स्वतंत्र भारत" अखबार को देखिये तो मालूम होगा कि सीतापुर ट्रेजरी के अन्दर सिविल गार्ड्स का कैश बाक्स गायब हो गया। यह ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था की स्थिति है। अभी कल या परसों के अखबार में था कि 6 सौ लड़कियां बरामद हुई हैं। यह स्थिति है। जो स्थिति है उसको हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि कहीं पी0ए0सी0 के सिपाही और कहीं सिविल पुलिस के सिपाही डकैती डालते हैं, कहीं रहजनी तथा विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किये जाते हैं।

मेरे जनपद बहराइच में ही पी0ए0सी0 के चार सिपाही डकैती और रहजनी में अब तक गिरफ्तार किये गये और जेल भेज ग ं। यह है आज पुलिस विभाग की स्थिति और इसके बाद जब प्रदेश का सत्तारूढ़ दल और उसके सदस्य पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप करते हों तो स्थिति और भी बिगड़ जाती है।

इसके लिये मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं अपने बहराइच जनपद के, केसरगंज थाने के एस0ओ0 ाकुर बी0 बी0 सिंह के विरुद्ध मुहम्मद शफी ने मुख्य मंत्री जी को प्रार्थना-पत्र दिया तब उस पर कार्यवाही हो सकी कि उसका स्थानान्तरण प्रतापगढ़ कर दो परन्तु पता नहीं कि क्या राजनीतिक दबाव है या क्या कारण है कि ाकुर बी0 बी0 सिंह का स्थानान्तरण होने के बाद भी उनको रिलीज नहीं किया जाता है जब कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, ुराचार और नाना प्रकार के आ ोप हैं और फिर भी उनको वहां रोक रखा गया है और उनका रिप्रेजेंटेशन यहां आया है कि उनके स्थानान्तर को रद्द कर दिया जावे। उसी जनपद के एक दूस एस0ओ0 श्री सी0बी0 मल के लिये आदेश हुआ कि उनका स्थानान्तरण किया जावे। लेकिन केन्द्रीय मंत्री पंडित कमलापति जी के सुपुत्र जो एम0एल0सी0 का चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने दो तीन बार मिल कर दबाव डाला कि उनका स्थानान्तरण नहीं होना चाहिये। मैं नहीं जानता कि एस0पी0 स्थानान्तरण किस कारण से हुआ लेकिन वह एस0ओ0 बराबर यह कह रहे थे कि हमारा तबादला नहीं होगा लेकिन एस0पी0 को यहां से जाना होगा और हुआ वही कि एस0पी0 का स्थानान्तरण हो गया। ऐडमिनिस्ट्रेटिव कारणों पर तबादला कर दिया जाय तो ठीक है लेकिन राजनीतिक दबावों के कारण जो केन्द्रीय और प्रान्तीय नेताओं से पड़ते हैं अगर उस थानेदार का तबादला रोका गया है और नहीं हो रहा है तो उसके कारण वहां पर भ्रष्टाचार बराबर पनप रहा है।

अब मैं अपने-अपने जनपद के एक राजनीतिक सांठ गांठ का उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं। नानपारा थाने के अन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टी और पुलिस की सांठ

[श्री सुखद राज सिंह]

गांठ से, जो सन् 67 में नक्सलवादी स्थिति पैदा हो गयी थी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, करायी जा रही है। वहां के गरीब काश्तकारों की जमीन उनके खेत पुलिस के समर्थन से कम्युनिस्ट लोग हड़पते चले जा रहे हैं। खेतों पर कब्जा कर रहे हैं जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। जिन लोगों की जमीनों पर कब्जा किया गया है वे छोटे और गरीब लोग हैं ऐसी स्थिति में मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे प्रशासन को चुस्त बनाने के लिये उचित कदम उठायें। इन शब्दों के साथ ही मैं माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मधुकर दिघे--

हम लोगों को बोलने का अवसर दें.....

एक सदस्य--

आप वहां का पक्ष ले रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं सूचना दे रहा हूं। अभी तक विरोधी पक्ष 2 घंटा 58 मिनट बोल चुका है जबकि कांग्रेस के माननीय सदस्यों को केवल 1 घंटा 47 मिनट ही मिला है। इस तरह से चेयर के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिये।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

हमें बोलने का मौका मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

आपको समय मिलेगा, आप कृपया बैठें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुये तथा आपकी विशेष अनुकंपा के लिये आप का आभारी हूं मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं जिसमें कि प्रदेश के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र का समाधान है, जिसमें उनके लिये राहत और विकास के सारे प्राविधान हैं। इस कार्य के लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश के अन्दर इतनी अल्प अवधि के भीतर ही बहुत अच्छे प्रगतिशील कदम उठाये हैं। प्रदेश के शासन को स्वच्छ और गतिशील बनाने के लिये उन्होंने जो कदम उठाये हैं उसके लिये भी वे बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल का भी आभारी हूं जिन्होंने इस सदन में कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुये प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन की कसौटी का मापदन्ड निर्धारित किया। इसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि चीनी महानदर्शी दार्शनिक कंफ्यूशियस उसकी क्या-क्या बातें थीं। उन्हीं दो-तीन बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अगर जनता की सरकार की नीयत पर संदेह न हो वह सरकार अच्छी है। इसी सिलसिले में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अब इससे बड़ी कसौटी क्या हो सकती है कि अभी हाल ही के चुनाव में बहुगुणा जी की सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। इससे साफ जाहिर है कि जनता का हमारे ऊपर विश्वास है और हमारी नीयत पर उसको कोई संदेह नहीं है।

चौधरी साहब ने महागठबंधन की बात सही उठायी है। आज चौधरी साहब जोड़-घटाने में भी भूल रहे हैं और गुणा-भाग में भी भूल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आंकड़ों के पंडित है लेकिन कभी-कभी उनका जोड़ घटाना गलत हो जाता है। एक बार इसी घटाने में में गुप्ता जी के जनाने में उनको अवश्य सफलता मिली है। अधिष्ठाता महोदय, मैं इसी संदर्भ में उनको पीछे की ओर ले जाता हूं और याद दिलाता हूं कि एस0 वी0 डी0 सरकार की जब मनीराम क्षेत्र का चुनाव हुआ था और टी0 एन0 सिंह को हार खानी पड़ी थी। इसके साथ ही उन्होंने प्रजातंत्र की दुहाई देते हुए उसके सिद्धान्तों और परम्पराओं के बारे में कहा तथा मान्य परम्पराओं और आदर्शों की व्यवस्था करते हुये उन्होंने बहुत लम्बी-चौड़ी बात कही थी, क्या वह वे बातें भूल गये। इसी सदन में उस दिन क्या हुआ? जिस दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। उस दिन इस सदन में कितनी शर्मनाक घटना घटी। इतना ही नहीं, बाहर भी बुले की बात होती है, देश में अराजकता फैलाने की बात होती है, हिंसा का प्रसार करने की बात होती है, तो आप सोचें कि यह कहां तक गलत है? क्या यही संसदीय प्रणाली है? क्या यही मान्यताएं हैं? मैं बताना चाहता हूं कि बात सच यह है कि न्दिरा जी समाजवादी नीतियों से कुछ लोग भयभीत हो चुके हैं और इस देश के एक बड़े वर्ग को ऐसा लग रहा है और वह अपनी सारी शक्ति से महंगाई और भ्रष्टाचार के नाम पर उनको कलंकित करना चाहते हैं और सारा दोष उन पर मढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार देश को दिशा भ्रम करना चाहते हैं। किन्तु सभी जानते हैं कि देश आजाद हुआ, देश की आवश्यकतायें बढ़ी और जब आवश्यकतायें और आकांक्षाएं बढ़ती हैं तो कुछ कमियां होती ही हैं, और इससे कहीं कुछ छुटपुट वारदात भी हो सकती है। श्रीमन्, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं:

नशा पिला कर गिराना तो सबको आता है,
मजा तो इसमें है कि गिरते को थाम ले साकी।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज बड़े....

एक सदस्य—

श्रीमन्, कितनी बार खड़ा हुआ, लेकिन आप हमें समय नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह मैं बता चुका हूं कि किन-किन दलों के कितने-कितने लोगों को समय मिल चुका है। किन्तु उनके दल के किसी भी सदस्य ने कल से लेकर आज तक भाषण नहीं दिया है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

आज बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, खास तरीके के विभाग के अनुदान के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव पर बहस हो रही है। इस पर माननीय मुख्य मंत्री, तथा ट्रेजरी बेंचेज के अन्य बहुत से सदस्यों ने बड़े अच्छे-अच्छे भाषण दिये हैं, जिनसे ऐसा मालूम होता है कि हम लोग बिलकुल स्वर्ग की सैर कर रहे हैं और यह बहुत अच्छा प्रशासन है। किन्तु सदन के बाहर प्रदेश की स्थिति क्या है? आज प्रदेश की जनता लाचारी और घुटन की जिन्दगी गुजार रही है। आज दमघोटू परिस्थितियों में देश पूरी तरह से फैलता चला जा रहा है। उसके कारण क्या हैं।

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा]

आज सरकार की नीतियां, जो जनविरोधी, खोखली और दिशाविहीन हैं। इसका परिणाम यह है कि आज हमारा देश दुर्गति की ओर बढ़ता जा रहा है। हमारे विरोध पक्ष के साथियों ने इसकी नीतियों को पूंजीवादी बनाया है। किन्तु मैं कहता हूं कि पूंजीवादी नहीं, बल्कि कांग्रेस की कोई नीति ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई आदमी भंवर में फंस जाता है और उस वक्त उससे छुटकारा पाने के लिये चारों तरफ हाथ-पैर मारता है, किन्तु उसके हाथ में तो कुछ पड़ता नहीं बल्कि और चक्कर में फंसता चला जाता है। उसी प्रकार से इस कांग्रेस सरकार की नीति है।

डाक्टर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी ने राष्ट्र को एक चौखम्भा राज्य की नीति दिया था ताकि शासन का विकेन्द्रीकरण गांव, जिला, प्रान्त और केन्द्र चार स्तरों पर हो सके और प्रशासन चुस्त और स्वच्छ हो सके। किन्तु उस पर अमल नहीं हुआ। उस पर अमल किया जाता और विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाई गई होती तो शायद कुछ होता। उसके परिणाम स्वरूप यदि चौखम्भा नीति का संविधान परिषद् ने आदर किया होता और संविधान में उसको स्थान दिया होता तो आज जो हम रूस, अमेरिका और इंग्लैण्ड की तरफ शीशे में झांक रहे हैं, वह स्थिति न होती। उसी का परिणाम यह है कि आज हमारी स्थिति धीरे-धीरे बराबर बिगड़ती चली जा रही है। आज कांग्रेस की अदूरदर्शी नीति के कारण देश में घोर जन असंतोष है। नाइंसाफी बढ़ती चली जा रही है। जिस देश में नाइंसाफी होगी अराजकता बढ़ेगी। न्याय मिले बिना, पुलिस और सरकार हथियार के बल पर विद्रोह को कभी रोक नहीं सकती। बराबर देश दलदल की स्थिति म फंसता चला जा रहा है।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आज विरोधी दल के लोग अराजकता की तरफ हमारे प्रदेश को लिये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके ये विचार अपाहिजों के जैसे विचार हैं। आंखों के सामने देश बरबाद होता रहे, देश लुटता रहे, हम मूक दृष्टि से देखते रहें चुप चाप देखते रहना अपराध है। आज मंत्रियों की तरह-तरह की स्थिति है। हमारे पांडय जी जैसे मंत्री हैं, उनके तरह-तरह के योग्यता के सर्टिफिकेट हमारे सामने आते रहते हैं। आज हमारे माननीय सदन में बाजरा कांड, ग्लूकोज कांड, जो कांड हमारे सामने आये, जितना भी ऊंचा वर्ग का आदमी है हर तरह से काला धन कमाने की तरफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। हमारे सामने जैसे धान के बीज के तस्कर व्यापार की समस्या सामने आयी, हमारे कानपुर में केन्द्र के 46 वरिष्ठ मंत्री, हमारे प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री, इनके परिवार के लोग गेहूं का, चावल का तस्कर व्यापार नेपाल और दक्षिण भारत को खुलासा पिछले साल से करते चले आ रहे हैं। उन पर किसी प्रकार की रोकटोक नहीं। खुले आम करते चले आ रहे हैं।

हमारे उद्योगों का मामला है। जहां पर उद्योग में कच्चा माल ही न होगा वहां हमारा प्रदेश अवनति की तरफ चला जायगा। हमारे यहां उद्योग धंधे के नाम पर सारा का सारा कच्चा माल चोरी से बेचा जाता है। पिछले टाइम में इत्तला मिली थी कि लोहे की चादरें टीन की चादरें पाकिस्तान और दूसरे प्रदेशों को चली जा रहीं हैं। सारा का सारा उद्योग कागज पर चल रहा है। उद्योग के कारखाने नहीं हैं कोई चीज नहीं है पूर्ति कार्यालय में जैसे कोयला आता है। एक रैक में 35 बोगी कोयला होता है और बोगी में 60-65 टन कोयला होता है। एक बोगी में करीब चार-पांच हजार रुपये का ब्लैक होता है। प्रति दिन करीब एक रैक कोयला आता है। वह खुले आम चोरी से बेच दिया जाता है। (व्यवधान) यह विकट समस्या है। यहां प्रशासन पूरी तरह से बिगड़ गया है।

8 जून को मैं गया हुआ था कानपुर। मुझे पता चला कि तमाम कंट्रोल की शक्कर उठा कर खाद्य निगम से एक सेठ के यहां खुले आम बेच ली गयी। मैंने पुलिस को इत्तला किया।

पुलिस ने शकर पकड़ी। उस सेठ का चालान हुआ। डी0 आई0 आर0 में। परन्तु पांच हजार रुपये पुलिस ऐसे गवाहों का नाम रख दिया कि तुरन्त दूसरे दिन जाकर गवाहान ने हलफनामा लगा दिया, और दूसरे ही दिन तीन हजार रुपया देकर मजिस्ट्रेट को सेठ जमानत द्वारा घर में बैठ गया। दस हजार रुपया खर्च करने के बाद। यही समस्या है जो चारों तरफ है कोई रोकने वाला नहीं है। कोई व्यापार नहीं है जिसमें लूट न हो। कानून में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। पर सरकार क्या करती है। सब बड़े अधिकारियों के ओहदे बढ़ा रही है। जैसे ए0 डी0 एम0 सीलिंग नियुक्त किये गये हैं 800–1,400 के ग्रेड में वह जमीन का एलाटमेंट नहीं कर सकते एस0 डी0 एम0 करेंगे करीब 45 के नियुक्त होंगे। मुकदमा यह नहीं कर सकते। इनकी डयूटी क्या है। सरकार शायद अपने चहेतो को पदोन्नत करने के लिये नई पोस्ट बढ़ाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार अन्य अफसरों का मामला है। आज तमाम बड़े-बड़े अफसर डी0 आई0 जी0 वगैरा बढ़ाये जा रहे हैं।

एक थानेदार स्वतंत्रता संग्राम के समय का था। वह कहा करता था कि एफ0 आई0 आर0 लिखने का मुझे अधिकार है, फाइनल रिपोर्ट लगाने चार्जशीट लगाने का मुझे अधिकार है तो फिर बड़े अफसरों की नियुक्ति इसीलिये है कि कमायें हम और उनको दें। ठीक इसी तरह से हमारे बड़े-बड़े अधिकारियों का हाल है। छोटे-छोटे कर्मचारी उनकी सेवा में लगे रहते हैं। पुलिस विभाग की स्थिति बराबर बिगड़ती चली जा रही है पुलिस विभाग की हालत यह हो गई है कि जितनी भी उसकी आलोचना की जाये यह कम है। रिपोर्ट न लिखना, मुकदमों में झूठा फंसा देना और तमाम जरायमों में पुलिस का हाथ होता है। सरकार को गम्भीरता के साथ इसको देखना चाहिये।

पी0 ए0 सी0 के लोग भी हमारे देश के नागरिक है। इसलिये उनको भी एक संगठन के आधार पर अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिये। उन्होंने पुलिस परिषद् बनाने की कायदे से मांग की थी। वह अपनी बात परेशानी कहने के लिये अपना संगठन चाहते थे। सरकार ने उसको नहीं माना और उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई। हजारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया और बहुतायत आदमी उनके मारे गये। पता नहीं सरकार क्या करना चाहती है। उनकी बहुत गम्भीर समस्या है। इसको अविलम्ब सुलझाने की आवश्यकता है।

इनका अपराध अनुसंधान विभाग है। यह जांच करके सरकार को रिपोर्ट पेश करता है। लेकिन म समझता हूं कि सरकार की निगाह में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे कि जौनपुर का एक केस है। वहां की युवक कांग्रेस कमेटी के मंत्री ने एक अभियन्ता के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये। इसकी जांच विजिलेंस कमीशन ने की और अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी कि आरोप सही है। लेकिन यह क्या हुआ? उसके बाद चुनाव हुआ और एक ऐसे मंत्री आ गये जिनका उनके साथ लगाव था। उन्होंने तुरन्त उस कार्यवाही को वापस ले लिया और केस खत्म कर दिया गया। मुख्य मंत्री जी बताय कि कितने मामलों की इसी विभाग से जांच कराई गई और इसकी रिपोर्ट स कितनों से ऐक्शन लिया गया और कितनों को वापस कर लिया गया।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी गढ़वाल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कल पूरे समय तक माननीय चौधरी साहब का भाषण सुनता रहा और इस भाषण से मुझे यह लगा कि जितना उनका संसदीय जीवन का अध्ययन है उतना मेरा जीवन भी नहीं है। इसलिये मैं समझता था कि वह विरोध के लिये विरोध नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा इस सदन को बहुत सी आवश्यक और महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तथ्यों को जैसा कि माननीय चौधरी साहब को प्रदेश के आंकड़ों का सम्राट समझा जाता है उन्होंने उन तथ्यों पर न जाकर दुर्भावना के शब्दों का संकेत किया। मैं यह कहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के प्रश्न को लेकर इस प्रश्न को उठाया। उनकी भाषा से यह मालूम होता है कि पर्वतीय जिले उत्तर प्रदेश के भार हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में अगर एक सड़क बनायी जाती है तो उस पर सामान्य सड़कों से कई गुना व्यय होता है। उन्होंने 2 बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह बजट गढ़वाल को प्रमुखता और प्राथमिकता देने वाला बजट है और अन्य क्षेत्रों को निगलेक्ट करने वाला है। इन शब्दों से मुझे महसूस होता है कि उनके मन में इस तरह की विचारधारा है। इसी कारण तमाम पर्वतीय लोग यह चाहते हैं कि एक अलग पर्वतीय राज्य कायम किया जाये।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के सम्राट चौधरी चरण सिंह हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश से गढ़वाल के बाहुल्य उद्देश्य को निकाल दिया। उन्होंने पन्त नगर विश्वविद्यालय में प्रांगण के निर्माण का जिक्र किया। मैं ऐसा समझता हूं कि चौधरी साहेब को इसकी जानकारी होगी कि वहां इस कार्य के लिए जो रुपया दिया जा रहा है वह केन्द्रीय सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है। यह धनराशि यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन के जरिये मिली है। दूसरी बात गढ़वाल विश्वविद्यालय की कही। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की यह घोषित नीति है कि हर डिवीजन में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो उस नीति के अनुसार अगर गढ़वाल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो कौन सी बात हो गयी। उनको यह नहीं कहना चाहिए। मैं नहीं सोच सकता हूं कि चौधरी साहेब जैसे उच्च स्तर के नेता इतने नीचे तक आ सकते हैं। यह दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश में झांसी, बरेली और फैजाबाद में इसकी पूरी व्यवस्था कर दी है अगर हमारे यहां कायम की जाती है तो क्या कोई नुकसान है। मैं कहना चाहता हूं कि गढ़वाल आज भी पिछड़ा हुआ है। वहां के लोगों को पीने के पानी की दिक्कत है। पानी नहीं उपलब्ध है। पूर्वी गढ़वल एक ऐसा हिस्सा है जहां नैनीताल होकर, बिजनौर होकर पौड़ी पहुंचना पड़ता है। 3 दिन में साढ़े तीन सौ मील यात्रा करनी पड़ती है।

(इस समय 3 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अगर हम एक सड़क के लिए मांग करते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश के खजाने में और चौधरी चरण सिंह के मन में इस तरह की भावना आ जाती है और हमारे लिए कोई अवसर नहीं रह जाता है। चौधरी साहेब कल करुणा के अवतार बन कर एक विधवा का जिक्र कर रहे थे। मैं तो समझ रहा था कि अभी आंसू टपकेंगे।

एक विधवा जिसका 15 साल का बच्चा है उसके लिए कहा कि हमने रोटी खिलाई। क्या आपको नहीं मालूम है कि गढ़वाल के कितने लोगों ने वीर गति प्राप्त की है। 3409 गढ़वाली चीन के युद्ध में मारे गये जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष थी। 3,732 गढ़वाली पाकिस्तान के युद्ध में मारे गये और बंगला देश के युद्ध में 435 आदमी मारे गये। और मान्यवर, आपने जो कल उस विधवा के लिए कहा जिसके कि 15 साल का बच्चा है। मैं आपके माध्यम से करुणावतार होने के नाते से, एक पिता के रूप में होने के नाते से पूछना चाहता हूं कि जिन

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माताओं और बहनों के बारे में जो विधवा हो गई हैं, उनके बारे में कुछ कहा ? मान्यवर उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन सरकार ने उनके लिए कर दिया है। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह इस दुर्भावना की दृष्टि से ढाई घंटे बोले। क्या उनके लिये इस प्रकार की बातें शोभा देती हैं कि वह इस दुर्भावना को लेकर जो कि अपना भाषण कल दिया मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जब भी जरूरत पड़ती है इन बहादुरों की और बड़े-बड़े बहादुरों की, देश की रक्षा के लिए, देश की मर्यादा की रक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, तब गढ़वाल नजर आता है, तब गढ़वाल की आवाज की याद आती है कि कहां है वह गढ़वाल। और जब गढ़वाल को कुछ देने की बात आती है तो कहते हैं कि यहां क्यों सड़क बन रही है, यहां क्यों विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, यहां क्यों उन्नति के साधन जुटाये जा रहे हैं ? दूसरी बात मैं मान्यवर, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि चौधरी साहब से कि यह जो गंगा और जमुना की उर्वरक की देन है वह कहां की है।

मैं चौधरी साहब से यह बता देना चाहता हूं कि यह गंगा और जमुना की उर्वरक की जो देन है इसका श्रेय गढ़वाल को ही है। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए हम साल भर अपनी खेती को सुन्दर बनाते हैं, उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। तो मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की भावनाएं विशेष कर पहाड़ी क्षेत्र के लिए कहा गया है, मैं स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि यह केवल मात्र हमारे चौधरी साहब की ऐसी दुर्भावनाएं हैं, जिसके कारण हमारे पहाड़ी क्षेत्र के भाइयों में बड़ा ही असन्तोष है। मान्यवर, चौधरी साहब आज ही नहीं हमेशा पहाड़ी क्षेत्र के लिए इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त किया करते हैं। मान्यवर, इससे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बातें कह कर चौधरी साहब हम पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र के भाइयों में दरार पैदा करना चाहते हैं। इससे ज्यादा और लज्जा की क्या बात हो सकती है।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय चौधरी साहब ने इस भावना से प्रेरित होकर यह बात कही है और वह यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का जन्म गढ़वाल में हुआ है। इस बात को उछाल कर मा0 चौधरी साहब हम लोगों में एक असन्तोष पैदा करना चाहते हैं। मैं यह उनसे बता देना चाहता हूं कि पहाड़ का खून कभी भी देश के साथ गद्दारी करने वाला नहीं है। पहाड़ के लोगों ने हमेशा पीठ नहीं दी है उन्होंने छाती दी है अपने देश की सुरक्षा के लिए। मान्यवर, इस पहाड़ी क्षेत्र ने देश के लिए जो बलिदान दिया है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मान्यवर यह पहाड़ी क्षेत्र अपने देश की सीमा बनकर इस हिन्दुस्तान और देश की सुरक्षा के लिए प्रहरी बन कर रहा है और उसने अपनी लकड़ी, घी, मिट्टी भी दिया है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने पुत्र को भी दे दिया है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ आपके द्वारा विनम्र निवेदन करूंगा कि इस प्रकार जो लांछन वह पर्वतीय लोगों के ऊपर लगाते हैं और अपनी दुर्भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ऐसी बात करते हैं यह हम लोगों को पीछे करने की बात है।

विश्वविद्यालय की बात करते हैं। दो साल पहले हमारे यहां डिग्री कालेज नहीं थे, अगर आज हम बात करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं ? क्या उत्तर प्रदेश के हम नागरिक नहीं हैं ? क्या हम लोगों को जीवित रहने के लिये साधन की आवश्यकता नहीं है ? मुजफ्फर नगर आदि जिलों के नागरिकों में ही विशेषता है ? बाल योगेश्वर की बात कहते हैं, माननीय चौधरी साहब तो उत्तर प्रदेश में आर्य समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन उस पाखंड में जब कि लोग भगवान को न मानकर पड़ जाते हैं तो आर्य समाज ने पाखंड के विरुद्ध

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

क्या किया ? माननीय सदस्य यहां उपस्थित थे , एक शब्द भी माननीय चौधरी साहब ने नहीं कहा । वह स्वयं पाखंडी हैं और पाखंड के पीछे अपने आप को लगाये हुये हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब जवाब देंगे ।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मुझसे पूछा गया था कि क्या आधा घंटा काफी होगा मेरे लिये जवाब देने के लिये ? अब मैं यह सोच रहा था कि जवाब दूं तो किस चीज का ? आधा घंटा भी जरूरत से ज्यादा है । इसलिये मैं आप से कहने जा रहा था कि 10 मिनट किसी दूसरे दोस्त को दे दें, लेकिन खैर, अब दोस्तों में झगड़ा होगा कि किस को दिया जाय ? इसलिये मैं अपना पूरा बयान . . .

एक सदस्य—

अपने साथियों का हक आप खुद ही मारे लिये जा रहे हैं ?

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, नियम यह है कि कटौती के प्रस्ताव पर जो बहस हो, उसका जवाब प्रस्तावक दे और उसके बाद संबंधित मंत्री उसका जवाब दें। यह नियम अब तक रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस नियम में तबदीली की जरूरत होगी । संबंधित मंत्री का जब भाषण हो जाय उसके बाद कटौती का प्रस्ताव पेश करने वालों को मौका मिलना चाहिये । क्योंकि असल जवाब मंत्री देंगे । अब जो कुछ मैंने प्रश्न उठाये हैं मैं नहीं समझता कि वह सबका जवाब देंगे—लेकिन उसका जवाब माननीय बहुगुणा जी देंगे और उसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा । यह मैं आपके लिये कह रहा हूं कि बहैसियत स्पीकर आगे जब कभी रूल्स कमेटी की मीटिंग हो तो इस नियम में परिवर्तन करने पर जरूर विचार करने की आवश्यकता होगी । शायद ब्रिटिश पार्लियामेंट या अपनी पार्लियामेंट की जो प्रोसीजर है उस सबको देखना होगा । क्योंकि जैसा मैंने अर्ज किया, मैं जवाब दूं कि किस चीज का ? कोई बात किसी ने कही नहीं खास ।

अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटी सी बात कहने के बाद मैं और इसी प्रकार की एक बात कहना चाहता हूं जिसका डिबेट से कोई संबंध नहीं है—ज्यादा इंटीमेट संबंध नहीं है । वह बात यह है कि तजुर्बा यह बतला रहा है कि हमारी इस असेम्बली की डिबेट अन-रीअल होती जाती है। डिबेट में आर्गूमेंट का जवाब आर्गूमेंट से नहीं दिया जा रहा है । मुझको याद है पं० गोविन्द बल्लभ पंत के जमाने की बात कि जो अपोजीशन बेंचेज की तरफ से कहा जाता था उसका एक-एक का जवाब पंडित जी देते थे । और हम सब लोगों पर जिनको यह सौभाग्य हासिल था उनके साथ काम करने का असर पड़ता था । हमारी तरफ से बराबर यही कोशिश होती थी, कोई गलती गवर्नमेंन्ट की होती थी तो हम स्वीकार करते थे और पार्टी में उस पर बहस होती थी और उस वक्त यह स्टैंडर्ड था कांग्रेस पार्टी के एम०एल०एज० का कि अपने लीडर की मरजी के खिलाफ भी डिस्कशन करते, पार्टी की मीटिंग को रेक्वीजीशन करते और पूरी डिबेट्स होती थी और जो एलेक्शन पार्टी का होता उसमें भी लीडर की मरजी के खिलाफ कैन्डीडेट खड़ा करते और कामयाब होते थे और लीडर को नाराजगी नहीं होती ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब मेरे माननीय दोस्त जो ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठे हैं वह शायद बुरा मानें लेकिन इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि वह अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करते । देश की हालत आज किसी से छिपी नहीं है लेकिन उधर से जितने भी मेम्बर्स बोले मालूम होता है पूर्णतया सन्तुष्ट हैं । किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करने की ।

श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

आपकी पार्टी में ऐसी आजादी है या नहीं ? हमको मालूम होता है कि नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह—

आपको कैसे मालूम ? यह तो (अपनी पार्टी के सदस्यों की ओर इशारा करके) ये बतायेंगे । उससे कोई फायदा नहीं, मैं तो अपने तजुर्बे से 37 से 52 तक की बात कह रहा हूं । मैं हजार मिसाल दूं । मैं भी पंतजी के खिलाफ एक बात लाया था उस समय पंतजी को इस्तीफे तक की नौबत आ गयी थी ।

श्री प्रेम दत्त—

आप अपनी पार्टी की बात बतलाइये, हमारी पार्टी को छोड़ दीजिये ।

चौधरी चरण सिंह—

जी नहीं । आप रूलिंग पार्टी हैं, कैसे छोड़ दूं ? आपके ऊपर प्रदेश के प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी है । सब के सब इस फिक्र में हैं कि एक शब्द ऐसा न मिल जाय जो चीफ मिनिस्टर की मरजी के खिलाफ हो जाय ।

तो मैं अनरियलिटी आफ डिबेट इसलिये कह रहा हूं कि जो मेरे आर्गूमेंट्स हैं उनका जवाब देने के बजाय इर्रेलीवेंट बातें हुई हैं । (श्री गौरी शंकर द्वारा बैठे ही बैठे कुछ टोकने पर) आपने जवाब दिया है कि भाई नौकर है, दामाद नौकर है, हरिजनों के खिलाफ हैं, औरतों के खिलाफ है । इन सब बातों से वास्ता क्या ? अभी जो गढ़वाल से मित्र बोल रहे थे मेरी राय में बड़ी गैर मुताल्लिक बात कह रहे थे । गंगा माता और उसके पुत्र वगैरह सब कह डाले लेकिन मैं चुप रहा । तो इर्रेलीवेंट बातें करते हैं और जब मैं कहता हूं कि इर्रेलीवेंट है तो आप बरदाश्त नहीं करते । अगर हम दूसरे आदमी की बात सुनने के लिये तैयार ही नहीं हैं तो डिबेट से कोई फायदा नहीं है।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)—

मैं तो यह साफ कहूंगा कि जो अच्छी डिबेट करते हैं उनको मौका ही नहीं दिया जाता है । मैं तीन दिन से लायब्रेरी में बठा तैयारी कर रहा था आपकी पोल खोलने के लिये लेकिन मुझे मौका ही नहीं दिया गया।

चौधरी चरण सिंह—

मेरी पोल ? पता नहीं किसकी पोल खोलने वाले थे ...

बाबा राम नाथ—

आपकी नहीं प्रशासन की ।

चौधरी चरण सिंह—

यहीं की बात नहीं है, मैंने कल जिक्र किया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी यही एक्सपीरियन्स होता जाता है कि पार्टी सिस्टम में जो अपोजीशन हो या रूलिंग पार्टी हो, आज का अपोजीशन कल रूलिंग पार्टी हो सकता है और रूलिंग पार्टी के दोस्त कल यहां बैठ सकते हैं,आज जिस बात का समर्थन वहां से कर रहे हैं कल यहां से उसका विरोध कर सकते हैं । मेरे साथी आज जिस बात का समर्थन कर रहे हैं हो सकता है कल वहां से उसका विरोध करें ।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कमीशन इसलिये बैठा था कि आगे का कान्सटीट्यूशन क्या हो। दो पार्टी सिस्टम मालूम होता है कि वह कामयाब नहीं हो रहा था । इसलिये वहां इस बात पर विचार हो रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हो उसका 5 साल तक रिम्यूवल न हो । वह मैं यहां पर भी देख रहा हूं । वहां वाले तो बहुत दिनों बाद इस नतीजे पर पहुंचे । लेकिन हमारे यहां रूलिंग पार्टी का मेम्बर भी बोलने में आजादी महसूस नहीं करता । यहां ऐसा रिजिड सिस्टम हो गया है कि हम अपने मन की बात को कह नहीं पाते हैं और खास तौर से रूलिंग पार्टी वाले । उनके सामने बहुत से कंसीडरेशन्स रहते हैं । उनके लिये अगर मैं यह कहूं कि वे प्लेइंग टु दि गैलरी आर स्पीकिंग टु दि गैलरी के स्थान पर प्लेइंग टु दि चीफ मिनिस्टर, तो यह अधिक ठीक होगा। वे मन में चाहे यह महसूस करते हों कि यह खराबी है, मगर वे कहने को तैयार नहीं हैं ।

वर्मा साहब ने कहा कि मैं इंडीविजुअल्स का नाम क्यों लेता हूं । उनका जिक्र करना पड़ेगा । चीफ सेक्रेटरी जो पहले थे वे कितने योग्य आदमी थे, उनको हटाकर बेकार क्यों कर दिया, यह न कह कर अगर मैं उनका नाम लेता हूं तो दोनों में क्या अन्तर हो गया ? जो रिस्पान्सिबिल आफिसर्स हैं अगर मैं उनका नाम न लूं तो उस पर बहस कैसे हो ? इसलिये जरूरी है कि उनका नाम आयेगा । एक आदमी अगर सुपरसीड होता है रिस्पान्सिबिल आदमी है, उसकी जगह दूसरा आता है, वह अयोग्य है, तो उसका नाम आयेगा उसको कैसे रोका जा सकता है । माननीय त्रिपाठी जी ने बड़ी कोशिश की कि वे नाम न लें, लेकिन उसके बावजूद वे 5–6 नाम ले गये क्योंकि उनकी मजबूरी थी । चीफ सेक्रेटरी का नाम उनको लेना पड़ा । एक आई0ए0एस0 जो 68 वर्ष के हो चुके हैं उनके एप्वाइंटमेंन्ट के सिलसिले में नाम लेना पड़ा । अगर नाम न लें तो उनका कहना वर्थ लेस हो जाय । इसी तरह से उन्होंने एक व्यक्ति का और नाम लिया जो कानपुर में पोस्टेड रहे हैं। उसके लिये उनको देहली का भी जिक्र करना पड़ा । वह कैसे एवाइड कर सकते थे ? इसी तरह से जो आपके कोहली साहब ह, आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी, उनका भी नाम लेना जरूरी था ।

तो साथियों को गलतफहमी न हो इसलिये नाम लेना कभी-कभी जरूरी हो जाता है । अब ए0पी0सी0 के बारे में मुझे कहना था, मैं जिस प्रकार कहता कि वे इस काम के लिये फिट नहीं हैं, या हैं ? उसके लिये कुछ तो जिक्र करना ही पड़ेगा । डिफेन्ड करने के लिए तो सरकार है, उसका यह फर्ज है कि अगर अलग बात ह तो वह उसे डिफेन्ड करें । सही बात है, किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें । बिना नाम लिये फूटफुल डिबेट हो ही नहीं सकती । बहुत सी बातें मुझे लोगों के बारे में मालूम हैं, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं किया, नाम नहीं लिया कल सुबह जब मैं अपने प्वाइंट्स लिख रहा था तो बहुत सी बातें मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई । बहुत से मिनिस्टर जो मेरे साथी रह चुके हैं, उनके बारे में सोचा कि उनका नाम लूं, उनकी बहुत सी बातें मझे मालूम थीं, लेकिन मैंने उसको एवाइड किया ।

मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में यह कहा कि अगर एक विडो के साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे, दूसरी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, तो यह अच्छी बात नहीं है

चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको एक सा व्यवहार करना चाहिये । (व्यवधान) तो मैं यह कहना चाहता था कि जो भी नाम मैंने लिये वह कम से कम लिये और उससे मुझे तकलीफ भी हुई ।

गौरीशंकर जी साहब को मैंने सुना, पर शोर बहुत हो रहा था, कुछ समझ नहीं पाया, मगर जिस ढंग से वे बोल रहे थे उसमें शोर को एव्वाइड नहीं किया जा सकता था । हाथ फेंक-फेंक कर वे बोल रहे थे । बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे । जनरल डीस्कशन की डिबेट में भी वे बोले थे इसी प्रकार से । मैं उस दिन मौजद नहीं था । हरिजनों के बारे में मेरे लिये कहा गया, सन् 30 और 32 से लेकर मैंने हरिजनों के लिये क्या क्या किया है, क्या उसे कहने की जरूरत है ? रेवेन्यू विभाग में मैंने जो कुछ उनके लिये किया था वह अब तक नहीं हुआ है।

कहा गया कि आप औरतों के खिलाफ हैं । मैं उनके खिलाफ नहीं हूं । लेकिन मैं यह सब भी कहता हूं कि एक्जीक्यूटिव पोस्ट पर उनका एप्वाइंटमेंट नहीं होना चाहिये, आई0 पी0 एस0 और आई0ए0 एस0 पोस्ट पर उनको नहीं रखना चाहिये उनके लिए और स्थान हैं, डाक्टरी में, टीचर्स लाइन में, पालिटिक्स में, उनको आना चाहिये, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं । अगर मेरी यह लाजिक आप सही नहीं समझते तो फिर मिलीटरी में और पुलिस में सब इन्सपेक्टर्स के लिये भी उनको भरती कीजिये (व्यवधान) इंगलैन्ड में भी 53 साल के बाद औरतों को वोट का अधिकार मिला । सन् 21 के बाद यह अधिकार उनको वहां मिला था । मैं स्वीटजरलैन्ड की बात कह रहा हूं । यूरोपियन कांटीनेंट के 3 मालदार मुल्कों में है । उसमें लेडीज को वोटिंग का अधिकार नहीं था अभी 1973 में उनको वोटिंग का क्या अधिकार मिला है । तो वह उनके खिलाफ हो गये । मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि म उनको एक्जीक्यूटिव कैपेसिटी में लन के खिलाफ हूं । मैं नहीं जानता कि कितने आई0 ए0 एस0 लेडीज को आपने एप्वाइंट किया है । मेरे ख्याल से 5–7 होंगी । जब वह सीनियर हो जाती हैं, बहुगुणा जी तो आप लोग कहते हैं कि उनको कहां भेजा गया । आप फिर कलेक्टर बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज बनात ह । इसमें म कहना चाहता हूं कि आप उनको छोटी, हल्के जाब्स में रखिये । यह मेरी राय है । मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूं ।

कल जो भाषण किया गया उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल नहीं था । अभी बीरेन्द्र वर्मा जी न भाषण दिया मेरे उनके इस प्रकार क संबंध रहे हैं कि उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं एवायड करता हूं । म कवल एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की इकोनामिक कंडीशन जितनी आज अच्छी है, उसकी जितनी पालिसीज आज अच्छी ह वह पहल नहीं थीं । तो मैं कहता हूं कि उनको इस बात का आज क्या वास्ता था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने इकोनामिक कंडीशन और पालिसीज का जिक्र किया था मेरे ख्याल से उनका वास्ता था ।

चौधरी चरण सिंह—

बिल्कुल नहीं । मैं कह रहा हूं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एकोनामिक कंडीशन्स से क्या वास्ता ?

एक सदस्य—

चौधरी साहब जो आपने कल यूनीवर्सिटी का प्रश्न उठाया था उसका कल कोई वास्ता नहीं था।

चौधरी चरण सिंह—

उसका वास्ता था। जो टोटलीटेरियन टैंडेंसीज हैं वही स्टेट्स में करें और वही डिस्ट्रिक्ट में। (श्री वीरेन्द्र वर्मा के खड़े होने पर) अध्यक्ष महोदय, वीरेन्द्र वर्मा जी के बीच में जरा भी मैं नहीं बोला। मैं उम्मीद करता हूं कि वह खामोश हो जायेंगे। वह इकोनामिक कंडीशन पर बोलें, और जितना समय आपने एलाट किया था वह खत्म हो गया तो आपने उनको और समय दिया। तो जो बातें वह कह रहे थे वह इर-रेलेवेंट थी, उनका क्या वास्ता था। वह तो पुराने एम0एल0ए0 हैं उनको तो समझना चाहिये था। इसी तरह से उन्होंने तमाम बातें कहीं जिनका कोई वास्ता नहीं था।

अध्यक्ष महोदय उन्होंने कहा कि कन्सालीडेशन में उस वक्त जितना करप्शन था आज भी नहीं है। करप्शन तो आज भी है। यह 19 लोग लाये जो कि चकबन्दी के खिलाफ थे। यह एजीटेशन था। अगर वहां करप्शन हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन था। रेवेन्यू मिनिस्टर की हसियत से मैं जिम्मेदार था। आपके कहने से उस तहसील में चकबन्दी कराई गई। मैं इन पर विश्वास करता था और जो यह कहते थे वह करता था।

एक सदस्य—

अब आप हम लोगों के कहने से कुछ कर दीजिये।

चौधरी चरण सिंह—

कितना करप्शन हुआ वह मुझे मालूम है और आप साबित कर रहे हैं कि मैं करप्शन नहीं मिटाना चाहता था। आपने करप्शन मिटाने की बात कब कही थी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह बात 1957 में कही थी।

चौधरी चरण सिंह—

दोनों बातें 1957 की हैं। तहसील की चकबन्दी की शिकायत और नहर में जो काम हुआ। ये दोनों तारीफें 57 में हुई। अध्यक्ष महोदय 1970 में जब मेरे पास 2 महीने तक यह बिभाग रहे तो आप कहते हैं कि पब्लिक मेन ऐक्ट इंक्वारी को....

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

दो महीने में पब्लिक मेन इंक्वारी आर्डिनेंस की चर्चा कर दी तो उससे क्या फायदा हुआ।

चौधरी चरण सिंह—

सन् 1970 में कुछ मेरे साथी थे जिसका कि उन्होंने जिक्र किया कि पब्लिक मेन इंक्वारी को रिएक्ट करें और मैंने नहीं किया। आपके जरिये से उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यह तय था कि कोलिसन गवर्नमेंट कांग्रेस वालों के साथ बनाना है। जिस समय मैंने ओथ लिया तो श्री त्रिपाठी जी से कह दिया था कि आपके बिना गवर्नमेंट नहीं चलगी मैं जब तक अकेले बी0 के0 डी0 के जरिये चलाऊंगा। इसलिये श्री त्रिपाठी जी स कहा कि श्रीमती इंदिरा जी से इजाजत ले लो और कैबिनट में अपन साथियों को लेकर आ जाओ। मैं यह जानता था कि जो दोस्त मेरे साथी आने वाले

हैं और उनके जो लीडर हैं वे पब्लिक मेन इंक्वारी आर्डिनेंस के खिलाफ थे । इसलिये व साथ देने वाले नहीं हैं ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

आपको यह बिल्कुल मालूम था कि पब्लिक मेन इंक्वारी आर्डिनेंन्स के खिलाफ वे लोग रहेंगे तो आपने लीडरशिप क्यों एक्सेप्ट कर ली । जहां तक भ्रष्टाचार पोलिटिकल करप्शन की बात है तो उसके जन्मदाता आप ही इस प्रदेश के हैं ।

चौधरी चरण सिंह—

दूसरी बात यह है Coalition necessarily means compromise, दोनों पार्टीज अपने कुछ उसूलों को ढीला करती हैं...

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं तो 15 साल से साथ हूं इसी सदन में...

चौधरी चरण सिंह—

मैं समझता हूं अब मुझे बोलने की इजाजत देंगे । जब कांग्रेस गवर्नमेंट कम्युनिस्ट के साथ मिलकर और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ सकती है, कोलीशन गवर्नमेंट बना सकती है और मुझे यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि कोई कम्प्रोमाइज नहीं हुआ और मैंने कर लिया तो पाप ।

श्री धर्मवीर—

एक प्वाइन्ट पर मैं अध्यक्ष महोदय क्लेरिफिकेशन चाहता हूं...

(व्यवधान)...

श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

अगर चौधरी साहब को बोलने नहीं दिया जायेगा कोई भी नहीं बोल पायेगा । आप से ज्यादा हम लोग हूंटिंग कर सकते हैं । मैं मुख्य मंत्री जी पर यह चार्ज लगाता हूं कि जब वह इशारा करत है तब हूंटिंग होती है ।

(व्यवधान)...

चौधरी चरण सिंह—

अगर हम सब लोग बात करने में लग जायेंगे तो अकेले स्पीकर कैसे कन्ट्रोल कर सकते हैं । धर्मवीर सिंह जी ने बात कही कि जो लोग आर्डिनेंस के खिलाफ थे फिर क्यों गवर्नमेंट में शामिल हो गये । मैं कहना चाहता हूं कि कोलीशन गवर्नमेंट दुनिया में बनी है । ब्रिटिश पार्लियामेंट में दर्जनों बार ऐसा हुआ है तो 'इट नेसेसरीली इम्पलाइज कम्प्रोमाइज' लेकिन फिर भी खड़े हो गये । मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग के साथ कम्प्रोमाइज करके इलेक्शन लड़ सकती है जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट है, तो क्या मैं यह समझ लूं कि कोई कम्प्रोमाइज नहीं हुआ होगा । लेकिन वह फिर खड़े हो गये, क्या सेंस था । अब यहां तक मेरे साथ ऊदल जी भी कुछ कह रहे थे तो मैं जानना चाहता हूं कि You are running with the hare and hunting with the hounds.

श्री ऊदल—

मैंने आपके लिये नहीं कहा । दिधे जी ने मेरी ओर इशारा किया तब मैंने कहा कि मेरा उनका 15–20 सालों का साथ है, वह चुप रहें ।

चौधरी चरण सिंह—

फिर मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं । तो मैंने इसलिये आर्डिनेंस नहीं निकाला । इससे क्या नतीजा वीरेन्द्र वर्मा जी निकालते हैं वह जाने । अब एक जरा सी बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि मैं वायलेंस की बात करता हूं, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब गवर्नर्स एड्रेस हुआ था उसमें हम लोग उनको मेमोरेन्डम देना चाहते थे । हुआ यह कि मैं खड़े होकर गवर्नर से कुछ इजाजत चाहता था एक छोटा सा स्टेटमेंट पढ़कर अपनी पार्टी के साथ बाहर निकलने की । मेरे साथी खड़े हुये और कुछ शोर हुआ । उसका मुझे अफसोस हुआ । मैंने अपने साथियों को रोकने की कोशिश की । माननीय प्रभुनारायण जी ने कहा कि वायलेंस की बात करते है । मैं वायलेंस की बात नहीं करता । मेरा अमेंडमेंट यह था कि जो इलेक्शन्स में हुआ है उससे लोगों में विश्वास नहीं रह गया है और अनकांस्टीट्यूशनल मीन्स एडाप्ट करने के अलावा अपोजीशन और पब्लिक के लिये कोई रास्ता नहीं रह गया है । मैंने अपनी स्पीच में भी कहा और बराबर कहा, न मैं वायलेंस में विश्वास करता हूं और न मेरे साथी करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हम उसमें विश्वास करें या न करें लेकिन अगर आपके यहां ग्रीवेंन्सेज का इलाज नहीं, करप्ट से करप्ट मिनिस्टर रहेगा, कांग्रेस वाले चिल्लायेंगे, लिख कर देंगे लेकिन फिर भी करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर पर ऐक्शन नहीं लिया जायगा तो जब लोगों के पास अपने ग्रीवेन्सेज की कोई डेमोक्रेटिक रेमेडी नहीं रह जायगी तो वे वायलेंस करेंगे और अगर करेंगे तो दे विल बी जस्टीफाइड ।

एक सदस्य—

कम्प्रोमाइज कर लेंगे ।

चौधरी चरण सिंह—

कम्प्रोमाइज है । कम्प्रोमाइज करके तो आये ही, नहीं तो आते थोड़े ही । एक सज्जन गढ़वाल के खड़े हुये । मैं उनका नाम नहीं जानता, बहुगुणा जी बतला देंगे । उन्होंने बहुत कुछ कह डाला । उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ के खिलाफ हूं । कहा हूं मैं खिलाफ । कहां है मेरे भाषण में कि मैं उनके खिलाफ हूं । नाराज हो गये इसलिये कि मैंने यह कहा कि गवर्नमेंट का मार्च में नैनीताल में एक्जोडस होता है वह नहीं होना चाहिये । मैंने पंत जी के जमाने में कहा था कि पब्लिक को तकलीफ होती है, खर्चा ज्यादा होता है । लेकिन क्योंकि पंत जी वहां के रहने वाले थे बुजुर्ग आदमी थे, उनकी हेल्थ का तकाजा था इसलिये वह बात वहीं रह गयी। लेकिन जब वह चले गये और सम्पूर्णानन्द जी चीफ मिनिस्टर हुये तो वह बात मंजूर हो गयी। इस पर मेरे पर्वतीय दोस्तों को लगा कि मैं पहाड़ के खिलाफ हूं । उनका ख्याल था कि लोग जाते है तो उनका बिजनेस चलता है, गरीबों की दुकानदारी होती है, म्युनिसपैलिटी की इनकम बढ़ती है । लेकिन पहले साल के तजुर्बे ने ही बतलाया कि जब गवर्नमेंट वहां नहीं गयी तो बम्बई और कलकत्ता से बहुत लोग वहां आये और नैनीताल म्युनिसपैलिटी की दुगुनी इनकम हो गयी । रही दुकानदारी की बात तो कांग्रेस वालों के पास पैसा नहीं था । उनके पास एक डंडा, एक टोपी और एक कुर्ता । अगर गये तो एक डंडा खरीद लिया । तब उनके पास पैसा नहीं था, आज तो पैसा है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

उनके साथ और जो लोग आते थे उनसे आमदनी होती थी ।

चौधरी चरण सिंह—

तब भी ज्यादा नहीं होती थी। तो उनका ख्याल गलत। आप कहते है खर्चा न किया जाय तो खर्च किया जाय, पर कैपिटों ज्यादा किया जाय, जितनी इनकम होती है उससे दुगुना किया जाय मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैने जो कहा था और फिर कहता हूं कि अभी एक यूनिवर्सिटी कायम की है। 300/400 लड़के मुश्किल से होंगे। कैम्पस नाम रख दिया। अब दूसरी युनीवर्सिटी फिर पांच करोड़ खर्च करके गढ़वाल में खोल रहे है। दिस इज टू मच आप इससे जो कुछ भी अन्दाजा निकालें लेकिन इससे वह नतीजा नहीं निकलता जो कि आप समझते है। राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन 51 में बैठा। उसने रिकमंड किया था कि यू0पी0 के अन्दर अगर यूनीवर्सिटी बने तो मेरठ में बने। लेकिन मैने यह कभी ख्याल नहीं उठाया। गोरखपुर के दोस्तों ने शोर मचाया। मैने कहा वहां बने युनिवर्सिटी। सन् 60 में माननीय सम्पूर्णानन्द जी को मैने लिखकर दिया कि यूनीवर्सिटी के लिये मैं मेरठ में उत्सुक नहीं लेकिन वहां मेडिकल कालेज कायम होना चाहिये। तो यूनीवर्सिटी से कोई एजूकेशन बढ़ती हो, ऐसा नहीं। लेकिन जब मैं कम्पेयर करता हूं खर्च को, उस रुपये की जरूरत से, जो आजमगढ़, बस्ती, बदायूं और मथुरा आदि जिलों में उसकी ज्यादा जरूरत है। मथुरा की भी हालत अच्छी नहीं है।

मेरे डिवीजन की हालत तो इतनी खराब नहीं है आप कहते है कि पहाड़ों में लोग फौज में गये है। अच्छी बात है। लेकिन यंही इसको कम्पेयर करूं तो मेरठ में कम लोग फौज में नहीं गये। हमारे यहां के आदमी फौज में गये है और जख्मी भी हुये है। हमारे खुद खानदान के लोग गये है और जख्मी हुये है। मेरी कान्स्टीट्वेन्सी से लोग फौज में गये है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर मैं मुख्य मंत्री हो जाऊं तो अपने यहां दो यूनिवर्सिटी कायम कर दूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक कोई साहब ने कहा गंगा माई। हां, गंगा माई के पुत्र। शायद बहुगुणा जी से उनका ताल्लुक हो।

तो मान्यवर, मैने खास-खास प्वाइन्ट्स, जिनका मैने जिक्र किया था, मुख्य मंत्री जी को भेजवा दिया है। मुझे विश्वास है कि उन प्वाइन्ट्स का जवाब, बिना किसी प्रिजुडिस या पेंशन के और चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुये, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी मुझको देंगे और तब मैं यदि मने कोई गलत चीज कहीं होगी, तो उसको रिवाइज कर लूंगा।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मान्यवर, टाइम बहुत कम है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक मुख्य मंत्री जी का भाषण और अनुदान पर मतदान न हो जाय, तब तक सदन चलता रहे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जब तक मुख्य मंत्री जी का भाषण और ग्रान्ट्स पर आज का कार्य-क्रम न पूरा हो जाय और 51 का काम न पूरा हो जाय, तब तक हाउस चलता रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों, आमतौर से, और नेता विरोधीदल और अन्य दलों के माननीय नेताओं और माननीय सदस्यों का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने सामान्य

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

प्रशासन, पुलिस आदि, पर जो इस हाउस के सामने है, अपनी बहुमूल्य राय का इजहार किया और उसपर अपना परामर्श इस सरकार को दिया ।

श्री बाबा राम नाथ—

मेरी तबियत होती है कि, मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपको डिस्टर्ब करूं। मैंने अध्यक्ष जी से बार-बार प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने मुझको टाइम नहीं दिया ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मेरा अगर अधिकार होता, तो मुझको शिकायत हो सकती थी । मेरी माननीय सदस्य से हमदर्दी है, लेकिन मुझसे शिकायत का हल नहीं मिल सकता ।....

श्री बाबा राम नाथ—

मैंने डिबेट के लिये तैयारी की । जो लोग रिलीवेंट तैयारी करते है, उनको मौका नहीं दिया जाता । 5 या दो मिनट के लिये ही मौका दे देते । आई डोन्ट नो, ह्वाट इज दि वे आफ दिस हाउस इन दिस रिगार्ड, क्या फिजा पदा करें । तो अध्यक्ष महोदय टाइम दें । आप हमारे दल को टाइम ही नहीं देना चाहते है ।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, यह जो कटौती का प्रस्ताव है, मैंने बराबर लिख कर दिया । आज फिर से बोलना चाहता हूं लेकिन समय नहीं दिया गया है। सारा टाइम दोनों पार्टियों के द्वन्द में दे दिया ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, क्या द्वन्द हो सकता ?

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)—

देश की इतनी बड़ी पार्टी है लेकिन उसके दोनों सदस्यों को आपने सामान्य प्रशासन पर टाइम नहीं दिया । हम अपने विचारों को रखते । हमने लिखकर भी दिया लेकिन हमको एक मिनट का भी समय नहीं दिया गया । सोशलिस्ट पार्टी के भी कम सदस्य बोले । अगर हम को एक मिनट का भी समय मिल जाता तो पुलिस प्रशासन पर काफी प्रकाश हम डाल सकते थे । शोरगुल । इतना कह कर मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं और अगर आपका यही रवैया रहा पक्षपातपूर्ण तो रोज बरोज हम सदन से बहिर्गमन करते रहेंगे ।

(श्री भगवती प्रसाद अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, जहां तक इन मांगो पर बहस का सवाल है माननीय चौधरी साहब ने उत्तर देते हुये मेर मुंह की बात छीन ली कल से म भी यही ठीक सोच रहा था कि किस बात का जवाब दूं ? चौधरी साहब ने जो प्रश्न उठाये हैं उनसे मैं हटने वाला नहीं हूं, उनके सम्बन्ध म तथ्यों पर प्रकाश डालूंगा। हां जवाब देने की मैं भ्रष्टता कर सकता हूं और न, इसे मैं मानता हूं, उसकी जरूरत है। उत्तर जब दिया जाय जब दिमाग खुला हो लेकिन अगर दिमाग की सब खिड़कियां बन्द हों और तय यह हो कि जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है और शेष असत्य है, तय यह हो कि जो मैंने किया वही ठीक और बाकी सब गलत है तो बड़ा कठिन है किसी को समझाया जा सके । मैं यह मानता था कि चौधरी साहब आंकड़ों के मामले में कभी गलत नहीं होते लेकिन बजट भाषण में मुझे शुबहा हुआ और इस वक्त कंफर्म हो गया कि आंकड़ों के मामले में अब चौधरी साहब बहुत पिछड़ गये हैं क्योंकि सरकार से उनका ताल्लुक बहुत दिनों से छूटा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को यह बतला दूं कि दो सदस्यों ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो बहिर्गमन किया उनको 50 प्रतिशत समय दिया गया था। राजस्व विभाग के अनुदान के समय एक समय मिला था। उनके एक हक से बहुत ज्यादा समय उनको पहले ही मिल चुका है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब आंकड़ों के मामले में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतेंगे इस अपेक्षा के दो कारण थे। 52 में जब मैं आया तो चौधरी साहब की तरफ हमने देखा। उस जगह तक सत्तादल के सदस्य बैठते थे जहां पर आज रामआधार जी बैठे है। परेशानी हो जाती थी, उनकी प्रतिभा से दिमाग चकाचौन्ध हो जाता था। और इधर मान्यवर बदकिस्मती से म उत्तर प्रदेश के बाहर रहा और जब से फिर यहां आया हूं तो इनके शब्दों के प्रयोग से भारी बात हलकी नहीं हो जाती और न भारी शब्दों के हलकी बात भारी हो जाती है। तो मान्यवर, मुझे अफसोस हुआ कि मान्यताओं के सम्बन्ध में तो भिन्न-भिन्न रायें हो सकती है, परन्तु आंकड़ों के सम्बन्ध में नहीं हो सकतीं, उदाहरण के लिये आई0सी0एस0 या आई0ए0एस0 काडर में कितने लोग है, कितने लोगों को किस-किस डिपार्टमेंट में क्यों रखा गया, कमिश्नर कितने हैं, इस सिलसिले में तो गलती नहीं होनी चाहिये और चौधरी साहब के स्तर के लोग और गलती करें तो फिर माधव बाबू से शिकायत करना बेजा बात है। इसलिये मैं बिलकुल चौधरी साहब के संतोष के लिये भाषण कर रहा हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे आपके आंकड़े में शंका है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आपका उस राजनीतिक दल से सम्बन्ध है जिसका जन्म ही शंका पर हुआ था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

बहुत दगी गोली आप इस्तेमाल कर रहे है, इन शब्दों का इस्तेमाल आप बहुत बार कर चुके है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हमें अफसोस है कि आपकी शंकाओ का निवारण ऐसे नहीं होगा। सुना है कि आपके दल ने यहां आज किताब फाड़ी है। हम अच्छी तरह से याद है कि हिटलर के जमान में इस तरह का कार्य यहां की पार्लियामेंट में हुआ और उसके बाद वहां संसद को जलाने में वहां इसी प्रकार की बातें हुयीं थीं। तो आपकी शंकाओं का निवारण मेरी क्षमता के बाहर है। मैं मान्यवर, चौधरी साहब ने जो प्वाइन्ट्स उठाये हैं उनका प्वाइन्टवाइज जवाब देना चाहता हूं।

सबसे पहली बात जिसके लिये मेरे हृदय को थोड़ी सी चोट लगी और जिसे चौधरी साहब ने कही और उन्होंने बडे दुखी होकर कहा कि उनको दुखी हो कर कहना पड़ रहा है तो उनसे और आप सब से क्षमा चाहता हूं कि दुखी हो कर हमें भी यह कहना पड़ रहा है कि हम में से किसी की मंशा नहीं थी कि इन बातों को उठायें। सच बात तो यह है कि उठाना यह चाहिये था कि कलेक्टर और जिला परिषदों का रिश्ता क्या हो, कहना चाहिये था कि पंचायती राज्य का स्तर क्या और कैसा हो और फिर कहना चाहिये था कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल का

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

लिवरेज कहां-कहां और कैसे हो, प्रजातंत्र को अधिक सक्षम बनाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही होनी चाहिये थी, भरती के नियमों में क्या-क्या परिवर्तन होने चाहिये, टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स में क्या बैलेंस होना चाहिये आदि-आदि प्रश्नो पर कोई विचार व्यक्त किया गया होता तो उनका जवाब देता अब कुछ धूल उड़ी, कुछ मिट्टी गिरी और कुछ कीचड़ बिखरा तो अब उन्ही के बारे में बातें कहूंगा ।

पहली बात चौधरी साहब ने यही कही कि डिमोक्रेसी खतरे में है और उन्होंने कहा कि शासक दल ने यह समझ लिया है कि हमीं तो राजा है मैं बड़े अदब से अपने बुजुर्ग से कहना चाहता हूं कि अगर किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक दल ने यह समझ लिया है कि वही सत्य है, वही निष्ठा है और सारी की सारी बुद्धि उन्होने अपने में रख रखी है और जो यह विश्वास रखता है कि एक-मात्र वे ही सब कुछ सही है तो वह एक व्यक्ति चौधरी साहब है और एक वह दल है भारतीय क्रांतिदल । (चौधरी चरण सिंह ने कुछ कहने के लिये उठने पर) आपको मेरी बात उतनी ही धैर्य से सुननी पड़ेगी जितने धैर्य से मैं आपकी सब बातें सुनता रहा ।

पंत जी के जमाने में आप यह महसूस करते रहे कि वे बुजुर्ग है लिहाजा उन्होंने तरह दे दी । तो कभी किसी के लिहाज से उन्होंने काम किया । इस तरह से कभी किसी वजह से काम किया और कभी किसी दूसरी वजह से काम किया और जब कोई बुजुर्ग नहीं रहा तब उन्होंने एक नया दल बनाने के लिये कदम उठाया ।

मान्यवर, प्रजातंत्र क्या होता है ? चौधरी साहब के दल से टी0 एन0 सिंह हार गये तो उनसे कहा गया कि इस्तीफा मत दो । उस वक्त चौधरी साहब ने यह नहीं कहा कि जनता ने तुम्हे हरा दिया है इसलिये तुम बाहर आ जाओ । यही प्रजातंत्र का सबूत आप दे रहे है । तब तक आप हटे नहीं जब तक कि सदन ने उनको धक्का ही दिया । हमारी नेता इंदिरा गांधी को कहा जा रहा है कि इनमें सबसे बड़ी डिक्टेटोरियल टेन्डेन्सी आ रही है । मेरा या हमारी पार्टी कभी यह नहीं कहती कि हमारे नेता में सभी अधिकार निहित है । यह तो भारतीय क्रांति दल ही हो सकता है...

चौधरी चरण सिंह--

मेरी यही राय थी कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये । मुझे यह नहीं मालूम कि वह बात अखबार में आई या नहीं आयी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आपको आपकी राय मुबारक । आपने जो कुछ किया, अच्छा किया । लेकिन आपके दोस्त इस्तीफा देकर बाहर हट सकते थे । मैंने माना कि वे नहीं हट रहे थे तो कारण बतायें । यह सब अधिकार तो चौधरी साहब को ही प्राप्त हैं जो कहते थे कि सम्पूर्णानन्द, तुम झूट बोल रहे हो, चन्द्रभान जी, तुम झूठ बोल रहे हो और इंदिरा गांधी को तो कहते ही हैं कि तुम सच नहीं बोल सकती हो । हो सकता है आपने इस्तीफा देने के लिये उनसे कहा हो, लेकिन आपके कृत्यों से कहां यह चीज मालूम होती है ? रुस्तम सैटीन और झारखंडे राय ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था । मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी भूल की कि वह एस0बी0डी0 में आई लेकिन उसने भी 4 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था । हम प्रजातंत्र के विरोधी है कि हम अपनी नेता इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पुनः चुनाव जीत कर आये हैं या चौधरी साहब का दल है जो अपने नेता को हारने के बाद भी अपने दल में वापस न ला सके ? उनकी रक्षा न कर सकें ।

मान्यवर, चौधरी साहब ने लांछन लगाया है कि हम प्रजातंत्र का गला घोंट रहे है। जरूर घोंट रहा हूंगा । जो परचा हमने छपवाया वह आपको दिखाता हूं और जो संविद की सरकार

में चौधरी साहब ने छपवाया था उसको भी दिखाता हूं । मैंने यानी कांग्रेस सरकार ने जो परचा छपवाया था. . . मैं सरकार नहीं हूं । यह अधिकार तो चौधरी साहब का है जो कहते है चरण सिंह की सरकार । हमारा कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार । हमारा साफ एलान है कि सभी लोगों को हमारे मैनेफेस्टों के आधार पर काम करना पड़ेगा और हमारा मान्यताओं के आधार पर जिनके तहत जनता ने हमें चुनकर भेजा है उन्हीं पर चलना पड़ेगा ।

एक सदस्य—

आपके जो वित्त मंत्री हैं वे हमेशा "बहुगुणा सरकार" अपने भाषण में कहते हैं । कांग्रेस सरकार नहीं कहते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वित्त मंत्री क्या कहते हैं मैं उनसे भी और आप से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह कांग्रेस सरकार है । बहुगुणा एक व्यक्ति है जो उसमें हिस्सेदार है । लेकिन चौधरी साहब ने क्या-क्या छापा यह मैं आपको बताना चाहता हूं । एक साधारण सा कागज है– संविद सरकार के कार्यक्रमों की प्रगति–उसमें चौधरी साहब का फोटो है । इसमें केवल पहले पेज पर "प्रगति" नहीं चौधरी साहब का फोटो । फिर नई सरकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा, फिर चौधरी साहब का फोटो । (व्यवधान) . . . फिर छपा पर्चा और फिर चौधरी साहब का फोटो । बिना फोटो के काम ही नहीं है । सरकार संविद की फोटो चौधरी साहब का और काम क्या किया, वह भी सुनिये . . . (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

उसको इससे कम्पेयर करना यहां पर ठीक नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं फिर कह रहा हूं इस आदरणीय सदन में कि मेरी समझ में चौधरी साहब की अराजकता फैलाने वाली बातों से जनता का रोष हिंसा में फैलेगा और उत्तर प्रदेश में उन्होंने कई बार मात खाई है और फिर खायेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता हिंसा के मार्ग पर कदापि चलने वाली नहीं है । (व्यवधान) . . . हिंसा करने वाले लोगो और हिंसा करने वाले दलों का जो स्वरूप होगा, जो उस रास्ते में आयेगा, हमारे ऊपर जो गुरुतर भार प्रदेश की जनता ने सौंपा है, उसमें समझाने से यदि सम्भव हो, सख्ती से अन्यथा इस हिंसा का मुकाबला करने के लिये सरकार दृढ़ संकल्प है और करेगी ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब ने कहा हिंसा की बात हमने कभी नहीं कही । उन्होंने कहा कि वह तो जब चुनाव म गड़बड़ी हुई, तो कहा कि जब बैलेट के रास्ते पर जनता का विश्वास नहीं रह जायगा, तब हिंसा होगी । अब चौधरी साहब का हाल क्या था, चुनाव के एक दिन पहले तक । उनका यह एक अखबार है, इसका नाम है–निष्पक्ष नवक्रांति । उसमें 16 फरवरी के अंक में निकला है– मुख्य संघर्ष तो भारतीय क्रांति दल, जनसंघ और संगठन कांग्रेस में और सत्ता कांग्रेस तो बहुत पीछे है । इसमें आपका फोटो है और आपका भाषण भी है जो कानपुर में दिया है । 22 दिसम्बर को फिर आप उसमें लिखते है–गरीबी और बेकारी में वद्धि कांग्रेस तो हारी है । जीतेंगे तो वह जीतेंगे नही तो संगठन कांग्रेस जीतेगी और थोड़े बहुत वोट जनसंघ वगैरह पा जायेंगे । चौधरी साहब को यह नहीं दिखाई पड़ा कि संगठन कांग्रेस गायब हो रही है. . . (व्यवधान)

एक सदस्य--

आपने क्या कहा है, वह भी देखिये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, उत्तर प्रदेश की जनता उसको भलीभांति जानती है। हमने वह कहा होता जो चौधरी साहब ने कहा है, जो कहते हैं, तो हमारा सड़कों पर निकलना मुश्किल था ।

एक सदस्य--

यह तो सबको पता है, उत्तर प्रदेश की जनता ने केवल साढ़े 32 प्रतिशत वोट आपको दिये है और बाकी वोट अपोजीशन वालों को दिये है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जिस वक्त संविधान बना और एक प्रकार की वोटिंग प्रथा को स्वीकार किया गया उस प्रथा में हमारे देश के लोगों ने साफ तौर से और अच्छे तौर से उसको समझ कर उसमें हिस्सा लिया। मान्यवर, जब चुनाव समाप्त हुए, तो उस वक्त के भी चौधरी साहब के भाषण मौजूद हैं--पांचजन्य में जो समाचार निकला, "मदरलैंड" में खुद उनका इन्टरव्यू छपा, मेरठ के एक अखबार में निकला--"कौन सा रास्ता अपनायें"। जनता से उन्होंने पूछा है, वह भी निकला है। सब निकला है। जनता का जवाब उनको मिल चुका है पहले ही। कि कौन सा रास्ता अपनायें। आप तो यह समझे थे कि मेरठ आपके कब्जे में है, कांग्रेस के कब्जे में कैसे गया । तो ठीक है। लेकिन एक के बाद दूसरा भाषण सुनता रहा। मुझे बड़ा खेद आ जब आपके जैसे डेमोक्रेसी की बातें करने वाले इन्सान ने जब हिंसा की चर्चा करना शुरू की, तो जरूर सरकार की तरफ से यह बात निकली कि हम लोग हिंसा का मुकाबला करेंगे।

(श्री मोतीलाल देहलवी ने साथ-साथ बोलना प्रारम्भ कर दिया)

जब संविद सरकार थी तो हमने नहीं कहा कि आप संविद सरकार के कार्यों की क्यों चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के कामों की चर्चा होगी ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय मुख्य मन्त्री जन तांत्रिक मुख्य मन्त्री हैं। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से चुनाव करवाया ।

(माइक्रोफोन से जवाब नहीं आ रही थी, वह बंद था।)

श्री अध्यक्ष--

आप तो जानते हैं।

(श्री मोतीलाल देहलवी शोर के बीच बोलते रहे।)

मैं इस धौंस में नहीं आ सकता। अगर वह बैठ जाते या चौधरी साहब बैठ जाते तो किसी सवाल को पूछने का हक है। मैं यह भी कहूंगा कि आप गलत बात कह रहे हैं। यह नहीं, सावधान।

श्री मोतीलाल देहलवी--

सावधान आप रहें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए ।

(श्री मोतीलाल देहलवी बोलते रहे।)

श्री मोतीलाल देहलवी—

आप कांग्रेस से चुन कर आये हैं, कांग्रेस से अध्यक्ष बने हैं।...

श्री अध्यक्ष—

जिनको संसदीय ज्ञान नहीं है उनकी धौंस में मैं नहीं आऊंगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं। माननीय मोतीलाल देहलवी से कहना चाहता हूं कि वह अपना आसन ग्रहण करें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं आसन ग्रहण कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

(श्री मोतीलाल देहलवी के आगे कहने पर) मैं इजाजत नहीं देता। आप बैठ जाइए।

(श्री मोतीलाल देहलवी बैठ गए।)

अगर इस तरह से भविष्य में आप करेंगे तो आपको निकाल दूंगा।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

आपका भविष्य खराब हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

एक मर्तबा आपने और आशीर्वाद दिया था। आपका आशीर्वाद फलता है।

(श्री बांकेलाल शोर के बीच कुछ कहते रहे। माइक्रोफोन बन्द था।)

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बांकेलाल जी अगर इस तरह से व्यवहार करेंगे तो मैं कहूंगा कि आप इस सदन में बैठने लायक नहीं हैं।

श्री केशरीलाल (जिला कानपुर)—

यदि कोई माननीय सदस्य व्यवस्था चाहता है तो आप का कर्तव्य है...

श्री अध्यक्ष—

आपका कर्त्तव्य है कि पहले पूछ कर बोलिए। आप बैठिए। आप पहले अपने कर्त्तव्य को समझिए।

श्री बांकेलाल—

मेरी एक व्यवस्था है। उसे आप इतमीनान से सुन लें। आप बोलते समय मुखाकृति न बिगाड़ें जिससे देखकर माननीय सदन भयभीत हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

अगर माननीय चौधरी साहब का दल ऐसी मान्यताओं में विश्वास करता है, मैं जानना चाहता हूं माननीय चौधरी साहब का दल अध्यक्ष को अनाप-शनाप हर तरह की बात कहने में विश्वास करता है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्यों नहीं करेगा?

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मेरा दल इसमें विश्वास नहीं करता है। लेकिन मुझे माफ करेंगे जब मैं यह कहूं कि जब मैं खड़ा रहा और माननीय धर्मवीर सिंह जी रुकावट डालते रहे मुझे तकलीफ हुई और मैंने आपकी तरफ देखा और चाहा कि आप उनको रोकें। लेकिन आपने उनको नहीं रोका। बहुगुणा जी अक्सर रोकते रहते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने भी उनको नहीं रोका। इसलिए मुझे शिकायत है।

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन कर दूं कि कई दफा चौधरी साहब ने आमंत्रित किया है कि उनसे सवाल किया जाय और आपने नाम लेकर कहा है कि सवाल करें। जब आप बैठ जाते हैं तो सवाल होता है। लेकिन जब आप खड़े रहते हैं। (व्यवधान)।

चौधरी चरण सिंह--

वह बात तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

कई बार मैंने निवेदन किया कि यह ठीक नहीं है। इस तरह से काम नहीं चलेगा।

चौधरी चरण सिंह--

मैं बैठ जाता हूं। यह ठीक है। लेकिन जैसा कि धर्म वीर सिंह हैकिल करते रहे और मैं खड़ा रहा और मैंने कहा कि मैं यील्ड करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने आपकी तरफ देखा लेकिन आप खामोश रहे।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपकी यही राय है। (व्यवधान)।

चौधरी चरण सिंह--

मेरी यह राय नहीं है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

बार-बार आपने माननीय वीरेन्द्र वर्मा का नाम लिया और कई दफा आप बैठ गए। बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं जो खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, जो काबू से बाहर हैं मैं उनकी तरह दे देता हूं। आपकी तरफ से भी कई दफा हुआ। लेकिन एक दो सदस्य काबू से बाहर जाकर अड़ंगा डालते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी इच्छा है कि रोका न जाए और यह होना चाहिए।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैंने दो दफा आपकी तरफ देखा। लेकिन वह बराबर मुझे हैकिल करते रहे। लेकिन आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देखा।

श्री अध्यक्ष--

मैं आप से निवेदन करूंगा कि माननीय मोतीलाल जी खड़े हुए और वह कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण का मौका दें। हैकिल करने का सवाल यहां नहीं है। वह खड़ हुए और स्पष्टीकरण चाहते हैं लेकिन मुख्य मन्त्री जी बैठते नहीं हैं उस समय आपकी क्या राय है।

चौधरी चरण सिंह—

मेरी वही राय है जो राय आपकी उस समय होनी चाहिए थी जिस समय धर्मवीर सिंह जी बोल रहे थे।

अध्यक्ष—

सवाल यह है कि माननीय मोतीलाल जी स्पष्टीकरण कराने के लिए खड़े हुए। वह हैकिल करना नहीं चाहते थे बल्कि स्पष्टीकरण चाहते थे। जो माननीय सदस्य खड़े होते हैं उनके लिए सवाल यह है कि जब बोलने वाला बैठ जाये, तो स्पष्टीकरण मांगा जाय। इन दोनों हालतों में फर्क है।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठिए। मैं आपको इजाजत नहीं ता हूं।

एक सदस्य—

हम लोग भी यहां प्रजा द्वारा चुन कर आए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं भी किसी सिद्धान्त पर यहां बैठा हूं। आपको इन्टरप्शन का हक है। अगर कोई सदस्य खड़ा होकर सवाल कर लेता है तो बात अलग है। लेकिन स्पष्टीकरण के लिए जब कोई सदस्य खड़ा होता है तो उसकी पद्धति यह है। (व्यवधान)

श्री बांके लाल—

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए। (व्यवधान)

श्री बांके लाल—

मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं देता। लेकिन स्पष्टीकरण के लिए जब कोई खड़ा होता है तो जब बोलने वाला बठ जाता है तब उसे हक होता है कि स्पष्टीकरण की बात करें। मैं कहना चाहता हूं कि श्री मोतीलाल देहलवी ने कई बार कहने के बावजूद भी वह बार-बार स्पष्टीकरण कहते हुए कि मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं बार-बार आग्रह कर रहे थे।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा एक निवेदन है कि इधर के लोग विरोध में हैं और कभी-कभी वे आवेश में आ जाते हैं। आपसे न इधर से मतलब है न उधर से मतलब है। आपको क्रोध की छाया नहीं आनी चाहिए। आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं फिर हंस देते हैं। नतीजा यह होता है कि कुछ सीरियसनेस समाप्त हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—

यही निर्पेक्षता है। लेकिन प्रश्न यह है कि सदन में एक दो व्यक्ति अगर कुछ कहते हैं। सारे सदस्यों से झगड़ा नहीं है। एक दो व्यक्ति सदन के रास्ते में आड़े आ जाते हैं और उनका आक्रोश सीमा का अतिक्रमण करता है तो मुझे दुख होता है और कहना पड़ता है। माननीय मोतीलाल जी और बांके लाल जी ये कुछ... ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, चौधरी साहेब ने कहा कि चुनाव में कई जगह गड़बड़ी हुई उत्तर प्रदेश में। मैं बताना चाहता हूं, मान्यवर, कि इस चुनाव के बाद 51 पिटीशन्स हुए। इन 51 पिटीशन्स में 20 पिटीशन कांग्रेस के खिलाफ हैं और 31 विरोधी दलों के खिलाफ हैं। जनसंघ के खिलाफ 14, बी0के0डी0 के खिलाफ 12, संगठन कांग्रेस के खिलाफ 2, सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ 1, और निर्दलीय के खिलाफ 2। चौधरी साहेब ने कहा कि रुपया कहां से मिला। कमीशन बने 1952 में कहा गया कि माइनारिटी वोट पर बैठते हो। 51 परसेंट वोट हमको 1952 में भी नहीं मिले थे। चौधरी साहब का जवाब मुझे मालूम है। 1957 में लोगों ने यहां यही कहा कि 5 परसेंट से घटते जा रहे हो। 1962 में भी लोगों ने कहा। तो विरोधी दलों ने 1952 में कहा 1957 में कहा 1962 में कहा और 1967 में 1 अप्रैल के बाद चौधरी साहेब ने कहना शुरू किया। अगर चौधरी साहेब इस पक्ष के होते और इस विश्वास के होते कि अल्प मत में वोट आवे तो इधर नहीं रहेंगे। कम से कम वह कांग्रेस म शामिल न रहते, लेकिन तब उनको गिनती का ध्यान नहीं था और मैं चाहता हूं मान्यवर, एक बड़ी पुरानी कथा है, इसको बुरा मानना नहीं चाहिए। मान्यवर, सीता को हरने के लिए अगर रावण अपने दस सिर के साथ आता तो कभी नहीं छुपता। मैं तो कहता हूं कि दस दलों को मिला कर जब एक दल बनेगा तब जनता उसको पहचान जायेगी। जनता ने 1971 में पहचाना और फिर मौका आयेगा तब भी जनता पहचानेगी। गुमराह हो जाती है जनता जब आप अलग-अलग वोट मांगत ह।

चौधरी चरण सिंह—

1971 में दल नहीं बना था, मोर्चा बना था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आपको समझाना मुश्किल है।

श्री राम सेवक यादव—

जो आपकी सरकार बनी है, तो मैं यह समझूं कि 10 को मिलाकर बनी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हमारे यहां तो एक ही दल रहा है। (व्यवधान) (शोर) किसी ने दल छोड़ा किसी ने निशान छोड़ा। (व्यवधान) (शोर)।

श्री बांके लाल--

आपने चुनाव चिन्ह छोड़ा, नीति छोड़ी, पालिसी छोड़ी। अब आपके पास कौन सी दौलत बाकी है ईमानदारी के लिए। महंगाई बढ़ाई गई और जजों की नियुक्ति में मर्यादा छोड़ी और नीति तथा नियमों का उल्लंघन कर दिया।

(व्यवधान) (घोर शोर)

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा---

कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगी। ठीक है कुछ लोगों को महसूस होना स्वाभाविक है क्योंकि उनकी भूल को मैंने उन्हें स्मरण कराया। मेरे मन्त्रिमंडल पर क्या फर्क पड़ा, जो मन्त्रि मंडल पहले था, वही मन्त्रि मंडल अब भी है। बी0के0डी0 के आदमी हमें बताते थे कि चौधरी साहब कहते थे कि पश्चिमी में रिंगिग नहीं हुई। अब वह कहते हैं कि कमीशन, इंक्वायरी बैठावें। मुझे याद है अच्छी तरह से कि इसी तरह की मांग बहुत बार बहुत दलों ने की। लेकिन इस तरह के कमीशन चुनाव के सिलसिले में बैठाने का प्राविधान न तो कांस्टीटयूशन में है, न तो उसकी जरूरत है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब ने अपने क्षेत्र के लोगों से वायदा कर लिया था कि मैं फलां तारीख को कुर्सी पर बैठने वाला हूं और कुर्सी पर बैठते ही यह कर दूंगा वह कर दूंगा। हमारे 404 उम्मीदवार खड़े थे जिसमें से 215 चुन कर आए।

चौधरी साहेब रिंगिग की बात करते हैं। जब बजट हो तब रिंगिग की बात करते हैं, जब जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन हो, तब रिंगिग की बात करते हैं। हमारी पार्टी के लिए कहा गया कि फलां-फलां स्थान पर बार-बार रिंगिग कराई गई। अब थोड़ा सा सब्र आपको करना पड़ेगा और मुझे आशा है कि आप सुनने के लिए तैयार रहेंगे।

(एक आवाज---रायबरेली के बारे में भी बता दें तो मेहरबानी होगी।)

7 स्माल मार्जिन में, सौ से कम वोट में जीते हैं। उनमें 3 जनसंघ के जीते हैं, एक बी0के0डी0 का और 3 कांग्रेस के जीते हैं। रिकाउंट के लिए जो अप्लीकेशन्स आयीं, ऐसी तीन अप्लीकेशन्स रिजेक्ट हुयीं। जनसंघ की रिजेक्ट हुई और दो सैंक्शन हो गयीं---जिसमें एक कांग्रेस ने जीती और एक जनसंघ ने जीती।

एक सदस्य---

यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मैंने भी दरख्वास्त दी थी, वह भी रेजेक्ट हो गयी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

हमारे पास कमीशन के सोर्सेज के जो आंकड़े हैं...

एक सदस्य---

यह गलत आंकड़े हैं, मैं कहता हूं मैंने खुद दी थी...

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सौ वोट से हारे या जीते---इसको समझने की आवश्यकता है। नत्थूपुर के सौ से हारे या जीते मुझे मालूम नहीं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

जिला मुरादाबाद के भी सौ से कम थे।

श्री अध्यक्ष—

आप सोचें कि जब आप मुझे संबोधित करते हैं, जैसे मोतीलाल देहलवी, तो यह इन्टरप्शन नहीं हुआ—मैं यह फर्क बता रहा हूं। तो जब आपने मेरा नाम लिया तो मैं इजाजत दूं या न दूं और इसलिए मैं टोकता हूं और एक को जब टोकता हूं तो बहुत अच्छे, ठोस आधार पर।

आपने "अध्यक्ष महोदय" कहा था। मैंने इजाजत नहीं दी, मैं आपको समझाता! वैसे कोई कुछ पूछ लेता है वह बात दूसरी है। यही हुआ था जिसको चौधरी साहब ने गलत समझा। आप जब अध्यक्ष को संबोधित करेंगे तो अध्यक्ष इजाजत नहीं देगा इन्टरप्शन्स में। (श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर)

माननीय मुलायम सिंह जी, समझने की कोशिश कीजिए। मैं चौधरी साहब को बता रहा हूं कि जब मोतीलाल देहलवी ने 3-4 मर्तबा "अध्यक्ष, अध्यक्ष" कहकर स्पष्टीकरण चाहा तब मैं टोकता हूं। अब अगर आप खड़े होकर कर लेते हैं तो उस वक्त आप इन्टरवीन कर रहे हैं, यह फर्क है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह ठीक है कि जो व्यक्ति बोल रहा हो उससे कुछ पूछना हो तो आपके थ्रू न पूछें, डायरेक्ट पूछ ?

श्री अध्यक्ष—

हमारे थ्रू पूछेंगे तो मेरी इजाजत जरूरी होगी—अब मैं इजाजत दूं या न दूं, यह दोनों बातें हैं। पूछने का मतलब यह नहीं है कि इजाजत हो गयी! मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप खुद शान्ति से सोचिए, क्योंकि दूसरे के प्रति नीयत म जायेंगे तो कहीं न कहीं गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी इधर नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, एक बात चौधरी साहब ने और कही कि गवर्नमेंट इतनी अनडेमोक्रेटिक होती जा रही है, और यह कांग्रेस की पार्टी और उसमें उन्होंने कहा कि बिहार में जयप्रकाश जी के साथ क्या हुआ? मैं कोई यहां से ऐलान नहीं करना चाहता और न इस विषय को इस सदन में चर्चा का विषय बनाना चाहता हूं, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट और जयप्रकाश जी के बीच में क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता। लेकिन अपनी गवर्नमेंट की बात कह सकता हूं कि न केवल इस गवर्नमेंट ने जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनमें वृद्धि की है बल्कि जो अच्छा काम करने वाले हैं उनके अच्छा काम करने में मदद दी है, उनका समादर भी किया है। उदाहरण के लिए यू० पी० गवर्नमेंट ने सन् 1973 की समाप्ति के कुछ पहले चम्बल वली मिशन को 1,25,000 रुपए की ग्रांट दी।

चौधरी साहब को हमारा काम देखना चाहिए था क्योंकि यहां वह हमारे काम के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे। चम्बल शान्ति मिशन और उस घाटी के काम से जयप्रकाश जी का बड़ा सम्बन्ध है। हमने यह नहीं देखा कि आजकल वह क्या कर रहे ह, लेकिन चम्बल में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसलिए हमारी गवर्नमट ने उनको रुपया दिया। इसलिए हमने रुपया देना बन्द नहीं किया कि वह हमारे विमुख हो रहे हैं और जो नेता वहां काम कर रहे हैं उनमें से कई के विचार ठीक वैसे ही हैं जैसे कि जय प्रकाश जी के हैं।

एक बात चौधरी साहब ने कही कि हमने बन्द नहीं होने दिया, हमने मोटरें नहीं आने दीं, हमने लोगों को परमिट नहीं काटे। उन्होंने कहा कि हमने राज मंगल पांडेय से कहा कि यह क्या हो रहा है। बहुत अच्छा होता कि चौधरी साहब मुझे बताते उस बन्द के सिलसिले में में...

चौधरी चरण सिंह—

वह बन्द नहीं था। ठीक है, बन्द नहीं था इसलिए कि वह हुआ ही नहीं। प्रदर्शन कह लीजिये। उस प्रदर्शन के सिलसिले में अगर हमारे पास एक आप पत्र भेज देते जैसा कि अब आपने शुरू किया है, इससे मालूम होता है कि थोड़ी-थोड़ी कृपा आपकी हमारे ऊपर अब शुरू हुई है, आप लिखकर भेज देते कि फलां बस की परमिट को आपने मना किया तो हम जांच पड़ताल करते कि कब, किसने और किन कारणों से ऐसी चीज की और आपको उत्तर देते।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

आपने जनरल आर्डर दे दिया था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

हमने कोई आर्डर नहीं दिया था। जैसे आप बयान करते हैं उसी तरह से मैं भी बयान कर रहा हूं। जैसे आप अपनी जानकारी में सच बोलते हैं वैसे ही मैं भी अपनी जानकारी में सच बोल रहा हूं। हमने कोई आदेश नहीं दिये। और अगर हमारे आदेश से लोग रुकते तो फिर आप हमारे और लोगों के बीच में जो सम्बन्ध है उसकी ताईद कर रहे हैं। बहरहाल, चौधरी साहब अपनी बात बता सकते हैं, वह अपना पक्ष खुद रख सकते हैं, उनके कन्धे चौड़े भी हैं, वह बर्दाश्त भी कर सकते हैं, आप उनके लिए क्यों कष्ट उठा रहे हैं? और अगर कहीं कोई कष्ट की बात होगी तो ज्यों ही चौधरी साहब खड़े होंगे त्यों ही मैं बैठ जाउंगा।

श्री मधुकर दिघे—

हम भुक्त भोगी थे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अगर आपने भी चिट्ठी भेजी होती प्रदेशीय शासन के नाम, स्पीकर के नाम या याचिका समिति के सामने आपका पत्र आया होता कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार प्रजातन्त्रीय कार्यों में बाधा डाल रही है इसकी जांच करो...

चौधरी चरण सिंह—

याचिका समिति की बात तो दूर की हो जायगी। यह कोई नियम नहीं है कि पहले से गवर्नमेंट को एप्लाई किया जाय। वह तो वहीं के आर० टी० ओ० से कहा जायगा। वहां कहां, उन्होंने नहीं दिया। एक दिन या दो दिन की बात थी फिर आपको कहां एप्लाई करते। मैंने कहा भी राज मंगल पांडेय से कई जगह लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है लेकिन हुआ, गाड़ियां नहीं आने दीं, परमिट कैंसिल हो गए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

याचिका समिति में तो यह चीजें आती हैं जिन कष्टों के निवारणार्थ उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक इस माननीय सदन के सदस्यों के द्वारा अपनी प्रार्थना भेजे। चौधरी साहब जब तक रहेंगे तबतक प्रदर्शन करने का काम कम से कम शुरू तो हुआ ही है, उसको तो करना ही पड़ेगा। दूसरे प्रदर्शनों के लिए याचिका समिति रास्ता बनाती। और अगर आप याचिका समिति में भेजते तो आपकी बातों की सत्यता वहां सामने आ जाती।

श्री मोतीलाल देहलवी—

चौधरी साहब नहीं, जनता ही करेगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मोतीलाल जी जनता की बात ज्यादा करते हैं। मैं भी जनता में रहा हूं और चुन कर आया हूं, हारकर नहीं आया हूं। प्रजातंत्र यकीन करने की बात है। लांक्षन लगाने से प्रजातंत्र का मूल्य घटता है। सत्य को प्रमाणिकता के साथ कहने, में प्रजातंत्र मजबूत होता है। मेरा यह निवेदन है, चौधरी साहब, रास्ता खुला है। आप चाहे राज्यपाल के पास, याचिका समिति के पास प्रार्थना को भेजें। आपके साथ जो कुछ हुआ होगा उसको देखा जायगा। पर यह कहना कि उत्तर प्रदेश की सरकार अप्रजातांत्रिक होती जा रही है, ठीक नहीं है। आपने अपने भाषण में यह बात पहली बार नहीं कही है।

आपने तीन-तीन घंटे भाषण दिये है। उसी चीज पर। पता नहीं कितना समय आपने इस तरह से भाषण दे करके बेकार किया है उसी बात पर अगर आप बैठकर किसी अच्छे विचार को इतनी देर लिखते तो उससे हमारे प्रदेश की जनता का कल्याण होता, उसको कोई नया रास्ता मिलता। आप अपनी बात का जिक्र कितनी बार कर चुके हैं, गवर्नर के भाषण के समय, बजट भाषण पर, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर आपने लगभग उन्हीं बातों को दोहराया है। मैं कितनी बार उन बातों का आपको जवाब दूं। एक बार तो दे चुका। प्रजातंत्र कमजोर जब होता है जब जनता को यह विश्वास हो जाय कि कुछ लोग ऐसे हैं जो "मोर दैन इक्वल" हैं।

अभी विधवा की बात कही गयी और कहा गया कि उसको गार्ड या पुलिस दी गयी। क्योंकि उनकी मुझसे रिश्तेदारी है। तो अगर आपका इशारा कत्ल की ओर है तो मैं सूचित करना चाहता हूं कि अभी हाई कोर्ट के एक मुल्जिम जो हैं उन्होंने कहा कि हम अपने मुकदमें को प्रदेश के बाहर ले जाना चाहते हैं तो मैं आपसे कह दूं कि इस सरकार न उनको अपने मुकदमें को बाहर ले जाने की इजाजत दे दी। मैं आप लोगों के सामने आप लोगों की बातों को कहना नहीं चाहता हूं।

अभी मेरे रिश्ते की बात कही गयी मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब आपके यहां भी कोई मरा होगा। डी0आई0जी0 या कोई और अधिकारी गये तो जरूर होंगे। लेकिन चौधरी साहब मुझे याद है कि एक घटना घटित हुयी थी। आपको बड़ा दुख था आपका एक रिश्तेदार नौजवान मारा गया था। उसमें डी0आई0जी0 से लेकर नीचे तक के अफसर गये थे और छान बीन हुयी थी।

चौधरी साहब, आपके जमाने से लेकर अब तक कई केसेज हो चुके है। जिन लोगों को कत्ल या डकैती हो जाने का शक था उनको शैडो भी दिये गये थे और पुलिस के गार्ड भी दिये गये थे। जिस विधवा का नाम लिया जा रहा है उसको मैं कहता हूं कि इस सरकार ने कोई गार्ड नहीं दिया।

श्रीमन्, मैं सुचेता कृपलानी के जमाने से चलता हूं । और पहले से चलूंगा तो ज्यादा वक्त लगेगा । श्री मोहन लाल वर्मा को चौधरी साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता । श्रीमती सुचेता कृपलानी ने उनको भी शैडो दिया । चौधरी साहब का जमाना था उस समय श्री मोहन लाल वर्मा एम0 एल0 ए0 थे । फिर डिप्टी मिनिस्टर बनाये गये तब उनको गवर्नमेंट आर्डर से शैडो दिया गया । इसके बाद मान्यवर चौधरी साहब के जमाने में 1970 में श्री ओम प्रकाश गुप्ता जो सदस्य थे उनको भी शैडो दिया गया । यह भी मोर दैन ईक्वल की थियरी हो गई । चौधरी साहब ने ही दिनेश चन्द्र पाठक को इसलिये शैडो दिया क्योंकि उनके भाई तथा चाचा का मर्डर 26-5-70 को हो गया था । चौधरी साहब ने उनको तत्काल शैडो दिया था । अप्रैल 1972 में फूलदेवी वाइफ राजा राम एम0एल0 ए0 का मर्डर हो गया था उनको भी शैडो दिया गया । यह भी मोर दैन ईक्वल है ।

इस तरह से हमारे पास सैकड़ों की लिस्ट है कि जिनको शैडो दिये गये हैं । परन्तु चौधरी साहब यह आपकी बड़ी भूल है कि आपको यहां क्यों नहीं बिठा दिया । आप जब तक इस सीट पर नहीं बैठ सकते जबतक कि प्रदेश की जनता आपको यहां न बिठा दे । यदि आप सुनना चाहते हैं तो प्राजीक्यूशन के गार्ड के संबंध में आपके जमाने में, आपको इस संबंध में बीसों उदाहरण दे सकता हूं । मैं वादा करता हूं तथा इस संबंध में रिकार्ड दिखा सकता हूं जिसमें कि आपके कार्यकाल में जब गावों में झगड़े तथा कत्ल हुए है लोकल पुलिस ने गार्ड भेजी । इस संबंध में मैं सैकड़ों उदाहरण पेश कर सकता हूं जबकि गार्ड घरों पर दिये गये । उत्तर प्रदेश के तीन-तीन चार-चार मुख्य मंत्री रहे और उसके संबंध में मोर दैन ईक्वल की थियरी लागू होती है। श्री चन्द्रभान गुप्त, मुख्य मंत्री जब नहीं रहे तो भी उनके घर पर गार्ड रहे । चौधरी साहब के वहां गार्ड था उसको नहीं हटाया गया। चौधरी साहब मैं आपके पास लिखकर भेज सकता हूं कि मैंने कह दिया है कि फलां मुकदमें को स्टेट के बाहर भेजने की परमीशन दे दी जाय । लेकिन, मैं उस बात को कहना नहीं चाहता, जब आप थे और मुस्तफी होम सेक्रेटरी थे तो आपने उनको लिखकर भेजा कि बेल को अपोज मत करो जबकि उस केस में कन्विशन नहीं हुआ था और उनकी तरफ से बल एप्लीकेशन मूव हुई थी । अगर आप कहेंगे तो उस पत्र को आपके पास भेज दिया जायगा ताकि सदन रहे और वक्त जरूरत काम आवे ।

इस सरकार को कहा गया कि यह जनतंत्र विरोधी है और कहते हैं कि सिर्फ हम जनतंत्र के हकदार है। किन्तु आवाज कहां से आती है कि हमको वोट नहीं डालने दिया जाता।...

एक सदस्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय--

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चर्चा तो बहुत की जाती हैं कि हम लोग वकील है लेकिन किसी काम के नहीं । जो यहां एक का पक्षधर बनकर आता है वह आदमी किसी काम का नहीं है। हम 9 करोड़ की समृद्धि के लिये आये हैं और उसकी मान्यत ओं को स्थापित करने के लिये आये हैं । चौधरी साहब ने कहा कि इस सरकार ने तो इतना दखल दिया है कि लोगों को गार्ड दिये हैं । चौधरी साहब मैं पढे देता हूं सैकड़ों नाम हैं कि जिन व्यक्तियों को आपने गारब दिया है । म एक ही जिले का नाम लेता हूं आगरा का । सिर्फ आगरा में ही कितने ही लोगों को गार्ड दिये गये हैं और कब से कब तक तो सुनिये श्री कुंवन सिंह ग्राम रिहानी, थाना इरावतनगर 1951

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

से 1957 तक, बलबीर सिंह ग्राम मिधापुर थाना मलपुर सन् 1957 से 70 तक, श्री गोपाल सिंह ग्राम तथा थाना पिनाहट सन् 1964–1968 तक । यह तो मैंने 1951 से 1970 के बीच का पढ़ा है। 1951 से 1970 तक आप गृह मंत्री भी बने रहे और क्या-क्या बने रहे । इतिहास इसका साक्षी रहेगा कि अगर कभी भविष्य में इस सदन की कार्यवाहियों की किसी ने समीक्षा की तो यह आशा करता हूं पूरी टिप्पणी के साथ अपने ठंडे हाथ से लिखेगा, जब आप भी न रहेंगे और मैं भी नहीं रहूंगा, न आपका गुस्सा रहेगा और न खेद रहेगा कि जिन बातों को चौधरी साहब ने यहां कहा है कितनी अश्रेयष्कर, कितनी गैर वाजिब, कितनी वास्तविकता से अलग और परे थी ।

उसके बाद, मान्यवर चौधरी साहब ने यह कहा कि पोलिटिकल अपोनेंट्स को हम डिस्क्रिमिनेशन की नजर से देखते हैं । अब चौधरी साहब के यहां, उनकी छपरौली कास्टी-ट्यूएंसी में, एक प्रमुख हैं, उनको हमने शैडो दिया है । यह बात चौधरी साहब स्वयं ही बतलायेंगे । चौधरी साहब ने और भी इन्तजाम करने के लिये कहा है कौल को । वह यह भी बतलायेंगे कि वह इन्तजाम करने के आदेश मिले हैं कि नहीं । इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, चौधरी साहब, उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के जान या माल का कोई संकट आयेगा तो यथा-संभव जितनी सरकार की शक्ति है, पुलिस संरक्षण देगी और यह पुलिस संरक्षण बिला किसी जाति, बिना किसी पार्टी के लिहाज या और किसी लिहाज से सबको उपलब्ध रहेगी ।

एक बात और कही कि गवर्नमेंट इंफारमेशन नहीं देती । जब आपने यह बात कही थी, तो मैं समझता हूं काफी सोच समझकर और कागज पढ़ लिया होगा । कल ही माधव बाबू ने सेक्रेटरी होम को पत्र लिखा है । अगर वह कहें तो पढ़ दूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं ऐसी कोई बात नहीं करता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मेरा मतलब है कि आपका और सेक्रेटरी का पत्र व्यवहार चालू है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर कोई सेक्रेटरी ठीक काम करेगा तो जरूर धन्यवाद दिया जायगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आप तो गवाही में हैं । आप एक्यूज्ड वाक्स में नहीं हैं । मान्यवर, कोई भी पब्लिक इंफारमेशन जो पब्लिक इंटेरेस्ट की होगी कोई भी विधायक मांगेगा और साधारण जनता भी मांगेगी तो जरूर देनी चाहिये, चौधरी साहब की राय से मैं सहमत हूं । यह बात जब मैंने एक बार हाउस में ऐक्सेप्ट कर ली तो फिर उन्होंने अपने भाषण में दोहराया । जे0 पी0 वाली बात मैं पहले ही कह चुका। उन्होंने कहा कि काम्प्लेक्स आफ यू0 पी0 प्रापर्टी हो गयी है शासकीय दल को । एक महान् सुन्दर व्यक्ति था जिसका नाम था नार-सिसस । उसने एक बार अपनी परछाई कुएं में देख ली ।

श्री अध्यक्ष—

कुएं में देखी थी या नदी में ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैंने तो सुना था कुएं में देखी । अगर आप कहते हैं कि नदी में देखी तो मैं माने लेता हूं । उसने जो अपनी परछाई देखी तो देखता ही रह गया और न उसे भूख

लगी और न प्यास लगी । वह सूख कर लकड़ी हो गया । चौधरी साहब को भी अपनी क्षमता में नारसिसस की ही तरह भरोसा है । हम भी उनके शिष्य हैं । गुरु की इच्छा रहती है कि चेला आगे जाय । लेकिन यहां चौधरी साहब की इच्छा है कि उनके जीते जी कोई आगे न बढ़ पाये । एक नाम लिया गया सतीशचन्द्र का । कहने लगे सतीशचन्द्र को क्यों हटा दिया । चौधरी साहब क्या करते थे, एक हवाला देता हूं । चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर होकर आये तो चौधरी साहब ने क्या किया । माननीय चौधरी साहब जब पहली बार होम मिनिस्टर हुए तो उनकी समझ में आया कि कौन आदमी अच्छा है आई0जी0 के लायक । इतने आई0 जी0 हैं जो आते जाते उन्होंने बदले । नम्बर एक शांति प्रसाद, नम्बर दो जियाराम । और आते-आते ही बदले । यह नहीं कि महीना दो महीना लगा हो । कोई-कोई तो ऐसा बदला जिसके तीन-चार महीने रह गये थे । उनसे इतना भी बरदाश्त नहीं हुआ । निकी सक्सेना से सीनियर आदमी थे। उनका नाम घर का निकी है, क्षमा करेंगे मैं यह कह गया । उनका नाम एन0 सी0 सक्सेना है । उनसे सीनियर कई आदमी थे जिनके करेक्टर रोल में गुड एंट्रीज थीं । इनको आपने आई0जी0 बना दिया । उस समय ख्याल नहीं किया कि सीनियर्स को क्यों छोड़ दें । सीनियर था मुसलमान और आपने जनसंघ से शादी कर रखी थी ।

चौधरी चरण सिंह---

उनकी एंट्रीज खराब थीं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मैंने सारी एंट्रीज देखी हैं । हुआ यह कि सक्सेना से सीनियर लोगों को प्रदेश के बाहर जाना पड़ा । उनको आपने आई0 जी0 नहीं बनाया । हिन्दुस्तान में दो आदमी आप मुख्य मंत्री होने लायक और वह पुलिस का हेड होने लायक । मान्यवर, मुख्य मंत्री का प्रोरोगेटिव है कि वह किसको आई0जी0 रखेगा और किसको चीफ सेक्रेटरी रखेगा । पंत जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी लिये थे । कितनों के नाम बता सकता हूं । बी0 एन0झा जूनियर थे, उनसे सीनियर्स को छोड़कर पंतजी ने उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया । ए0 एन0 झा को पंत जी चीफ सेक्रेटरी बनाया, उनसे सीनियर्स को नहीं । भगवान सहाय को पंत जी ने चीफ सेक्रेटरी बनाया । कितनों के नाम हैं । गोविन्द बी0बी0 लाल, इनसे भी सीनियर्स अधिकारी थे । लेकिन इनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया । तो चौधरी साहब, यह बात तो चीफ मिनिस्टर पर निर्भर करती है और उसके डिस्क्रीशन की बात है । आपने कह दिया कि शतीसचन्द्र मौजूद थे और बहुगुणा ने दूसरे को चीफ सेक्रेट्री बना दिया ।

चौधरी साहब, आप दोनों, कान और बचन के सिद्ध व्यक्ति हैं । 6 तारीख को चार्ज दिलाया । ज्ञान प्रकाश चीफ सेक्रेटरी थे, जो 6 अधिकारियों से जूनियर थे । शतीश चन्द्र पिक अप के चेयरमैन थे । ऐडवाइजर रिजीम खत्म हो चुकी थी । ज्ञान प्रकाश के बारे में... अब अधिकारियों के बारे में, मैं इस बात का विरोधी हूं कि सदन में अधिकारियों को सार्टीफिकेट दूं । सनवाल के बारे में भी कहना चाहता हूं अगर ठीक काम करेंगे तो रहेंगे । ठीक काम नहीं करेंगे, तो चले जायेंगे। तो आई0 जी0 और चीफ सेक्रेटरी किसको रखा जाय यह बात चीफ मिनिस्टर पर है । ऐसे बीसों आदमी चीफ सेक्रेट्री रहे हैं, जो जूनियर थे । फिर चौधरी साहब, क्यों लैमेंट करते हैं शतीशचन्द्र के लिये । चौधरी साहब को याद होगा कि मैंने उनसे जब वह फारेस्ट मिनिस्टर थे, तो एक रेंजर के लिये कहा था

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

जो कि जोगेंदर सिंह की सिफारिश थी, जिसको चौधरी साहब ने रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि पोलिटिकल प्रेशर नहीं डालना चाहिये। खैर, तो मैं शतीसचन्द्र वाली बात को कह रहा था, जिसके बारे में चौधरी साहब को शिकायत है कि इतने सीनियर आदमी को क्यों चीफ सेक्रेट्री के पद से रिमूव कर दिया गया। स्पष्ट बात है कि यदि किसी भी सरकार कर्मचारी को इस तरह से क्षमता घटाने के संबंध में बात होगी, तो सारा प्रशासनतंत्र खराब हो जायेगा। अगर ऐसी बात थी, तो चौधरी साहब मुझसे टेलीफोन पर जिक्र कर सकते थे। या किसी दिन मुझको बुला लेते कि देखो, बहुगुणा यहां आवो और हमारी गल्ती बता देते। अपने घर पर बुला लेते।

एक सदस्य--

अकेले में बात करते ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अगर आपको अपने नेता पर भरोसा नहीं तो भगवान ही मालिक है। अरे वह कोई गलत काम नहीं करेंगे।

मान्यवर, चौधरी साहब ने जो स्पीच दी, उससे मुझको यही नहीं मालूम हो सका कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? बात यह थी कि विलिंग टु उण्ड, बट नाट टु इंजर, चोट देना चाहते हैं, लेकिन घाव न दिखाई दे। आखिर जेल मंत्री रह चुके हैं न? और जेल में भी रह चुके हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारी भूल होगी, तो मैं स्वीकार करूंगा और स्वीकार किया है। यह सरकार अफसरों की एडवोकेट जनरल बनकर नहीं आयी है। दिस इज नाट दि एडवोकेट जनरल आफ ब्यूरोक्रेसी। यह गवर्नमेंट जनता की प्रतिनिधि है, जनता की वाणी है। जो उसकी वाणी बोलेगा, तो रहेगा वरना नहीं रहेगा। तो चौधरी साहब की स्पीच की स्ट्रेटजी क्या है, दिशा क्या है, यह नहीं समझ सका। उनकी स्ट्रेटजी उस आइसबर्ग की तरह है, जिसका समुन्द्र में केवल सिर दिखाई देता है, धड़ नहीं और उससे टकराकर मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि इलाहाबाद की बात नहीं जानते ? वहीं रहते हो ? मैंने स्वीकार किया। जिस दिन का जिक्र हुआ, कह दिया कि गलत हुआ और काम कर दिया। जिद पर नहीं अटकता। पहाड़ों के सिलसिले में इतना उनको मालूम होना चाहिये कि रानी चौरा, टेहरी गढ़वाल में है। वह मेरा जन्म स्थान नहीं है। मुजफ्फरनगर में कोई काम चरणसिंह के जमाने में हुआ हो तो क्या उसे मेरठ में किया हुआ माना जायगा ? उसी तरह से टेहरी गढ़वाल में कोई काम चल रहा हो तो वह हेमवती नन्दन की जन्म भूमि में हो रहा है ?

आप बजट तैयार होने के पहले दो चार घंटे मुझे अवसर देते, जिस-जिस चीज को चाहते पूछ लेते। मैं आपको बता देता ताकि आपका वक्तव्य आपके व्यक्तित्व के अनुरूप होता जो टिकाऊ भी होता और उससे आपका भविष्य भी बन सकता। रानीचौरा या गढ़वाल की यूनिवर्सिटी की बात मेरे जमाने की नहीं है। पिछले दो वर्ष हुए तब सदन में बिल पेश हुआ था। उसमें मेरा हाथ नहीं था। कमलापति त्रिपाठी तब मुख्य मंत्री थे और चौधरी साहब नेता विरोधी दल। आपने रुहेलखंड का नाम नहीं लिया, झांसी का नहीं लिया, फैजाबाद का नहीं लिया। आप कहते वहां 400 लड़के होंगे। अगर घनत्व को दृष्टि में रख कर काम होगा तो पहाड़ों पर कभी कोई काम होने वाला नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

चौधरी साहब का गुस्सा पहाड़ों के प्रति जायज है क्योंकि 8 जिलों में उनकी पार्टी का वहां नामोनिशान नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

पर्वतीय लोग चौधरी साहब को मत दें या हमको मत दें। वे उत्तर प्रदेश के अभिन्न अंग हैं। मैंने समझ लिया कि चौधरी साहब के भाषण की स्ट्रेटेजी क्या है? वह यह है कि बदायूं से पहाड़ को लड़ा दो। पूर्व से पश्चिम को लड़ा दो। पहाड़ों को प्लेन से लड़ा दो ताकि इस प्रदेश के टुकड़े हो जायं। इसीलिये चौधरी साहब ने 97 दस्तखत करा कर बिकल को आगे बढ़ाया था लेकिन पंत जी ने डांटा तो शांत हो गये। वह मेरे सीनियर हैं, मैं जूनियर हूं इसलिय वकील की हर बात जानता हूं। वह प्रदेश के विभाजन के पक्ष म रहे हैं। मैं उनसे बहुत साफ कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश का विभाजन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चौधरी साहब ने कहा कि पहाड़ पर बहुत अधिक रुपया खर्च किया जा रहा है। यह पर्वतीय प्रदेश उत्तर प्रदेश में नहीं हिमाचल से लेकर नफा तक और अरुणाचल तक फैला हुआ है और हर जगह रुपया खर्च किया गया है। चौधरी साहब चाहते हैं कि वहां काम न हो ताकि लोग वहां के गुस्सा हों। गुस्सा होंगे तो अलग राज्य की मांग करेंगे और अलग राज्य होगा तो चौधरी साहब मुख्य मंत्री होंगे। लेकिन चौधरी साहब यह होने वाला नहीं है। यह हम चलने नहीं देंगे।

प्रदेश के विभिन्न खंडों में सतर्कता से आगे बढ़ रहे हैं चाहे मेडिकल कालेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे खेती का काम हो, चाहे उत्पादन के साधन हों, चाहे फारेस्ट हो, चाहे बाग हो वे सब सारे उत्तर प्रदेश के लिये हैं और किसी भी भाग के अलग होने का कोई कारण नहीं है। हां चौधरी साहब से यह विनती करूंगा कि मेरे जमाने में एक भी निश्चय पहाड़ों का नहीं हुआ। मेरे आने से पहले प्लान का स्वरूप बन चुका था। मैं जब आया तब प्लान का स्वरूप बन चुका था। कहा गया कि पहाड़ों के लिए रुपया सेंटर से आना चाहिये था। सेंटर से यह कहा कि परम्परागत मिलने वाले साधनों से अधिक हम उनको नहीं दे सकेंगे। इस पर केंद्र की सरकार ने अपना उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। लेकिन आप कहेंगे कि इंदिरा जी और उनके बाबा दादा भी काश्मीर के हैं। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा सा मैं निवेदन कर दूं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय बहुगुणा जी, मुख्य मंत्री जी, मैं आपको टोकना नहीं चाहता था लेकिन एक बात जानना चाहता हूं कि रायबरेली जिले मे चिकित्सा पर आपने 80 हजार रुपया रखा है और पहाड़ में 50 हजार और आजमगढ़ जिले के लिये 5 हजार रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आप प्रश्न के रूप में उठा देंगे मैं जवाब दे दूंगा। अब प्लान का एक एक आंकड़ा इस मेरे सामने हो ऐसा तो है नहीं और मेरे सहयोगी माननीय वित्त मंत्री जी ने उस दिन यह स्पष्ट किया था कि किस क्षेत्र में कितना रुपया खर्च होने वाला है। रामसेवक जी ने कहा कि घनत्व, आबादी के घनत्व के आधार पर होना चाहिये। अगर यह मान लिया जाय तो फिर अरुणाचल को कोई पैसा नहीं मिलेगा, मिजोरम को पैसा नहीं दे सकेंगे। रामसेवक जी स बड़ी आशा में रखता हूं क्योंकि वे सेंटर में रहे हैं और वहां बैठकर देश की तस्वीर देख चुके हैं, अगर वह आधार मान लिया जाय तो फिर चाहे कोंकण हो मिजोरम, चाहे नागालैन्ड हो, नेफा हो तब लद्दाख हो तब, काशमीर हो तब, और चाहे मध्य का इलाका चीन के मुकाबले में उत्तर प्रदेश का हो तब चौधरी साहब सड़कें सबसे ज्यादा होनी चाहिये। चौधरी साहब पूछ लीजिय डिफेंस मिनिस्ट्री से बात कर लीजिये। लेकिन आप जबरदस्ती मेरे मुंह से कहलवा

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

रहे हैं तो मैं मजबूर हूं कि अगर 90 फीसदी सड़कें अरुणाचल में हैं या पहाड़ों पर हैं तो उसके लिये हमने उनके ऊपर कोई कृपा नहीं की है। हमने अपनी सुरक्षा के लिये वहां पर सड़कें बनाई हैं और अपने देश की रक्षा के लिये जो हो सकेगा हम करेंगे। (एक आवाज--तो सब पैसा हिमालय पर ही खर्च कर दो।) आप हिमालय पर नाराज हैं आप उसे गिराइये। मैं तो उस समुद्र से भी उतना ही प्यार करता हूं जो अपने देश के पैर धोता है। मुझे अपने हिमालय की चोटी पर भी गर्व है जो अपना रक्षक है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं इसे अपने देश का दुर्भाग्य मानता हूं कि चौधरी साहब जैसे व्यक्तित्व के मुख से ऐसी बात सुनता हूं।

चौधरी चरण सिंह--

मैं बड़ी शांति से सब बातें आपकी सुनता चला आ रहा हूं। मैंने जो बात कही थी इसके बिलकुल बरख्श थी। मैंने कहा कि बाम्बे प्लान को देखते हुए दूसरे इलाकों के मुकाबले में ज्यादा था यानी कहीं तो 90 परसेंट और कहीं सेंट पर सेंट से भी ज्यादा जो नारायण दत्त तिवारी करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी बनाने की बात सारी की सारी पहाड़ों पर नहीं लेकिन ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं वह प्लान में शामिल था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां, न हमने उस प्लान को बनाया है और हमारे कार्यकाल में वह बना है। आप इस सदन से निकलने के बाद पन्तनगर में डी0पी0सिंह से पूछ सकते है कि इसकी कल्पना कब हुई और अगर यह तय हो जावे कि मेरा उसमें कुछ भी हाथ था तो सरे तसलीम खम है जो मिजाजे यार में आये। मेरे दोष को तो आप निकालते हैं लेकिन मेरा दोष तो सिर्फ इतना है कि आखिरी वक्त पर मैं पंहुच गया। लेकिन आप व्यक्तिगत लांछन करते है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, अभी माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि बहुगुणा तो कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में है और कांग्रेस सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। आपने अभी कहा है कि बहुगुणा के समय में यह नहीं हुआ था। तो चाहे जिसके समय में यह हुआ हो, आप भी तो उसी शासन के अन्दर ही थे। आप यहां तभी आ गये थे जब यहां कांग्रेस सरकार आ गई थी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, माधव बाबू एक श्रेष्ठ वकील है। उनकी हालत वही है कि जब धृतराष्ट्र को ठीक-ठीक नहीं दिखाई पड़ा था तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं कि दिखाई पड़े। उसी तरह से पद लोलुपता के कारण उनको भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जो-जो अच्छी चीज हों उसमें आप अपना नाम लगा लें और जो ठीक न हों उसमें पार्टी को कह दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो भी निर्णय लिये गये थे सही लिये गये। चौधरी साहब ने कहा कि म पहाड़ का रहने वाला हूं, तमने ऐसा-ऐसा किया है। अगर वहां हमारी सीमाओं की रक्षा नही हुई तो उसका प्रभाव प्रदेश क ही नहीं अपितु सारे भारत क जलवायु पर पड़गा। आप तो जानते ही है कि अब तो हिमालयनोकलौजी पर किताबें छप रही है। वह हमारे दश की वन-संपदा है। उसकी रक्षा के लिय हम काफी खर्च करना पड़ेगा। अब शुरूआत

हुई है । वहीं आज आपको तीखा लग रहा है । आज उत्तर प्रदेश के हर भाग में तरक्की के काम करने पड़ेंगे ।

तीसरी बात आपने यह कही कि चीफ मिनिस्टर के पास बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं । मैं यह सोच रहा था कि वाकई मेरे पास बहुत से विभाग हैं । पर फिर मैंने सोचा कि चौधरी साहब के जमाने में जब उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी तो उनके पास कितने विभाग थे । मान्यवर, यकीनन, मैंने आज तक यह चीज नहीं देखी थी लेकिन देखने पर यह चीज बड़ी इंटरेस्टिंग निकली। ऐसी निकली कि—महाजनो येन गतः सः पंथाः ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

म यह निवेदन करूंगा कि वह मुकाबले में अपनी स्थिति न रखें बल्कि यह बतायें कि वे क्या-क्या सुधार कर रहे हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अब शुरुआत हुई है । दिल थाम कर बैठो, मेरी बारी आई है । मान्यवर, 22 अप्रैल, 1972 का गजट मेरे पास है जिसमें चौधरी चरण सिंह ने जब सरकार बनाई थी उस समय के मंत्रिगण तथा मुहकमें दिये हैं । चौधरी साहब के पास 12 महकमें थे और 29 आदमी थे और मेरे पास 29 मुहकमें और 12 आदमी । इतिहास बराबर कुदरत ने ऐसा खेल जमाया है कि बराबर निकले . . . (व्यवधान) . . . मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे न बोलें क्यों कि ऐसी सुन्दर बातें मश्किल से सुनने को मिलती हैं । तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि चौधरी साहब के पास क्या-क्या विभाग थे। ऐसा जोड़-तोड़ बैठा कि चौधरी साहब को जवाब मिलना था, उनसे वही काम कराया जो उनके ही खिलाफ गया । उनके पास सामान्य प्रशासन, बन्दा शरीफ के पास भी, उनके पास नियुक्ति, बन्दा शरीफ भी, उनके पास गृह, बन्दा शरीफ भी, उनके पास राजनैतिक पेंशन, बन्दा शरीफ भी, उनके पास नियोजन, बन्दा शरीफ भी, उनके पास आबकारी बन्दा शरीफ के पास भी आबकारी । मान्यवर, क्या चर्चा करूं ।

श्री राम सेवक यादव—

मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी बाहर चलें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बाहर जाऊंगा तो तभी जाऊंगा जब आप इस ग्रांट को गिरा देंगे । उसके पहले मैं बाहर नहीं जा सकता हूं । आपको शऊर बाहर भेजने का नहीं है ।

श्री राम अधार—

मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब यदि वह ऐसा फैसला लिये रहेंगे तो वर्मा जी सरीखे लोगों का क्या होगा ? कब तक इनको पद देंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब ने कहा बड़ी फिक्र है उन्हें और यह हाउस का कर्तव्य है कि वह देखे कि चीफ मिनिस्टर काम कर सकता है या नहीं । मुझे भी बड़ी फिक्र है, म भी दखता हूं कि लीडर आफ अपोजीशन अपन कृत्य और कर्तव्य को पूरा कर सकता है या नहीं । क्योंकि एक तरफ तो

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

उन पर मर्जर का बोझ है, भारतीय क्रांति दल के अध्यक्ष हैं, यह भी उन पर बोझ है, नेता विरोधी दल हैं यह भी उन पर बोझ है, नेता भारतीय क्रांति दल का उन पर बोझ और फिर एक बड़ा बोझ अखिल भारतीय नेता होने का । तो मुझे भी बड़ी फिक्र है कि किस-किस प्रकार के कितने-कितने बोझ उन पर हों । फिक्र रखनी है कि उन पर बोझ अधिक न होने पाये । आपको मेरी फिक्र है, मुझे आपकी फिक्र है । दोनों को एक दूसरे की फिक्र है ।

(हंसी).....

एक बात और उन्होंने कही, जो मैंने पहले कहा था, चौधरी साहब को लोग सही सूचना और पूरी सूचना देते नहीं हैं । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि आप मुझसे पूछ लिया करें तो अच्छा होगा । मुझको बुलाकर पूछ लिया करें, मैं तफशील दूंगा, जो सही निकलेगी । आपने कहा हम दिल्ली से दो आदमी अपने साथ लाये, एक का नाम कोहली और दूसरे का नाम हैलोन । भला हुआ जो आपने तीसरे का भी नाम नहीं ले लिया जैसा माधव बाबू ने कहा था । आपने कहा ये दोनों आदमी ए0आई0सी0सी0 में काम करते थे । यह भी आपकी सूचना गलत है । आपको मालूम होना चाहिये हैलोन पी0एन्ड0टी0 अर्थात पोस्ट ऐन्ड टेलीग्राफ विभाग का परमानेन्ट गवर्नमेंट सर्वेन्ट है । तो कम से कम मुझ से पूछ तो लिया कीजिये । मुझे आपकी बड़ी चिन्ता रहती है । लोग क्या कहेंगे, मैं सोचता हूं जब वह नेता विरोधी दल के समय के आपके इतिहास को निकालकर पढ़ेंगे तो वे आपके बारे में क्या धारणा बनायेंगे । गुप्ता जी का नाम भी उसमें था, गिरधारी लाल जी पर बात टूट जाती तब भी था । किन्तु मुझे तो आपकी इमेज का बड़ा ख्याल है, इसलिये मैं नहीं चाहूंगा कि कम से कम यह बात आपके हिस्से में पड़े । आपने कहा कि श्री पंत जी जानकी को ले गये थे, तो क्या हुआ और हाफिज जी भी ले गये थे, तो कुछ नहीं हुआ । तो चौधरी साहब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जबसे आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपके पास जो शैडो रहा, वह कौन रहा ? क्या उसे बदला आपने ? जब-जब चपरासी मिला, आपने कौन चुना ? तो आदमी अपने विश्वास के आदमी को लाता है...

चौधरी चरण सिंह—

आप तो बाहर के आदमी लाये, दिल्ली से आदमी लाये हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आपको दिल्ली जाने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन मैं आपको भेजूंगा । और आप खुद चले जायेंगे । कब तक आप यहां उस कुर्सी पर बैठे रहेंगे । आप ज्यादा दिन वहां बैठ ही नहीं सकते । मैं आपकी परेशानी और व्याकुलता को अच्छी तरह से जानता हूं । मैं आपकी परेशानी को देख नहीं सकता । आप जायेंगे दिल्ली, कुछ थोड़ा चेन्ज होगा, नया मौका और नई नीति निकालेंगे । मेरा मतलब यह है कि पोलिटिकल एप्वाएन्टमेंट आपके तथा और भी मिनिस्टर्स के जमाने में होते रहे हैं, जो बाहर के लोगों को लाकर रखते रहे हैं । मैं कहूंगा नहीं, मुझे नाम लेने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन पन्त जी के जमाने से सेक्रेटेरियट से बाहर कहां-कहां और कितने लोग गये और कितने समय पर यहां आये । सेक्रेटेरियट का केवल एक-दो आदमी वह भी एक्स-कैडर इम्पलायमेंट के तौर पर बराबर से रखा गया है । मैं कारण भी बताऊं आपको मैं क्यों उन्हें लाया । इसलिये भी आपकी दृष्टि इस पर जाती है कि सरकारी कर्मचारियों को किसी तरह गुमराह किया जाये । किन्तु मैं कहता हूं कि उसे कोई गमराह कर नहीं सकता है । कुछ आदमी उनको गुमराह करना चाहते हैं ।

माधव बाबू ने चुनाव भर में कोशिश कर ली, और जब सब तरफ से हार गये तो इस तरह से उनको भड़काना शुरू किया कि बहुगुणा जी तुम पर विश्वास नहीं करते, ताकि इस प्रशासन की कड़ी टूटने लगे । मैं कहना चाहता हूं और जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश

के सरकारी कर्मचारियों का जो मुझे विश्वास प्राप्त हुआ है, बड़ी नम्रता से कहता हूं, उतना विश्वास प्राप्त करना किसी के लिये बड़ा मुश्किल है । न हुआ होता तो जाने कितने प्रदर्शन हुये होते । न हुआ होता तो आसान नहीं था, किसी को निकाल दिया गया होता तो आसान नहीं था, सरकार लोगों को चुनाव के जमाने में भी जेल में बन्द करने की न सोचती । कर्मचारियों का और मेरा बहुत पुराना सम्बन्ध है । वे चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों, पब्लिक सेक्टर के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों, अगर उनके ट्रेड यूनियन राइट पर हमला होगा, तो मैं उसमें सबसे आगे रहने वाला हूं । लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, अनुशासनहीनता नहीं बरदास्त की जायगी ।

दोनों आदमी आ गये । क्या गजब हो गया ? मैं कारण बता देना चाहता हूं । मैं क्यों लाया । प्रदेश की सरकारों का केन्द्र से घनिष्ट सम्बन्ध है और बड़ी नमता से कहता हूं कि यह लोग, दो साल और चार साल दिल्ली के मुहकमें में काम कर चुके हैं । उसकी वजह से केन्द्रीय सरकार के एक-एक मंत्री से, उसके स्टाफ के साथ सेक्रेट्रीज के साथ मुझे कोई बातचीत करनी हुई तो बहुत आसानी से बातचीत हो जाती है । मैं कोई उस तरह का चीफ मिनिस्टर नहीं हूं जिस तरह के मेरे बड़े बूढ़े रहे हैं जिसका स्ट्रेचर हिमालय से ऊंचा रहा हो ।

मैं छोटा आदमी हूं । मुझे हर तरह से ठीक बनाना होगा । ...(व्यवधान)... आपके जमाने में भी लियाजन आफिसर थे । ऐसे आदमी रखे गये जिनको दिल्ली सरकार के सम्बन्ध में कोई वास्ता नहीं पड़ा । मैंने उसको रखा जिसने दिल्ली की सरकार में काम कर रखा है । मैं उनको इस प्रदेश की सेवा की गरज से लाया हूं । कोई गलत नहीं है । माधव बाबू ने कहा कि उनके द्वारा बड़ा रोबदाब है । रोब के लिये । जिस दिन उनकी कार्यदक्षता में मुझे विश्वास नहीं रह जायगा मैं उनको वापस भेजने में अपने आप कोई कसर नहीं रखूंगा । एक संत अध्याय बन्द नहीं होता मैंने चौधरी साहब से कहा उसी दिन कि उनके सम्बन्ध में जानकारी कर लूं । अगर चौधरी साहब थोड़ा समय मुझे दे दें कि मैं सारी बातों को जान समझ लूं तो मेरे साथ और अपने साथ भी वह न्याय करेंगे । मैं यह नहीं कहूंगा कि आप हरिजनों के खिलाफ हैं इसलिये ऐसा कर रहे हैं । लेकिन सच बात यह है कि आप यह समझते हैं कि प्रशासन को अच्छा रूप आप दे सकते हैं इसलिये दूसरे लोग गलती कर रहे हैं । आपको यह गलती मिली होती खाद के सिलसिले में, आपने कहा होता कि 1.34 लाख मीटरिक टन न्याइट्रोजन के बजाय कम ले आय । उसके बाद आपने कहा होता कि केन्द्रीय सरकार इस सरकार की परवाह नहीं करती, हमारी उपेक्षा करती है, तो मैं समझता कि आप का इशारा सही है । मैं मानता हूं कि स्वच्छ शासन रहना चाहिये । मैं मानता हूं कि मेरे कार्यकाल में किसी के दामन पर धब्बा हो जो मेरे साथ हो तो अच्छा नहीं है । उस साथ कोई अन्याय हो जाय मैं यह भी नही चाहता हूं । चौधरी साहब कहने लगे, कल अपने भाषण में कह रहे थे, इनक्वायरी बिलकुल नहीं हुई होगी निकाल दिया होगा । डी0एस0ओ0, बाराबंकी को किसने खड़े-खड़े निकाल दिया ? डी0एस0ओ0...।

चौधरी चरण सिंह—

जो निकला होगा तो इन्क्वायरी कम्लीट कर ली होगी । बिना इन्क्वायरी नहीं निकाल सकते । आप उल्टी बात कह रहे हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बिना इन्क्वायरी के भी निकाल सकते हैं, तीन साल का नौकर न हो, टेम्पोरेरी हो । आप "वाइजमैन आफ दि हाउस ह" । दो तरह के एम्प्लाइज हैं, परमानेंट और टेम्पोरेरी । टेम्पोरेरी

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

की बाबत आपको मालूम है कि आपके जमाने में रूल बना है जब पंत जी के साथ थे । तब से रूल चला आ रहा है, हम क्यों चार्जशीट दें, हम उसको हाई कोर्ट में जाने के लिये रास्ता नहीं देना चाहते । हमने प्रशासन शुद्ध करने के लिये, आपको चाहे न दीखता हो हमारा डर और इसलिये नहीं दीखता कि चन्द आफिसर्स ने कहा होगा कि हम बहुत बेचैन हैं । उनके जाने में कोई रुकावट नहीं है । पच्चासों ऐसे आफिसर्स होंगे जिनको आप बाई नेम जानते होंगे । एक जगह आप गये थे । वहां दरोगा नहीं निकला था । हमने उसको सख्त तम्बीह कर दी है इस सदन के नेता हों, विरोधी दल के नेता ही नहीं बल्कि, माननीय सदस्य हों, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिये । लेकिन यह देखना होगा कि अगर सरकार कोई काम करती है तो आप यह कहें कि सरकार का यह कदम ठीक है या नहीं ।

आपने यह कहा कि कांग्रेसमैन एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर करते हैं और यह भी कहा कि गवर्नमेंट उससे नाजायज फायदा उठाती है और कहा कि श्री नत्थूलाल अच्छे हैं और दिल्ली से किसी मिनिस्टर ने टेलीफून कर दिया । लेकिन तजुर्बे में यह बात आई है कि मेरठ में चौधरी साहब बहुत इंटरफियरस करते हैं । गृह सचिव को नोट लिखते हैं और मुझे नोट लिखते हैं ।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, मैं इनके नोटिस में लाता हूं तो यह इन्टरफियरेंस हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नोटिस में लाने की बात तो ठीक है । लेकिन मेरा कहना है यह है कि आप गवर्नमेंट की नोटिस में लाते हैं तो कोई आप जांच करके तो भेजते नहीं हैं । आप जांच कर लें और फिर कहें कि मैं इन तथ्यों से पूर्ण रूपेण सहमत हूं । यह जांच से सिद्ध है तब तो बात दूसरी हो जाती है । आप मानें या न मानें लेकिन जब आपकी चिट्ठी देखते हैं तो हमारे ऊपर दबाव पड़ता है कि माननीय नेता विरोधी दल ऐसा कहते हैं । मेरे दोस्तों की यह शिकायत है कि तुम ट्रांसफर के मामले में हमारी बात नहीं सुनते हो, सरकारी कर्मचारियों के बारे में हमारी बात नहीं सुनते हो । मेरी आप से प्रार्थना है कि आप एक बी0के0डी0 एम0 एल0ए0 को भेज दीजिये और देखिये कि ट्रांसफर और प्रमोशन के बारे में क्या कहता हूं गवर्नमेंट सरवेन्ट्स के बारे में, आप माननीय रामसेवक जी को भेज दीजिये । आप मेरी जांच कर सकते हैं ।

चौधरी चरण सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर मैं यह लिखता हूं कि मेरे नोटिस में यह शिकायत आई है । उसकी आप तहकीकात करके जैसा मुनासिब समझें करें क्या आप इसको इन्टरफियरेंस मानते हैं । इन्टरफियरेंस वह होता है कि जब कोई आफिसर अपना जजमेंट करना चाहता है और उससे कहा जाये कि ऐसा न करके ऐसा करो तब इन्टरफियरेंस होता है । मैं शिकायत भेजता हूं आप मानें या न मानें लेकिन यह इन्टरफियरेंस नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं मानता हूं । इसलिये मैंने कहा कि यह इन्टरफियरेंस क्योंकि यह आबवियस दिखता है । यह ह्यूमन साइकोलोजी है । असर होता ही है । यह मैंने कहा है ।

अब एक बात और थी और जनसंघ ने भी नकल कर दी । माधव बाबू ने भी कहा । चौधरी साहब ने कहा सरविसेज के लिये कि सीनियर पी0सी0एस0 के लोगों को आप जगह नहीं देते हो । बड़ी उम्र के लोगों का ख्याल नहीं करते हो । नये-नये आई0 ए0 एस0 लड़कों को डी0 एम0 बना दिया है ।

मान्यवर, बहुतों की शिकायत है । मुरार जी भाई की शिकायत है कि हम बूढ़े हैं तो हमसे कम उम्र की इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर क्यों हो गयीं । चौधरी साहब को शिकायत है कि हमसे कम उम्र का लड़का वहां बैठा है । ऐसा बटवारा न कीजिये । इन हल्की बातों का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा । आई0ए0एस0 के लोगों को पी0सी0एस0 के लोगों से लड़ाया गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

न्यायपूर्ण बातें हों और उसे कहा जाता है कि लड़ाया जा रहा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

कमिश्नर की तादाद की बात कही गयी और कहा गया कि पहले इतनी थी और अब इतनी हो गयी है । चौधरी साहब को लोग आंकड़े गलत बतला जाते हैं ।

चौधरी चरण सिंह––

आप बतलाइये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

मान्यवर, सच बात यह है कि कमिश्नर की तादाद जो है वह इस प्रकार है । कैडर पोस्ट में चौधरी साहब के जमाने में 340 आई0 ए0एस0 कैडर के थे । और उसमें चौधरी साहब ने बतलाया कि 32 थे तो 32 नहीं 41 थे । अब 9 से आप यहां गलत हुये और अब कडर पोस्ट आज-कल 371 है और उसमें 65 आदमी कमिश्नर हैं । अब कभी पंत जी ने कहा कि खत्म कर दो आपकी कैबिनेट ने रिस्टोर किया । बहुगुणा ने नहीं किया । तो जो फैसला किया हमने मान लिया । अब दूसरी बात सुनें । कमिश्नर की यह चीज क्यों हुई गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह फैसला लिया कि अगर कैडर पोस्ट को एक्स कैडर पोस्ट में लगायेंगे तो फिर हम तुम्हारी उस पोस्ट का 25 प्रतिशत कम कर देंगे । पी0सी0एस0 की तरक्की नहीं कर रहे हैं, मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, अनजाने में दुश्मनी कर रहे ह । इस प्रदेश में मुख्य मंत्री बनने के बाद मैंने लिखा कि पी0सी0एस0 का 40 परसेंट कोटा होना चाहिये । 25 परसेंट नहीं । चौधरी साहब ने लिखा था 40 परसेंट जब चौधरी साहब कुर्सी पर रहते हैं तो किसी का ख्याल नहीं रखते हैं और जब नहीं रहते हैं तो सबका दर्द सताता है...

तीसरी बात सुनिये, बड़ा भारी फर्क क्या पड़ा खर्चे में । कमिश्नर की तनख्वाह कर दी है 2 हजार से 2,750 रु0 । अब हम उनको देते हैं 2,500 से 2,750 रु0। भारतीय क्रांति दल के नेता जो दिल्ली में हों, संसद में, उनको कहना चाहिये कि पी0सी0एस0 का कोटा कम है । हमने आर्गूमेंट दिये हैं, तथ्य दिये हैं, तथ्य प्रस्तुत किये हैं कि पी0सी0एस0 को आई0 ए0एस0 में जाने के लिये 40 प्रतिशत कर दिया जाय । मैं अपनी बात आपसे कहता हूं कि रोज का काम रोज किया जायगा कल के लिये नहीं टालना है । हम बिलकुल परवाह करने वाले नहीं हैं । बिलकुल नवजवान लड़के बूढ़े के मुकाबिले में अधिक काम कर सकते हैं ।

कुम्भ के मेले में एक बुड्ढे को इन्तजाम देखने के लिये रख दिया गया था, हमने उसको हटाया और वहां पर नवजवान लड़के को रखा । केन्द्रीय सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक विभिन्न यात्रियों ने प्रशंसा पत्र भेजा । माननीय चौधरी साहब जो आपके यहां सत्यपाल मलिक लड़के ह, वह जितनी तेजी से काम कर सकते हैं, उतनी तेजी से बूढ़े लोग नहीं कर सकते हैं तो आप यह कहिये कि नवजवानों को नौकरी मत दें । मगर हम तो नवजवानों को काम देने

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

वाले हैं और नवजवानों से काम लेने वाले हैं । चौधरी साहब आप देखियेगा कि 3 महीने के अन्दर अगर काम नहीं हुआ तो हम यह कहेंगे कि हमसे भूल हुई है और हम ऐसा न करें । बूढ़ा देखता है तो विन्ध्याचल सबसे बूढ़ा पहाड़ है तो उसको मुख्य मंत्री बना दिया जाय । योग्यता और क्षमता सदैव देखी जाती रही है और योग्यता और क्षमता देखी जायगी ।

चौधरी चरण सिंह---

यह तो ऐसी बात हुई कि जैसे 15 भैंसों में से 11 गायें घटा दिया जाय तो कितनी रहीं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अब चौधरी साहब ने ठीक कहा । लेटेस्ट थ्योरी यही रही कि भैंसों की जगह गाय ही रहेगी । बहुत जगहों पर भैंसें बदल दी गईं । आप भी गाय के साथ बछड़े पर आयेंगे । अब जरा सुनिये, चौधरी साहब ने टोटल कैडर के बाबत 320 कहा, 321 निकली ।

चौधरी चरण सिंह---

माननीय मुख्य मन्त्री जी, ठीक हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं । जहां जरा जोर देना है, कहीं हिमालय, कहीं विंध्याचल कह दिया । गलत सिर्फ यह है कि 4-4 साल के लड़के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना कर भेजेंगे तो उनसे काम नहीं होगा । मान लीजिए सुपरिंटेंडेंट पुलिस सबसे बड़ा अफसर है और उस जगह पर आपने लौंडे को भेज दिया तो वह सुपरिंटेंडेंट से काम नहीं ले सकता है । मेरी राय यह है कि 10 साल का जब तक इक्सपीरियेंस न हो जाय तब तक उनसे ऐसा काम नहीं हो सकता । 10 साल का इक्सपीरियेंस जरूरी है ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

चौधरी साहब, ए0 आर0 सी0 से ऐग्री नहीं करते---ए0 आर0 सी0 की 8 साल तजुर्बे की बात और चौधरी साहब 10 साल की बात करते हैं और मैं चौधरी साहब से नहीं एग्री करता । चौधरी साहब, जितने दिन मुझे राज चलाना होगा मैं उतने दिन योग्यता और क्षमता के मापदंड पर चलाऊंगा । राय भिन्न हो सकती है लेकिन यह सरकार है तो कृपया आप देखें । ऐटामिक इनर्जी कमीशन में जायं, ओ0एन0जी0सी0 में जायं, वहां जितना अच्छा काम हो रहा है उतना इन बूढ़ों से जो हमारे स्ट्रक्चर में हैं उनसे नहीं मिल सकता । वह स्ट्रक्चर जो हमें मिला है अंग्रेजों से जर्जर और बूढ़ा उसको तोड़ देना चाहिए था । 1947 में जबकि स्वराज्य मिला था (तालियां) । और हमें एक नया स्ट्रक्चर सारे देश में खाड़ा करना चाहिए था । चरण सिंह जी मिनिस्टर हो सकते हैं लेकिन इनको कोई कांग्रेसी डिप्टी कलेक्टर के लायक दिखलाई नहीं पड़ा 1947 में । यह मैंने एक लेख में लिखा था और मैंने जवाहर लाल जी के लाइफ टाइम में कहा था । आज भी दोहराता हूं कि यह हमने भूल की कि सारी सत्ता हमने ब्यूरोक्रेसी को सौंप दिया जो समझती ही नहीं है कि परिवर्तन क्या है । जो समझती ही नहीं है कि समाजवाद क्या है । जो जानती ही नहीं कि करांची में क्या हुआ था । जो जानती ही नहीं कि 1932 का आन्दोलन किस लिए हुआ । जो जानती ही नहीं कि फरीदपुर कांग्रेस में जवाहरलाल जी ने क्या कहा, जो जानती ही नहीं कि गांधी जी का अहिंसा का कैसा सिद्धान्त है, जो जानती ही नहीं कि पशु-धन का विकास कैसे होना है और जो जानती ही नहीं कि प्रदेश के जन-जीवन को कैसे आगे ले जाया जा सकता है ।

एक सदस्य---

उन गुनहगारों में आप भी थे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हम तो इनके पीछे थे। ये आगे थे और हम इनके पिछलग्गू थे। हम मान रहे हैं और आज भूल होगी तो कांग्रेस को! मेरी तरफ से धोखा होगा, मेरी भूलें कांग्रेस को चोटें देंगी। मैं मानता हूं कि आज जो नौजवान पीढ़ी आई है उसमें बड़ा तेज है, बड़ा उत्साह है, बड़ा साहस है और मैं इसका आवाहन करना चाहता हूं! इसके द्वारा हमें प्रशासन में उपयुक्त परिवर्तन लाना है। हमारा कर्तव्य है कि इसको हम देश के निर्माण में लगायें और फिर देखें कि देश में नौजवान कैसे देश को आगे ले जाते हैं। अगर ओंग सान वर्मा में बड़े बूढ़ों को चेला बना सकता है और बड़े बूढ़ों के बीच में अगर माननीया इंदिरा गांधी जी नया समाज और नयी चेतना दे सकती हैं तो हमारी सर्विसेज में जो लड़के आये हैं वे अंग्रेजी जमाने के बूढ़े और बड़े लोगों से ज्यादा बेहतर हैं।

चौधरी साहब ने अपनी विरासत में जो कुछ दिया है उससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन कृपया आप इनमें फर्क मत डालिए। यह स्ट्रेटजी मत कीजिए इस तरह से फर्क और भेद पैदा करके टोटल स्ट्रक्चर ही प्रशासन का चूर-चूर हो जाय, ऐसा आप पर दोषारोपण है। मैं कहूंगा कि श्रीमुख से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए। माधव बाबू बोलते तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन श्रीमुख से यह बात नहीं निकलनी चाहिए। माधव बाबू तो विनोद-प्रिय आदमी हैं, कभी-कभी विनोद में भी कुछ बातें कहते हैं इसलिए मैं उनको ऐसा मानता हूं, लेकिन आपको नहीं। दूसरी बात यह है कि उनकी पार्टी का एक विशेष दृष्टिकोण है जिसका कुछ सम्बन्ध भारतीय संस्कृति से है और वह संस्कृति कब से है? जबसे गोलवलकर साहब ने इस संस्कृति को जन्म दिया। उनका अपना दृष्टिकोण है शिक्षा के सम्बन्ध में, भाषा के सम्बन्ध में। लेकिन आपके मैनिफेस्टो में तो वह सीमा बहुत जगह तोड़ी हुई है।

आप से तात्पर्य श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, आपसे नहीं है, चौधरी साहब से है, नेता विरोधी दल से। हमसे वह कहते हैं कि तुम अपना दृष्टिकोण प्रशासन का ठीक करो, तुम प्रशासन को तगड़ा करो, तुम प्रशासन को खींचो। खुद क्या कर रहे हैं? खुद की कोशिश यह है कि प्रशासन की चूल-चूल हिल जाय और कोई चूल जोड़ने का मौका ही न मिले।

एक सदस्य—

कितने नौजवानों को मन्त्रिमंडल में लिया आपने?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह बूढ़े हैं जो मेरी बगल में बैठे हैं। (हंसी)।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चौधरी साहब ने एक उदाहरण दिया। चौधरी साहब मुझसे कोई हलका भाषण हो जाय तो वह इतना बुरा नहीं होगा जितना वह होगा कि जो आपके मुंह से होगा। इसलिए कि भगवान ने आपको इस जगह और उस जगह, सब जगह बैठा दिया है और प्रदेश, पक्ष और प्रतिपक्ष के रूप में आपकी तरफ देखता है। आपने जौनपुर के मछलीशहर की बात बता दी। किसी ने आपको बताया लेकिन वहां एक भी घटना नहीं हुई जो आपने बतायी। पहली यह बात झूठ कि तहसीलदार के मुंह में थूका गया। दूसरी यह बात झूठ कि उसका ट्रांसफर कर के रोका गया। उस आदमी के करप्शन की शिकायत गवर्नमेंट के पास आयी। कमिश्नर से कहा गया पहले ट्रांसफर

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

करो फिर इंक्वायरी करो। उसकी इंक्वायरी हम खुद करा रहे हैं। एक ही दिन के अन्दर ट्रांसफर कर के भेज दिया। यह अब होने वाला नहीं है कि ट्रांसफर होने वाला छुट्टी ले लेगा। हमने आदेश कर दिये हैं कि जिसका ट्रांसफर होगा उसको छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक वह नए स्टेशन पर ज्वाइन नहीं करेगा। आप लोगों के जमाने की बड़ी खराब आदतें पड़ी हुई हैं। यह बात सच है कि कुछ लोगों नें शिकायत की कि वह भ्रष्टाचारी है। तो हमने ट्रांसफर किया और यह चले गए। जांच जारी है।

चौधरी साहब ने एक बात और कही कि जो गोरखपुर का कोतवाल है उसको कहीं इंस्पेक्टर बना दिया। सरकारी नौकरी के माने यह नहीं हैं कि वह इन्सान नहीं रह जाता।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

वह छुट्टी लिये हुए हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आपको कुछ नहीं मालूम। उनकी स्त्री का देहान्त हो गया है जिसके कारण वह छुट्टी लिए हुए हैं।

श्री मुलायन सिंह यादव--

आपने आदेश किया लेकिन करहल में जहां अशोक कुमार डाक्टर हैं, आपने स्वय आदेश दिये हैं लेकिन यह छुट्टी लिए हुए हैं और आपके आदेश का पालन अभी तक नहीं हुआ है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं सोच रहा था कि कोतवाल के सिलसिले में बात हो रही है। जो बात आप कह रहे हैं, मैंने नोटिस में ले लिया और मैं जांच करूंगा। कहा कि वह कोतवाल बड़ा भ्रष्टाचारी था और सतीशचन्द्र सब से बढ़िया आदमी। सतीश चन्द्र सितम्बर 1973 में गोरखपुर गए और उन्होंने 500 रुपए इनाम दिया उसी आदमी को। वहां एक ग्रुप है बड़ा जबर्दस्त, मैं अगर डकैत भी कहूं तो छोटा लफ्ज होगा, जिस ग्रुप को उसने बड़ी बुरी तरह से क्रश किया। वह ग्रुप पहले कांग्रेस वालों के पास रहा।

एक सदस्य--

अब भी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह बात सच है, वह ठीक कह रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उसको निकाल दिया गया 6 साल के लिए कांग्रेस से। अब जिसको हम निकालें वह आपके यहां पहुंच जाय....

चौधरी चरण सिंह--

यह बहस नहीं है। जर्नलिस्ट तिवारी के लड़के का मामला दूसरा होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मलखान सिंह (जिला जालौन)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कई जिलों में कई अधिकारियों का आपने और मन्त्रियों ने ट्रांसफर किया और फिर रोक दिया। यदि आप जानना चाहेंगे तो लिस्ट बनाकर श्रीमानजी के पास भेज दूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं बड़ा अनुगृहीत होऊंगा माननीय सदस्य का। मैं आपका नाम नहीं जानता, हम अपनी भूल को स्वीकार भी करेंगे और आप से क्षमा प्रार्थना भी करेंगे और ऐसे अधिकारी को दंडित भी करेंगे जिन्होंने रोका।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस कोतवाल को सतीशचन्द्र जी ने, चौधरी साहब उन पर बड़ा यकीन करते हैं, मैं भी कुछ कम यकीन नहीं करता हूं, उन्होंने उसको प्रशासन को ठीक करने के लिए, गुंडों को दबाने के लिए 500 रुपए का इनाम दिया। उस आदमी की स्त्री कैंसर में बीमार थी, कैंसर से मर भी गयी है। उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, लगभग एक दर्जन।

एक सदस्य—

आपकी फैमिली प्लानिंग असफल हो गयी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आप लोग प्लानिंग को सफल ही कहां होने दे रहे हैं। न किया होगा फेमिली प्लानिंग मेरा एक निवेदन है कि इस कानेस्टेबुल की बाबत कुछ दृष्टांत बनता नहीं है।

अभी कहा गया कि आपने आई0 जीज0 की संख्या बढ़ा दी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस पर बजट कम है, पुलिस का बजट पार साल से भी कम है।

दूसरी बात परसेंटेज में हिन्दुस्तान भर में, सारे देश भर में आज भी हमारा बजट आलमोस्ट लोएस्ट है।

तीसरी बात हमारी पुलिस जितनी होनी चाहिए एक हजार आदमियों के ऊपर तो वह सारे देश में जितनी है उससे कम है। जिसके लिए फाइनेंस कमीशन ने 59 करोड़ रुपए साल में बढ़ाने की सिफारिश की है। मैंने कहा कि अगर 59 करोड़ रुपया मेरे पास होगा तो उससे नहर बनेगी, बिजली बनेगी, पानी बनेगा। 1400 से ज्यादा थाने आज भी नहीं हैं। हमारी पुलिस के पास वायरलेस नहीं है, जीपें नहीं हैं। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं हैं। फिर आप कैसे कहते हैं कि उन पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं।

जो यह बीसियों साल से हमारी पुलिस इसी तरह से चली आ रही है इसको बदलने में मुझे कई साल लगेंगे। इनको मार्डनाइज करने में समय लगेगा। मेरा यह फैसला है कि इसको मार्डनाइज किया जाना है। जिससे कि जो इतने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं इनको रोका जाय। समाज में शांति व्यवस्था लाई जाये।

चौधरी साहब आई0 जी0 की संख्या अन्य सूबों से हमारे प्रदेश में ज्यादा नहीं है। बंगाल से, पंजाब से, हरियाणा से, चौधरी साहब आप तो रोहतक हरियाणा में मीटिंग में जा रहे हैं जरा पूछिएगा कि वहां कितने आई0जी0 हैं। पुलिस सर्विसेज में कहा जाता था कि ज्यादा प्रमोशन एवेन्यूज नहीं हैं। आप कहते हैं कि डाइरेक्टर जनरल क्यों बना दिया। यह सच है कि हमने बनाया है। इस पर मैं कमेंट्स नहीं करूंगा।

मान्यवर, पी0ए0सी0 के बारे में बहुत सी बातें यहां कही गई हैं। यह भी कहा गया है कि पी0ए0सी0 के रिवोल्ट के बाद 4 आई0जी0 बढ़ा दिए गए हैं। चौधरी साहब

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

इसलिए बढ़ाए गए हैं। आप आर्मी को देखिए, बी0एस0एफ0 को देखिए कि उनकी प्लाटून कितनी बड़ी है, कम्पनी कमांडर कितने पर हैं। तो जो आई0जी0 बनाए हैं वह सारे देश से कम हैं। यह पुलिस को ठीक रखने के लिए, जनता के साथ उनकी कंडक्ट ठीक रखने के लिए बढ़ाए गए हैं।

हमने 16-17 काम किए हैं। बैरेक्स में पंखे लगाने से लगाकर साग, सब्जी पर ध्यान दिया गया है। टी0ए0 जो 10 रुपया पहले फिक्स था, अब वह 55-60 रुपए पड़ रहा है। पुलिस और पी0ए0सी0 के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं।

मैं एक बिनती और करना चाहता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी परिषद क्यों नहीं बना दी गयी। आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस का केन्द्रीय ऐक्ट के अनुसार जो सारे देश और प्रदेशों में लागू है उसके अन्तर्गत उनको अपना संगठन बनाने की इजाजत है। इसके सिवा यदि वह ट्रेड यूनियन की तरह संगठन बनाना चाहते ह तो यह सरकार उनको स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि कोई भी सरकार जो प्रजातन्त्र को स्वीकार करती है वह आर्म्ड फोर्सेज को संगठन के सिवाय कोई सुविधा नहीं देती है। मुझे आशा है कि इसे माननीय सदस्य समझेंगे।

श्री राम अधार---

मैं मान्यवर मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि पी0ए0सी0 के लोग जो हजारों की संख्या में जेल में बन्द हैं उनके सम्बन्ध में इनकी क्या नीति है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

यह बात बिल्कुल मिथ्या है कि हजारों की संख्या में हैं बल्कि केवल सैकड़ों की संख्या में रह गए हैं। लेकिन जब-जब इस फोर्स ने विद्रोह जहां कहीं किया है तो उनको प्राविडेंट फंड को छोड़कर और कोई हिस्सा नहीं मिला है। जबकि इस सरकार ने जो नौकरी से चले गए हैं उसके लिए पेंशन की भी व्यवस्था की है। यदि इस जगह चौधरी साहब होते तो वह भी ऐसी व्यवस्था न करते। पुलिस फोर्स को गेम बनाने का प्रश्न नहीं है, राजनीतिक प्रश्न बनाने का प्रश्न नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इन बातों को समझेंगे।

मान्यवर, चौधरी साहब ने यह कहा कि प्रमोशन के लिए कुछ करना चाहिए और यह भी कहा है कि गलत बात है। चौधरी साहब 13 जून, 1974 के बाद आपने भाषण दिया है जबकि इसके पहले प्रमोशन की एक कमेटी बनाई जा चुकी है।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री से जानना चाहूंगा कि जो पुलिस का वेतन है उससे आपके वहां के जो विधान भवन के रक्षक हैं उनके वेतन में 10 रु0 की कमी क्यों हो गई है। आप उनके वेतन में 10 रु0 की बढ़ोत्तरी कर दें। दूसरे जो प्रदेश के चौकीदार हैं उनके वेतन के बारे में कुछ नहीं है। उनको भी अब बढ़ा दें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

मान्यवर, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि पुलिस के अन्दर अखलाकी गिरावट ज्यादा है यानी उनमें बहुत ज्यादा डिमोरेलाइजेशन हुआ है। इस सम्बन्ध में आप देखें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

माननीय सदस्यों का कहना है कि सिपाहियों से बेगार लेते हैं। तो हमने सिर्फ एक डी0आई0जी0 को इसलिए मुअत्तल किया है कि वह 4 सिपाहियों से बेगार लेते थे। मैं

इस बारे में सतर्क हूं और आवश्यक कार्यवाही कर रहा हूं। हमने एस0 पी0 तथा डी-वाई0एस0पी0 एवं डी0 आई0 जी0 के दौरे तथा नाईट हाल्ट निर्धारित कर दिए हैं जिनको कि उनको पूरा करना होगा। जैसे कि डी0 आई0 जी0 को 160 दौरे तथा 60 नाइट हाल्ट करना जरूरी है। अब चौधरी साहब का कहना है कि डी-वाई0 एस0 पी0 का वेतन का मामला अधर में पड़ा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि चौधरी साहब ऐसा किसलिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि सबके साथ अन्याय हो रहा है। चौधरी साहब आपको मालूम होना चाहिए कि यह सब मामले जैसे वेतन निर्धारण, वेतन का निश्चित करना तथा सेवा सम्बन्धी मामले एक कमेटी बनाकर उसको दे दिए गए हैं जो सभी मामलों का निस्तारण करने वाली है।

मान्यवर, तीन-चार बातें और कहना चाहता हूं। पुलिस के बारे में इतना ही इस समय कहना चाहता हूं कि पुलिस की जो संख्या है हमारे प्रदेश में उसमें 9 हजार कांस्टेबिल कम हैं, 1,500 हेड कांस्टेबिल कम हैं, 2,500 सब-इंसपेक्टर्स कम हैं। आर्म्ड पुलिस में 6,000 कांस्टेबिल, 1,200 दरोगा 450 हेड कांस्टबिल, 90 एस0 आई0 कम हैं। यह मार्म्स जो पुलिस कमीशन ने 1960 में लेड डाउन किये थे और जिनको गवर्नमेंट ने स्वीकार किया था उस हिसाब से बता रहा हूं। इसके बाद हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं मैं उस बात पर कुछ नहीं कहना चाहता। वह तथ्य तो बाद में सामने आ जायेंगे।

एक बात कही गई धनेरा गांव के सिलसिले में। अब उस मामले को चौधरी साहब, हमने सी0 बी0 आई0 को दे दिया है इससे ज्यादा और नैतिक बात क्या हो सकती है जब कि कोई स्टेट अपनी तरफ से नहीं करती, लेकिन मैं उस लाइन पर नहीं गया। एक तरफ डी0 आई0 जी0, एस0 पी0 और पुलिस फोर्स और दूसरी तरफ जनता और एक सूबेदार आर्मी का। उसमें कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ लोग मारे गए। एक बहुत ही दर्दनाक कांड हुआ और उसके लिए हम यह कहें कि पक्षपात किया, गलत है। हमने सी0बी0आई0 को दे दिया।

चौधरी चरण सिंह—

आपने सी0 बी0 आई0 को दे दिया है जैसा कि वहां के लोग चाहते थे, उसके लिए धन्यवाद। उसका सवाल यह था कि सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस के हुक्म से 500–600 पुलिस के लोगों ने शूट किया। तो सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। जहां तक सी0 आई0 डी0 की बात है ऐसे मामलों में वह तहकीकात नहीं कर सकते क्योंकि सी0 आई0 डी0 इन्सपेक्टर या डी-वाई0 एस0 पी0, एस0 पी0 की मातहती में पोस्ट किए जा सकते हैं। दूसरे देशों में जैसे युनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है वहां सिविल पुलिस और सी0 आई0 डी0 बिलकुल अलग है। यहां एक ही काडर है। जो आदमी सी0 आई0 डी0 के अन्तर्गत है आज-कल वह पुलिस के अन्दर भी हो सकता है। इसलिए सी0 बी0 आई0 की डिमांड की। वरना सी0 आई0 डी0 को एस0 पी0 के खिलाफ इंक्वायरी करने में उतनी इंडिपेंडस नहीं रहती और न ही इंडिपेंडेंट जजमेंट बना रहता है।

आप इसको एक्जामिन कीजिए और सी0आई0डी0 को सिविल पुलिस से अलग कर दीजिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माननीय चौधरी साहब, आपका यह विचार आया है हम इस पर विचार करेंगे। आप काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, अगर आप कुछ सजेशन दें कि किस तरह से हम यह सब करें अगर आप लेड डाउन करके भेज दें तो मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूंगा।

श्री ऊदल--

मान्यवर एक निवेदन मैं आपके जरिये मुख्य मन्त्री जी से करना चाहता हूं और वह यह है कि सी० आई० डी० पुलिस का जो वर्किंग कन्डीशन है वह बहुत ही खस्ता है। उसमें कोई इंसपेक्टर आपके सिविल पुलिस का आना नहीं चाहता। अगर उसका तबादला हो जाय तो उसका रुकवाने का कोशिश करता है। उनके पास मकान नहीं है, उनके पास अर्दली नहीं है, उनके पास चपरासी नहीं है, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इसके बारे में भी कुछ करेंगे या इस पर विचार कर लें।

एक सदस्य--

मेरे यहां माहेश्वरी गोली कांड हुआ। वहां पर गोली चली और उसकी इंक्वायरी के लिए लोकल पुलिस ने मना कर दिया। झांसी, ललितपुर, की इंक्वायरी दी गई उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद हमीरपुर की इंक्वायरी दी गई, उन्होंने मना कर दिया। जिस आदमी पर गोली चलाई गई है उसके परिवार को बहुत भारी संकट है, उसकी जान-माल का खतरा है। तमाम प्रार्थना-पत्र आपके पास भेजे गए हैं, उसकी कोई सुरक्षा नहीं हो रही है और न ही मेरी बात को आप सुन रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, ला एन्ड आर्डर के सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं। चौधरी साहब ने जो भी कहा हो बजट के सिलसिले में कि पुलिस का बजट ज्यादा है वगैरह वगैरह। दूसरी स्टेट्स का, मान्यवर, देखें। वहां कितना है। महाराष्ट्र का देखें....

चौधरी चरण सिंह--

मेरी शिकायत यह है कि बजट बढ़ जाने के बावजूद पुलिस में एफीशियेन्सी नहीं बढ़ी है। बजट बढ़ाने से मुझको एतराज नहीं है। आप चाहें तो बजट और बढ़ा दें अगर वह कम है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, हमने 14 दिन के अन्दर गुन्डा ड्राइव किया। मैं प्रशंसा नहीं करना चाहता लेकिन आप देख लें कि कितने गैंग्स को लिक्वीडेट किया, कितने हथियार बरामद किये। एक लाख पुलिस है और साढ़े नौ करोड़ लोग हैं। एक बात यह कही गयी कि यू० पी० पब्लिक मेन्स आर्डिनेन्स ऐक्ट चौधरी साहब ने निकाला था और उसको फिर किसी ने देखा नहीं। एस० वी० डी० गवर्नमेंट जब बनी तो यू० पी० पब्लिक मन्स आर्डिनेन्स ऐक्ट 1967 में प्रोमलगेट हुआ। आपकी गवर्नमेंट कायम रही अक्टूबर से लेकर जनवरी या शायद फरवरी के महीने तक। उसके बाद उसको हाउस में नहीं ला सके। आर्डिनन्स लैप्स कर गया।

चौधरी चरण सिंह--

लप्स नहीं हुआ था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

बहरहाल आपने दुबारा रिइश्यू नहीं किया। 25-2-68 को स्टेट प्रेसीडेंट रूल में आयी। मेरा कहना यह है कि आपने इसको क्यों नहीं किया। एक बात कह दूं। 1970 में जब आप चीफ मिनिस्टर हुए तो एस0 वी0 डी0 में टम्बेश्वर प्रसाद आपके पुराने मित्र थे। जनसंघ के साथी भी सन लें। उन्होंने सन् 70 में एक पेटीशन याचिका समिति के सामने रखी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पब्लिक मेन्स आर्डिनेन्स को रिइनेक्ट कर दिया जाय। चौधरी साहब ने वह फैसला लिया कि लोक आयुक्त ऐक्ट आ जाने के बाद इस पर विचार करेंगे। गवर्नमेंट आफ इंडिया लोक आयुक्त ऐक्ट बना रही थी। तो चौधरी साहब ने फैसला लिया कि लोक आयुक्त ऐक्ट आ जाय तो इसको हम बना लें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप रीअली ठीक समझते थ....

चौधरी चरण सिंह--

यह कब की बात है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

1970 की बात कर रहा हूं। याचिका समिति की रिपोर्ट मंगा लीजिये।

चौधरी चरण सिंह--

तब कांग्रेस के साथ कोलीशन था। मेरे पास कोई इलाज नहीं था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चौधरी साहब का कहना है कि उनके पास कोई इलाज नहीं था। जब हम मुस्लिम लीग के साथ मिलत हैं तो क्यों नहीं मिल सकत। आप अपने आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति। आपको हमारी बात पकड़ने की क्या जरूरत थी। लकिन अगर आप हमारे आदर्शों पर चलते हैं तो आ जाइय हमारे साथ। करप्शन की बात कही गयी। करप्शन के जहां भी केसेज आय तो सबूत ह या नहीं परवाह नहीं की, कौन किस पार्टी का है परवाह नहीं की और हमन कर दिया।

श्री राम सेवक यादव--

बाराबंकी में एक फर्म के खिलाफ डी0 आई0 आर0 में मुकदमा कायम हुआ है। दो विधायकों न लिखकर एस0 डी0 एम0, नबावगंज को और एस0 पी0 को दिया लकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माननीय राम सेवक यादव जी ने बाराबंकी की एक ना-गिरफ्तारी का जिक्र किया। मैं इसको दखूंगा।

चौधरी चरण सिंह--

आप अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, लेकिन जो पालीटीशियन्स हैं, एम0 एल0 ए0 हैं और मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ इन्क्वायरी करेंगे? क्या इस संबंध में कोई बिल ला सकते हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैंने पहले ही कहा कि चौधरी साहब की तमन्ना पूरी करना हमारा काम है। हम नेता विरोधी दल की सलाह के बिना कोई काम नहीं किया करते। आपकी सलाह लूंगा और किसी दिन आपके घर पर आ जाऊंगा।

एक सदस्य--

क्या इसमें खतरा नहीं है? कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चौधरी साहब कोई गड़बड़ी करने वाले नहीं है। चौधरी साहब से किसी को खतरा नहीं है। चौधरी साहब से चौधरी साहब को ही खतरा है।

चौधरी साहब को एक शिकायत है कि मेरे एक क्लास-फेलो जो पी0 आर0 ए0 आई0 के कर्मचारी हैं और उनके खिलाफ थर्ड क्लास में ट्रैवल करने और फर्स्ट क्लास का चार्ज करने की शिकायत है, को कन्फर्म कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि वह मेरे क्लासफेलों नहीं थे।

चौधरी चरण सिंह--

वह लिखी हुई स्पीच में है लेकिन मैंने कहा नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा--

चौधरी साहब की इनके बारे में यह शिकायत है

"Classfellow of Mr. Bahguna in PRAI, found guilty of travelling in III class but charging I class was confirmed by him on June 10 last."

चौधरी चरण सिंह--

वह ठीक लिखा है लेकिन मैंने स्पीच में नहीं कहा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अगर आप उसको काट देते तो मैं ज्यादा प्रसन्न होता। आप तो डिटेल्स के आदमी हैं। जहां तक इस शिकायत का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि यह मेरे क्लासफेलो नहीं थे। इनका नाम बी0 सी0 अस्थाना है। इन्होंने 28 जून को यात्रा की और ए0 टी0 बिल जो बनाकर दिया उसमें एक तरफ से थर्ड क्लास चार्ज किया गया है और दूसरी तरफ से फर्स्ट क्लास चार्ज किया गया है। इन्होंने कोई गलती नहीं की। किसी ने गलत सूचना चौधरी साहब को दे दी है। इसीलिये मैं कहता हूं चौधरी साहब कि वह इस तरह की गलत बात न किया करें क्योंकि सारे उत्तर प्रदेश का उनकी तरफ ध्यान रहता है। जब वह इस तरह से गलत बोलेंगे तो लोगों के दिल में क्या गुजरेगी।

एक बात चौधरी साहब ने कही और वह यह कही थी कि हिन्दालको को एलेक्शन से पहले कुछ रुपये जो कोर्ट में रखे थे रिलीज कर दिया। मैं सदन का समय इस सम्बन्ध में 1958 से पूरी बातें कहकर नहीं जाया होने दूंगा। उससे मेरा मलतब नहीं। लकिन हिन्दालको को किस दर से बिजली दी जाय। इस सम्बन्ध में अलग-अलग मुकदमें चल रहे हैं। एक मुकदमा जो आजकल चेयरमन है उनके समय का भी है। हम उनकी डिटेल्स चौधरी साहब को दे देंगे। हिन्डालको के लिये कहा गया। इसके साथ एक एग्रिमेंट था कि जितना हम

जनरेट करेंगे उसी रेट से बिजली देंगे और पानी कम हो जाय तो 55 मेगावाट प्रोरेटा रेट पर देंगे (व्यवधान) एडीशनल देंगे तो क्या हिसाब होगा ? कांग्रेस की सरकार से तय हुआ कि साढ़े 5 पैसा और उनको देना होगा। लेकिन संविद सरकार ने दो पैसा घटा कर उसे साढ़े 3 पैसा कर दिया। बाद में एक इंजीनियर की जांच के फलस्वरूप वह निकला कि हिन्डालको को जिस रेट पर बिजली दी जाती रही है उसे बिजली कुछ ज्यादा मिली। तय यह हुआ कि जो एक्सेस पावर दे रहे हैं उसे उस रेट पर नहीं देंगे जिस रेट पर दे रहे थे यानी दो पैसे से कुछ कम। उसको एवरेज रेट पर देना होगा और इस तरह से साढ़े 5 पैसे सरचार्ज आता था और उस साढ़े 5 पैसे सरचार्ज को संविद सरकार ने घटा कर साढ़े 3 पैसे कर दिया। उस समय कमलापति जी की सरकार थी। उसने नोटिस दिया। उसने जब पैसा नहीं दिया तो बिजली काट दी गयी। हाई कोर्ट में रिट लगाई। हाई कोर्ट की पहली बेंच में वह जीत गये जो एक जज की थी और उसने कहा कि बिजली लौटा दी जाय। यू0 पी0 गवनमेंट ने स्पशल अपील की। उसमें वह हार गये और हम जीत गये। फिर बिजली काट दी। फिर वह सुप्रीम कोर्ट में गये। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिये कि 34 लाख लाख रुपया अभी दो बोर्ड को। बाकी 2 करोड़ 12 लाख रुपया यूनाइटेड कामर्शियल बैंक में जमा कर दो। इसका इंटरेस्ट आयेगा 6 प्रतिशत। अगर फैसला तुम्हारे हिस्से में हुआ तो मय ब्याज के रुपया तुमको मिल जायगा और हमारे हिस्से में हुआ तो हमको मिल जायगा।

चुनाव के बाद मार्च के महीने में हिन्डालको की तरफ से प्रार्थना पत्र आया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास कि हमारे पास पैसे की कमी है लिहाजा 2 करोड़ 12 लाख रुपया की मय 6 परसेंट इंटरस्ट के बक गारंटी दिला देंगे और जैसे ही फैसला सरकार के फेवर में हुआ तो उसे पेमेंट कर देंगे लेकिन इस समय हमारा रुपया रिलीज कर दो। बोर्ड ने इस पर इंकार कर दिया। हिन्दालकों ने बाद में इस बात को रखा कि 60 लाख रुपया बोर्ड ले ले। बोर्ड के वेज एन्ड मीन्स बहुत पुअर थे। बाकी रुपये की गारंटी बैंक से स्पसिफिक स्टाम्प पर दिला दी जायगी। रुपया रिलीज कर दिया जाय। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसी तारीख में उतना रुपया 6 परसेंट ब्याज के साथ द दिया जायगा। इसे हमने मान लिया। इसमें क्या बेईमानी हुई ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

यूनाइटेड कामर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड बैंक है। अगर 60 लाख लेकर 2 करोड़ 12 लाख रुपया आप उनको रिलीज करवा रहे हैं और आप कहते हैं कि कोई बईमानी नहीं हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नेशनलाइज्ड बैंक ने हमको बैंक गारंटी दी। हम किसी दूसरे से गारंटी नहीं ले रहे हैं। यूनाइटेड कामर्शियल बक पर हमारा कंटोल नहीं है। बैंक की शिकायत चाह्वाण साहब से, रिजर्व बैंक, मिनिस्ट्री आफ बैंक्स स कीजिये। उत्तर प्रदश को उस मद म जो रुपया मिलना था वह सरक्षित है। हमारे पास गारंटी मौजूद है। मैं इसको बईमानी नहीं मानता। ऐसा न करते तो 60 लाख रुपया हमार बोर्ड को न मिलता। उसके वेज एंड मीन्स की पोजीशन टाइट थी। उसके लिये जो रुपया बैंक में पड़ा था किसी काम का नहीं था। जब फैसला होगा फैसले के हिसाब से रुपया मिल जायगा। हमारी दृष्टि साफ है। बोर्ड के इस काम

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

को हम गलत नहीं कह सकते, न हम यह मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये था। जब तक हिन्डालको कायम है और जब तक उसका राष्ट्रीयकरण नहीं करते तब देखा जा सकता है लेकिन उसके लिये हम पोजीशन ढूंढ़ रहे हैं और उसके लिये सौ दो सौ करोड़ रुपये की जरूरत है। हम रूपया ढूंढ़ रहे हैं बाहर से और हमें 11 परसेंट पर भी रुपया नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रुपया बाहर से लेना पड़ रहा है। हिन्डालको से हमें सुप्रीम कोर्ट के फसले के मुताबिक इस समय एक पैसा भी नहीं मिल सकता था तो फिर न हम खावें और न उसको खाने दें और पड़ा रहने दें, इसी तरह पर यह न तो उचित था। और न ही करना ही चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

दो करोड़ रुपये आपने नेशनलाइज्ड बैंक से लेकर बिड़ला को रिलीज कर दिया इसमें कौन सी ऊंचाई की बात है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आपकी नजर और मेरी नजर में फर्क है। दो करोड़ रुपया हो या सौ करोड़ रुपया हो बैंकिंग सिस्टम ने सैकड़ों करोड़ रुपया क्या बांट नहीं रखा है क्या बिड़ला के पास और क्या टाटा के पास दो करोड़ रुपये बैंकिंग सिस्टम ने आज भी नहीं रखा है। जब सारे सेक्टर को नेशनलाइज कर दें तब वह बात हो सकती है जो हमारे मित्र चाहते हैं लेकिन हम यह नहीं चाहते कि कारखाने बन्द हो जायें और न प्रोडक्शन बढ़े और न रा मैटीरियल रहने पावे। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे जो है और जो सुप्रीम कोर्ट की राय है वह 6 परसेंट भी सुरक्षित है। मैं समझता हूं कि इसमें बुराई क्या है।

श्री राम सेवक यादव--

हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सही है कि कमलापति जी के जमाने में कोई करार हुआ था 1 करोड़ दे करके लेकिन बाद में वह 60 लाख रुपये सौदा तय हो गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह बात बिलकुल असत्य है कि त्रिपाठी जी के समय में कोई इस तरह का इकरार या समझौता हो रहा था। यह भी असत्य है कि वह पोलिटिकल लेविल पर हो रहा था। सच बात यह है कि बोर्ड और उनकी लेविल पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे के कारण जो आर्बिट्रशन में नहीं आ रहे थे उसमें जस्टिस हिदायतुल्ला जो एक्स चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं उनके पास यह सब था और उनकी राय है कि इसमें कोई बेईमानी नहीं हुई। मैं यह देखता हूं कि इस सदन में बिड़ला का नाम आते ही कोई बहुत बड़ा पाप होने की बात आ जाती है। मेरी अपनी राय यह है कि सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और मैं उनमें से जो हूं जो चाहते हैं कि हिन्डालको का राष्ट्रीयकरण किया जावे लेकिन हिन्डालको का राष्ट्रीयकरण हम नहीं कर सकते, वह आज इस प्रदेश की सरकार के हाथ में नहीं है। उसको तब तक न चलने दिया जाय और 25 करोड़ रुपये का अल्युमिनियम दूसरे देशों से हम मंगायें यह बड़ी भारी भूल होगी। वह हम करने वाले नहीं है।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं। साधारणतया यह कहा गया है कि इस सरकार म प्रशासन करने की क्षमता नहीं है। अब इसको वक्त बतायेगा कि इस सरकार में प्रशासन करने की क्षमता है या नहीं है। हमारे महान नेता, हमारे देश और राष्ट्र की प्रिय और महान नता इंदिरा गांधी जी ने, उनके सम्बन्ध में, प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा कभी-कभी होती ही रहती ह, उन्होंने एक नई रोशनी दी है नया रास्ता भारत को बताया है

और यह सरकार कृत संकल्प है कि वह उन उद्देश्यों पर इस प्रदेश को आगे बढ़ाये और उत्तर प्रदश के सर और मस्तक को हिमालय से भी ऊंचा ले जाकर पहुंचा दें। (तालियां)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18 के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत होने वाल परिव्यों को चुकाने क लिय आवश्यक धनराशि की पूर्ति क लिये लखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,74,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19 के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन के अन्तर्गत होन वाल परिव्ययों को चुकान के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति क लिय लखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,44,84,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति क लिये लखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,23,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27---प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27---प्रकीर्ण सामान्य सेवाओं क अन्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 88,95,400 रुपय स अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21---पुलिस के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21---पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,85,02,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22---कारागार के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22---कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,49,24,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या---3 मंत्रि परिषद्

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाल वर्ष में अनुदान संख्या 3---मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,19,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद्

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3—मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,19,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 6—वृत्ति व्यापार आजीविका तथा सेवायोजन पर कर

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6—वृत्त व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति क लिय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6—वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 23—लेखन-सामग्री एवं मुद्रण

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री एवं मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,47,20,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री एवं मुद्रण के अन्तर्गत होनेवाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,47,20,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदाम संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत होने वाल

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,72,22,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,72,22,900 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 43—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होन वाले वष में अनुदान संख्या 43—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 89,55,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 89,55,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 63—सार्वजनिक निर्माण-कार्य के लिए सहायक अनुदान

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मैं श्री राज्यपाल के सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1675 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63—सार्वजनिक निर्माण काय के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,81,59,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63—सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,81,59,100 रुपए अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 9—भूमि और भवन कर

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9—भूमि और भवन कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 76,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9—भूमि और भवन-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 76,300 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वष में अनुदान संख्या 13—अन्य-कर और शुल्क के अतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,95,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होन वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,95,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,40,600 रुपए की अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,40,600 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दर्शक दीर्घा से नारा लगाने वाले व्यक्ति की रिहाई

श्री अध्यक्ष--

सदन जानता है कि जब चर्चा चल रही थी तो ऊपर से दीर्घा से एक सज्जन ने कुछ नारे लगाये। जो रिपोर्ट है मैं आपके सामने रख रहा हूं।

"आज दिनांक 28 जून, 1974 को 1.30 बजे विधान सभा मंडप की शासन पक्ष की ओर से दर्शक दीर्घा (नं0 2) से एक व्यक्ति ने, जिसके पास दर्शक दीर्घा का प्रवश-पत्र था, और जिस पर कि श्री शकल नारायण मिश्र लिखा हुआ है, उस व्यक्ति ने दर्शक दीर्घा में खड़े होकर इस प्रकार नारे लगाये--"पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी"। दीर्घा में तैनात रक्षकों ने उस व्यक्ति को तुरन्त ही अपने कब्ज में लेकर वहां से हटा दिया। उस व्यक्ति के पास से प्रवेश-पत्र संख्या 27600 जोकि प्राप्त हुआ है, वह श्री बल्देव (भा0क्रां0द0) सदस्य, विधान सभा, जिला वाराणसी द्वारा जारी कराया हुआ प्रतीत होता है। उस व्यक्ति का प्रवेश-पत्र संलग्न है यह व्यक्ति मार्शल की हिरासत में विधान सभा रक्षकों के सुपुर्द आदेशार्थ बैठाया हुआ है।"

आप सहमत होंगे कि अब इसको छोड़ दिया जाय।

(विरोधी दल की ओर से 'छोड़ दिया जाय' की आवाजें।)

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

जेल पर खर्च कराने से क्या फायदा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

जो सात सूचनाएं आज नियम 51 में आई हैं एक के अलावा स्वीकार करने लायक नहीं हैं। एक श्री ओमप्रकाश सिंह की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकार की गई है। शेष अस्वीकृत हैं।

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 9 मिनट पर सोमवार 1 जुलाई, 1974 के 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
28 जून, 1974।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 338 पर]

विधान सभा के प्रश्न 3 में उल्लिखित सूची

नाम	स्वीकृत अनुदान की संख्या
	रु०
(क) सीतापुर नेत्र चिकित्सालय	8,82,250
(ख) सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की शाखाएं	
1—फैजाबाद	20,000
2—देवरिया	10,000
3—आजमगढ़	13,500
4—बरेली	34,260
5—गोरखपुर	14,200
6—बस्ती	17,500
7—बहराइच	14,500
8—इलाहाबाद	30,000
9—जौनपुर	10,700
10—फतेहगढ़	9,000
11—पीलीभीत	55,400
12—नैनीताल	14,500
13—गोंडा	9,300
14—हल्द्वानी (नैनीताल)	12,000
15—कोटद्वार (गढ़वाल)	16,900
16—बलिया	8,600
17—अल्मोड़ा	15,000
18—हरदोई	57,000
19—गोला गोकरननाथ	12,000
20—प्रतापगढ़	5,000
21—पौड़ी-गढ़वाल	2,500
22—शाहजहांपुर	10,800
23—रानीखेत	10,000
24—सुल्तानपुर	17,500
25—मोहन सिंह नेत्र चिकित्सालय, रायबरेली	64,000
26—गांधी शताब्दी महावीर प्रसाद नत्र चिकित्सालय, मिर्जापुर ..	5,300
27—शहीद राज नारायण स्मारक नत्र चिकिसालय, लखीमपुरखीरी ..	2,600
28—काशीपुर, रामनगर	27,100
29—लाला भोजाराम नेत्र चिकित्सालय, नजीबाबाद (बिजनौर) ..	4,700
30—नेत्र चिकित्सालय, धामपुर (बिजनौर)	55,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची II

सीतापुर नेत्र चिकित्सालय तथा उसकी शाखाओं को अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 1974–75 में प्राविधान

	रु0
(क) सीतापुर नेत्र चिकित्सालय (बेस चिकित्सालय)	4,13,250
(ख) सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की शाखाएं—	
1—मोहन सिंह नेत्र चिकित्सालय, रायबरेली	80,000
2—फैजाबाद	8,200
3—देवरिया	4,900
4—आजमगढ़	5,400
5—बरेली	22,900
6—गोरखपुर	7,200
7—बस्ती	4,900
8—बहराइच	6,500
9—इलाहाबाद	7,800
10—जौनपुर	7,600
11—पीलीभीत	5,900
12—नैनीताल	9,900
13—हल्द्वानी (नैनीताल)	7,900
14—गोंडा	6,700
15—कोटद्वार	12,900
16—बलिया	7,400
17—अल्मोड़ा	11,900
18—हरदोई	2,000
19—फतेहगढ़	6,200
20—बामपुर	5,000
21—काशीपुर रामनगर	28,900

उपरोक्त के अतिरिक्त सीतापुर, कानपुर तथा अलीगढ़ नेत्र चिकित्सालय एवं इनकी शाखाओं को अनावर्तक अनुदान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 2,00,000 का प्राविधान है जो प्रत्येक संस्था के आवेदन-पत्र की जांच के पश्चात उन्हें स्वीकृत किया जायगा।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 345 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1974 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री फिरंगी प्रसाद विशारद द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 3 के उत्तर हेतु सूचना

क्रम-संख्या	जिला		अक्तूबर, 1973 से अप्रैल, 1974 तक मृत्यु संख्या	क्रम-संख्या	जिला		अक्तूबर, 1973 से अप्रैल, 1974 तक मृत्यु संख्या
1	आगरा	..	71	28	हरदोई	..	23
2	अलीगढ़	..	16	29	जालौन	..	43
3	इलाहाबाद	..	58	30	जौनपुर	..	31
4	अल्मोड़ा	..	..	31	झांसी	..	33
5	आजमगढ़	..	351	32	कानपुर	..	113
6	बहराइच	..	7	33	खीरी	..	82
7	बुलन्दशहर	..	8	34	लखनऊ	..	61
8	बलिया	..	76	35	मैनपुरी	..	5
9	बांदा ..	..	52	36	मथुरा	..	7
10	बाराबंकी	..	87	37	मेरठ	..	3
11	बरेली	..	144	38	मिर्जापुर	..	78
12	बस्ती	..	139	39	मुरादाबाद		80
13	बिजनौर	..	176	40	मुजफ्फरनगर	..	3
14	बदायूं	..	40	41	नैनीताल	..	11
15	चमौली	..	1	42	पीलीभीत	..	43
16	देहरादून	..	..	43	पिथौरागढ़	..	..
17	देवरिया	..	36	44	प्रतापगढ़	..	53
18	एटा	..	18	45	रायबरेली	..	24
19	इटावा	..	..	46	रामपुर	..	35
20	फैजाबाद	..	15	47	सहारनपुर	..	18
21	फर्रुखाबाद	..	2	48	शाहजहांपुर	..	321
22	फतेहपुर	..	12	49	सीतापुर	..	104
23	गढ़वाल	..	..	50	सुल्तानपुर	..	39
24	गाजीपुर	..	97	51	टेहरी गढ़वाल	..	..
25	गोंडा	..	61	52	उन्नाव	..	19
26	गोरखपुर	..	70	53	उत्तर काशी	..	..
27	हमीरपुर	..	26	54	वाराणसी	..	174
					योग	..	2,966

चेचक महामारी की रोकथाम हेतु वर्ष 1973 में 47,22,607 प्राथमिक तथा 1,11,25,090 पुनर्भेद (कुल योग 1,58,47,697) टीके लगाये गये।

जनवरी से अप्रैल, 1974 तक 18,45,617 प्राथमिक तथा 37,12,754 पुनर्भेद (कुल योग 55,58,371) टीके लगाये गये।

अक्तूबर, 1973 से चेचक रोगियों को ढूंढ़ निकाल कर रोग की रोकथाम करने के विशेष अभियान चलाये गये। इस रोग की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार, और राज्य सरकार के सहयोग से "इन्टेन्सिव स्माल पाक्स सर्च एवं कन्टेन्मेन्ट आपरेशन" चलाया जा रहा है।

विधान सभा सचिवालय देहरादून

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 356 पर)

तहसील खटीमा व सितारगंज के ग्राम के बागों की सूची

तहसील	क्रम-संख्या	नाम ग्राम जिसमें आम के बाग हैं	बाग में पेड़ों की संख्या	क्षेत्रफल (बीघों में)	आय 1972	आय 1973
खटीमा	1	ऊंची मुहवर ..	27	6–03	..	115
	2	उलानी ..	18	7.18	..	..
	3	नौसर ..	2	1.04	..	..
	4	गौसकुंवा ..	9	2–15	..	32
	5	पंचौरिया ..	32	7–01	..	..
	6	बिलंहरी ..	7	0.16	..	17
	7	नौगवानाथ ..	9	2–08	..	30
	8	पहैनियां ..	3	0.06	..	5
	9	कुआखोड़ा ..	17	15–18	..	55
	10	भूड़ाकिशनी ..	7	2–16	..	5
	11	भूड़ियाथारू ..	4	7–01	..	15
	12	भुड़ाई ..	4	0–16	..	..
	13	झनकटिया ..	6	0–16	..	10
	14	गौझरिया ..	8	5–03	..	..
	15	उलदन ..	2	0–13	..	21
	16	छिनकी ..	23	3–00	..	..
	17	अलाबिर्दी ..	7	21–10	..	..
	18	खोडिया ..	5	2–08	..	..
		योग ..	..	38–12	..	305
सितारगंज	1	बघौरा ..	20	18.00	..	..
	2	चौमहला ..	50	10–02	..	..
	3	तुर्क सिसौर ..	3	1–15	..	130
	4	किचवां ..	47	26–11	..	..
	5	कैंधुलिया ..	2	2–00	..	..
	6	हरैय्या ..	16	1–15	..	..
	7	नलई ..	40	28–02	..	25
		योग ..	..	88–05	..	155

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 356 पर)

संलग्नक

वित्तीय वर्ष 1969–70 व 71–72 में लखीमपुर जिले के नार्थ खीरी डिवीजन में वर्षानुसार चोर शिकारियों की संख्या तथा उनसे वसूल किया गया जुर्माना व उनके नाम व पते निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष	नार्थ खीरी डिवीजन में चोर शिकारियों की संख्या	कुल वसूल हुआ जुर्माना	नाम व पूरे पते	जुर्माना जो वसूल हुआ
1	2	3	4	5
		रु0		रु0 पै0
1969	16 लोग	3,420.00	(1) सर्वश्री तुला पुत्र मंगरे नि0 फरेंदा, थाना सिंगाही, जिला खीरी।	50.00
			(2) श्री छुट्टन पुत्र संकटू नि0 बागों, थाना सिंगाही, जिला खीरी।	50.00
			(3) श्री परागी पुत्र बन्दू नि0 पतनारा, थाना पलिया, खीरी।	15.00
			(4) श्री मंगल प्रसाद पुत्र चन्दू प्रसाद ग्राम रमियां बेहण, थाना धोरहरा, जिला खीरी।	1000.00
			(5) नसीर पुत्र बशीर पलिया, खीरी	10.00
			(6) श्री मेड़ई, ग्राम0 f कोलिया पलिया खीरी।	..
			(7) श्री गजवीर सिंह पुत्र गरगली घनारा, थाना पसिगवां, खीरी।	350.00
			(8) श्री सोहन पुत्र श्रीपत नि0 गुलरा, पलिया, खीरी।	125.00
			(9) मेड़ई पुत्र बनवारी नि0 त्रिकोलिया, थाना पलिया, खीरी।	1030.00
			(10) श्री नजीर अहमद आजाद पुत्र श्री गजीर अली नि0 पलिया, खीरी।	..
			(11) श्री भरोसे पुत्र गोकरन, नि0 बन्दरियां कला, जिला खीरी।	..

1	2	3	4	5
			(12) श्री श्री कल्लू पुत्र श्री खुदा बक्श जिला बिजनौर।	110.00
			(13) श्री अब्दुल रहीम पुत्र कल्लू, पलिया, खीरी।	90.00
			(14) श्री मिश्रीलाल पुत्र कृष्ण, थाना पलिया, खीरी।	40.00
			(15) श्री अशरफी पुत्र बुद्धा थाना भीरा, खीरी।	50.00
			(16) श्री लियाकत अली पुत्र असगर अली, थाना—निघासन, खीरी	500.00
			योग ..	3,420.00

टिप्पणी:—क्रम संख्या 6 तथा 11 में व्यक्ति निर्दोश होने के कारण समाप्त कर दिया गया। क्रम सख्या 10 के अपराधी को कोर्ट से छोड़ दिया गया।

सत्यमेव जयते

वर्ष	नार्थ खीरी डिवीजन में चोर शिकारियों की संख्या	कुल वसूल हुआ जुर्माना	नाम व पूरे पते	जुर्माना जो वसूल हुआ
1	2	3	4	5
		रु0		रु0 पैसे
1970	कुल 17 लोग	7,980.00	(1) सर्वश्री जीला पुत्र नत्था सेमरी नैपाल।	120.00
			(2) श्री मगरे पुत्र जमादार नि0 दुधवा, थाना पलिया, खीरी।	40.00
			(3) श्री परवेज शाह पुत्र श्री सलीम शाह, सलीमाबाद फार्म निघासन, जिला लखीमपुर खीरी।	3,500.00
			(4) श्री मोहन पुत्र बनवा ग्राम सुरमा थाना पलिया, खीरी।	1,020.00
			(5) श्री राजाराम पुत्र मुखई नि0 मंगलपुरवा थाना पलिया, खीरी।	25.00
			(6) श्री पीरबख्श पुत्र श्री अब्दुल हक पलिया, खीरी।	150.00
			(7) सोहन पुत्र बुद्धा ग्राम कुसाही, जिला खीरी।	25.00
			(8) श्री रघुनाथ पुत्र राम औतार खुजरिया जिला खीरी।	200.00
			(9) श्री दयाजी पुत्र धारी सेजी नि0 कुटिया, जिला मोतीहार—चम्पारन।	40.00
			(10) श्री इन्द्र प्रताप चौधरी विवेक 45, दि माल, दिल्ली–7	50.00
			(11) श्री कश्मीर सिंह नि0 धर्मपुर थाना हजारा, जिला पीलीभीत।	1,500.00
			(12) श्री अफसर हुसेन चेयरमैन, पलिया, खीरी।	..
			(13) श्री घोसी पुत्र बच्चा ग्राम छोछौन, थाना हैदराबाद, जिला खीरी।	50.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
			(14) श्री बन्धा पुत्र गया, नि0 चशसी पलिया, खीरी।	500.00
			(15) श्री भजौरा पुत्र माधो मिश्र मगोरा, थाना पलिया, खीरी।	410.00
			(16) श्री अमीर अली पुत्र जुम्मन खरीगढ़, खीरी।	150.00
			(17) श्री बादल पुत्र चन्धारी, नि0 बला परसुआ, खीरी।	200.00
			योग ..	7,980.00

टिप्पणी—केस सं0 12 के अपराधी को निर्दोष पाया गया। अतः केस को समाप्त कर दिया गया।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

वर्ष	नार्थ खीरी डिवीजन में चोर शिकारियों की संख्या	कुल वसूल हुआ जुर्माना	नाम व पूरे पते	जुर्माना जो वसूल हुआ
1	2	3	4	5
		रु0		रु0 पैसे
1971–72	24 लोग	6,620.00	(1) सर्वश्री हरदयाल सिंह ढिल्लन, पलिया खीरी।	200.00
			(2) श्री लालराम पुत्र अनुरुद्ध, ग्राम सूरा पलिया, खीरी।	750.00
			(3) श्री रतन सिंह पुत्र श्री करमानिया-धेला, परसुआ, खीरी।	200.00
			(4) श्री रामनाथ पुत्र विश्नू, सुमेर नगर खीरी।	100.00
			(5) श्री सोहन पुत्र कोडी, ग्राम पचपेड़ी खीरी।	400.00
			(6) श्री छोटे पुत्र छाजू, थाना पलिया, खीरी।	75.00
			(7) श्री अहमद हुसैन पुत्र शब्बीर, थाना पलिया, जिला खीरी।	75.00
			(8) श्री प्रभू पुत्र मगरा, मझई थाना सिंगाही, खीरी।	50.00
			(9) श्री अली जान पुत्र शफीक सिंगाही खीरी।	100.00
			(10) श्री मोहम्मद याकूब पुत्र शफी, सिंगाही खीरी।	800.00
			(11) श्री लाल पुत्र बैजू, ग्राम भिवौरी जिला खीरी।	50.00
			(12) श्री राम भरोसे पुत्र भगवानदीन, ग्राम चरत बीसलपुर, जिला खीरी।	1,250.00
			(13) श्री छोटे लाल पुत्र श्रीराम ग्राम कठिया सिंगाही, खीरी।	200.00
			(14) श्री बशीर पुत्र खैराती, नि0 भिरबौरी कमलापुर, सीतापुर।	25.00

1	2	3	4	5
			(15) श्री सुन्दरलाल पुत्र तुलसी, भुलनपुर, थाना सिंगाही, खीरी।	200.00
			(16) श्री हरया पुत्र मंगल, नि0 सरसीम थाना नरनौल, जिला हिसार, हरियाना।	500.00
			(17) श्री कासिम पुत्र जंगी, नि0 परसिया थाना पलिया, खीरी।	840,00
			(18) श्री नत्थू पुत्र चन्द्रसेन, ग्राम सूंडा पलिया, खीरी–2	600.00
			(19) श्री लतीफ अहमद पुत्र वहीद-हुसैन, पलिया, खीरी (जांच में है)	..
			(20) श्री श्रीराम लाल पुत्र बलवीर ग्राम बिजेटा, नैपाल।	105.00
			(21) श्री सिकन्दर सिंह पुत्र कर्नल सिंह, धौला फार्म पलिया कलां, जिला खीरी (कोर्ट में है)	..
			(22) श्री असगर पुत्र फैजुल्ला नि0 रामगढ़, पलिया, खीरी (कोर्ट में भेजा गया है)।	..
			(23) श्री जाफर, निवासी पलिया जिला लखीमपुर खीरी।	100.00
			(24) श्री अब्दुल गफ्फार ठेकेदार कत्था, उ0 खीरी, जिला खीरी।	..
			योग ..	6,620.00

टिप्पणी:—क्रम-संख्या 19 जांच में केस है।

क्रम संख्या 21, 22, 24 कोर्ट में दायर हेतु भेजे गये हैं।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 97 वि0 सभा—(1403)—1974—8351